खण्ड–40, अंक–01
सोमवार, 29 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936
(दिनांक 09 जून, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 40 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

विषय–सूची संख्या पृष्ठ

विषय	पृष्ठ
उपस्थिति	''क''
नियम–310 पर विपक्ष द्वारा चर्चा कराये जाने की मांग... ...	1
प्रश्नोत्तर	2–38
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	38
महाविद्यालयों के अभाव में छात्र–छात्राओं का उच्च शिक्षा से वंचित रहने के कारण हो रहे आक्रोश के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	38
जनपद ऊधमसिंह नगर में ए०डी०बी० तृतीय फेज में प्रस्तावित किच्छा विधान सभा क्षेत्र की लालपुर–आनन्दपुर मोड़ का निर्माण न होने से आम जनता को हो रही कठिनाई विषयक नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा रमसा के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	39
नानकमत्ता विधान सभा की विभिन्न ग्राम पंचायतों, विभिन्न स्थानों एवं जगह–जगह पर बिजली के तारों के झूलने से बने खतरे के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40
विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में स्थित नैल मजवे डुंगर गांव मोटर मार्ग 1998 से स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद पिथौरागढ में विकास खण्ड कनालीछिना ग्राम पंचायत ख्यांतडी के अनुसूचित जाति ग्राम ग्वेता में 20 वर्ष पूर्व की पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने से पेयजल समस्या के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40–41
उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	41
उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	41
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा)	41
उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा)	41

विषय–सूची	संख्या पृष्ठ

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 42

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 42

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 42

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 42

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 43

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 43

उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 43

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 43

उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 44

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 44

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 44

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 44

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 45

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियमित होने की घोषणा) 45

देहरादून पुराने बस अड्डा गाँधी रोड की जमीन को सरकार के उपयोग में लिए जाने के सम्बन्ध में याचिका 45

जनपद देहरादून के गाँधी नेत्र चिकित्सालय प्रीतम रोड (डालनवाला) के निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) 45

विषय–सूची

संख्या पृष्ठ

जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग–नरगोली–खातीगांव मोटर मार्ग के शेष 3.05 कि0मी0 में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	46
जनपद बागेश्वर कपकोट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज देवतोली में रिक्त प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में याचिका	46
देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जल संस्थान द्वारा की गयी खुदाई से अनकों स्थानों पर पानी एवं सीवर लाईन आपस में मिल जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	46
देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा निर्मित ओवरहेड टैंक से पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	46
श्री मदन कौशिक मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–65 के अन्तर्गत विधान सभा का सत्र आहूत किये जाने के उपरान्त दिनांक 05 जून, 2004 को कैबिनेट की बैठक कर नीति सम्बन्धी योजना सदन से बाहर मीडिया में किये जाने सम्बन्धी सूचना पर विशेषाधिकार का प्रश्न	47–48
उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 (पुरःस्थापित)	48
उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 (पुरःस्थापित)	48–49
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 (पुरःस्थापित)	49
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014 (पुरःस्थापित) ...	49
सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	50
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	50–55
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	55
नियम–310 पर विपक्ष द्वारा पुनः चर्चा कराये जाने की मांग ...	56–61
कार्य–स्थगन की सूचना में परिवर्तित नियम–310 की सूचना पर चर्चा	61–77
चर्चाधीन कार्य–स्थगन की सूचना को पुनः नियम–310 में लिये जाने की मांग	77–79

विषय–सूची

संख्या पृष्ठ

कार्य–स्थगन की सूचना पर पुनः चर्चा जारी	80–84
कार्य–स्थगन की सूचना पर पुनः चर्चा जारी	87–135
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	136
नस्थियाँ	137–139

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
3—श्री अरविन्द पाण्डे
4—श्री आदेश चौहान
5—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
6—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
7—श्री गणेश गोदियाल
8—श्री गणेश जोशी
9—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
10—श्री चन्दन राम दास
11—श्री चन्द्र शेखर
12—श्री जीत राम
13—श्री तीरथ सिंह
14—श्री दलीप सिंह रावत
15—श्री दान सिंह भण्डारी
16—श्री दिनेश अग्रवाल
17—श्री दिनेश धनै
18—श्री नवप्रभात
19—श्री नारायणराम आर्य
20—श्री पुष्कर सिंह धामी
21—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
23—श्री प्रदीप बत्रा
25—श्री प्रीतम सिंह
24—श्री प्रीतम सिंह पंवार
25—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
26—श्री प्रेम सिंह
27—श्री फुरकान अहमद
28—श्री बंशीधर भगत
29—श्री भीमलाल आर्य
30—श्री मदन कौशिक
31—श्री मदन सिंह बिष्ट
32—श्री मनोज तिवारी
33—श्री मयूख सिंह
34—श्री महावीर सिंह
35—श्री माल चन्द
36—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
37—श्री यतीश्वरानन्द
38—श्री यशपाल आर्य
39—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
40—श्री राजकुमार
41—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
42—श्री राजेश शुक्ला
43—श्री ललित फर्स्वाण
44—श्री विक्रम सिंह नेगी
45—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
46—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
47—श्री बिशन सिंह चुफाल
48—श्रीमती शैला रानी रावत
49—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिघंल
50—श्री संजय गुप्ता
51—श्री सरवत करीम अंसारी
52—श्रीमती सरिता आर्या
53—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
54—श्री सुबोध उनियाल
55—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
56—डा0 हरक सिंह रावत
57—श्री हरबन्स कपूर
58—श्री हरभजन सिंह चीमा
59—श्री हरिदास
60—श्री हरीश धामी
61—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
62—श्री हेमेश खर्कवाल

सोमवार, दिनांक 09 जून,2014 ई

(विधान सभा की बैठक सभामण्डप, गैरसैण में दिन के 11:00 अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

नत्थी "क"

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्।

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।

नियम–310 पर विपक्ष द्वारा चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपदा को बीते एक साल हो गया है, आपदा में त्रास की त्रास स्थिति बनी हुई है। उत्तराखण्ड के लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी, हमने 310 में सूचना दी है। अभी भी हमारे 4200 गाँवों में रास्ते नहीं हैं, 1840 मोटर मार्ग खुले नहीं हैं, 3700 गाँवों में बिजली के पोल ध्वस्त हैं, 947 गाँवों में पेयजल प्रभावित है, और बद्रीनाथ, केदारनाथ चारधाम में जो होटल हैं वह बन्द होने के कगार पर हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि जो परम्परा सदन की है, जो नियम बनाये गये हैं उसके अनुसार प्रश्नकाल के बाद आपका 310 की सूचना पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ठीक है।

प्रशनोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गैस (एल0पी0जी0) आधारित विद्युत परियोजनाएं

*1–श्री नवप्रभात–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गैस (एल0पी0जी0) आधारित विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी क्षमता की कौन कौन सी परियोजनायें स्थापित की गई है ?

क्या उक्त विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार द्वारा इन परियोजनाओं में उत्पादन शुरू कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

प्रदेश में निम्नानुसार तीन गैस (एल0पी0जी0) आधारित परियोजनायें स्थापित की गयी हैं:–

क्र0सं0	परियोजनाएं	क्षमता
1.	मै0 श्रावन्ती इनर्जी प्रा0लि0 काशीपुर	450 मे0वा0
2.	मै0 बीटा इन्फाटेक प्रा0लि0 काशीपुर	225 मे0वा0
3.	मै0 गामा इन्फ्राप्रोप प्रा0लि0 काशीपुर	225 मे0वा0

गैस (एल0पी0जी0) आधारित परियोजनाओं में गैस की अनुपलब्धता के कारण विद्युत उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरू करने हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से गैस आवंटन हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 21 मई, 2012 द्वारा घरेलू गैस की अनुपलब्धता के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 तक कोई भी गैस आधारित विद्युत संयत्र स्थापित न करने के निर्देश दिये गये हैं।

*श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये योजनायें बन कर कब तक पूर्णरूप से स्थापित हो गई थी, इन तीनों योजनाओं की तिथि क्या है।

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ये योजनायें प्राईवेट लोगों ने की हैं, जिन्होंने की ये सब प्राईवेट एजेंसियाँ हैं, उन्होंने काशीपुर में काफी पैसा खर्च करके ये बनाई और बहुत दिनों तक वह भारत सरकार और अभी जगह के चक्कर काटते रहे उन्हें गैस मिले। सीधे इन योजनाओं को गैस मिले इस संबध मे मैं जुड़ी रही हूँ। लेकिन वह हार गये उन्हें गैस नहीं मिली, ये योजनायें नहीं चल रही हैं, उन्हें भारी नुकसान हुआ जिन लोगों ने लगाई।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने योजनाओं के स्थापित होने की तिथि पूछी थी, इसका स्पष्ट जवाब नहीं आया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इनको लगभग चार वर्ष हो गये हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इनको क्या हमारे सिडकुल या अन्य किसी विभाग द्वारा कोई जमीन भी उपलब्ध कराई गई, सरकार की ओर से रियायती दरों पर ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, रियायती दरों पर कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया, जमीन इन्होंने माँगी थी, लेकिन कुछ सिडकुल के माध्यम से मिली, कुछ नहीं थी तो इसलिए उन्होंने अपनी खरीदी।

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार से इसका जवाब आया कि 2015–16 तक कोई भी गैस आधारित संयंत्र स्थापित न किया जाय। लेकिन जब इसको स्थापित किया जा रहा था, भारत सरकार से सबसे पहले इस चीज का प्रमाण–पत्र लिया जाता है कि स्थापित कर सकते हैं और भारत सरकार ने गैस का निश्चित कोटा करते हुए, इसकी अनुमति दी थी और राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से तभी उनको कहा था कि आप लगा सकते हैं। अब क्या कारण है कि दो साल के बाद कह रहे हैं कि हम इसको स्थापित करने की बात तो कर रहे हैं?

श्री हरीश रावत–

माननीय, अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल तर्कसंगत सवाल है कि जिस समय लगाने की अनुमति देने का फैसला किया गया उस समय क्या नीति थी, उस समय भारत सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रोत्साहित कर रही थी, गैस बेस पावर प्लांट लगाने के लिए और हमने उसी स्थिति को देखते हुए अनुमति भी दी और हमने गैस एथोरिटी इण्डिया लिमिटेड से यह आग्रह भी किया कि वह अपनी पाईप लाईन हरिद्वार तक बिछायें और काशीपुर तक भी बिछायें। बल्कि हमने सेकेन्ड चरण में उनसे हल्द्वानी और देहरादून तक गैस पाईप लाईन ले जाने का अनुरोध किया है। क्योंकि गैस फ्यूचर इन्डिस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक है। मगर कतिपय कारण जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि कावेरी बेसिन में जितनी गैस की उपलब्धता समझी गई थी वह उपलब्धता नहीं हो पाई और गैस के जो भण्डारों से हमको गैस मिलने की सम्भावनायें थी वह कम हुई तो इस नीति में भारत सरकार ने संशोधन किया और उसी नीति के तहत भारत सरकार में विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग मंत्रिमण्डलीय समूह आदि–आदि के बाद वह निष्कर्ष पहुँचा कि 2015–16 तक ऐसे पावर प्लान्ट को गैस न दी जाये। मैं एक बात यहाँ पर आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमने गैस एथोरिटी ऑफ इन्डिया से बातचीत की थी, हमने यह कहा था कि वह अपनी साझेदारी में अपने प्लान्ट के रूप में ये तीनों में से जिनमें से जो सबसे पहले पावर प्लान्ट लगा है, विशेष तौर पर वह उनसे यह बातचीत कर लें और साझेदारी में यदि गैस एथोरिटी ऑफ इन्डिया लिमिटेड इसका संचालन करना चाहती हैं तो वह इसका संचालन करें। मुझे समाचार–पत्रों के माध्यम से जो जानकारी हैं, क्योंकि पूरी तरीके से पूरी जानकारी अभी मुझको उपलब्ध नहीं हो पाई है डे–टू–डे बसेस पर, वह यह है कि ऐसी कोई पहल प्रारम्भ हो चुकी है। मान्यवर, प्रारम्भ हो चुकी है और यदि यह पहल प्रारम्भ होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास विद्युत उपलब्धता का एक और स्रोत अपने राज्य में प्राप्त होगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, चूँकि पर्यावरण के अन्तर्गत जल विद्युत जो हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उसकी परियोजनायें प्रभावित हो रही हैं, इसलिए क्या सरकार ये विचार करेगी कि उसके एवज में हम प्राथमिकता के आधार पर अपने प्रदेश के लिए जहाँ ये चार सयंत्र लगभग एक हजार मेगावाट के स्थापित हो चुके हैं, प्राथमिकता के आधार गैस आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करें ?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूँ और हम पूरे सदन की भावना के साथ फिर से भारत सरकार के पास जायेंगे क्योंकि हमारे सामने विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कई प्रकार की बाधायें हैं और गैस हमारे लिए एक अच्छा माध्यम हो सकती है, मैं भारत सरकार के पास अनुरोध के लिए जाने वाला हूँ मैं उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की भावना लेकरके जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि इस नियम को शिथिल करके हमको गैस उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि कम

से कम हमारे तीन पॉवर प्लांट जो किसी समय भी टेकऑफ करने के लिए तैयार हैं, इन पॉवर प्लांट को गैस उपलब्ध हो सके और मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी भावनात्मक सहयोग इस मामले में हमारे साथ है।

*श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो गैस बेस्ड पॉवर प्लांट काशीपुर में लगाये गये हैं, इसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको लगाते वक्त जब इसकी स्टार्टिंग हुई तो मुझे भी इसका श्रेय मिला कि पूर्व सरकार के जो पूर्ववर्ती माननीय मुख्यमंत्री श्री खंडूड़ी जी हैं उनके साथ वार्ता कराने में, क्योंकि मैं पर्सनल तरीके से गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के चेयरमैन साहब को व्यक्तिगत तौर पर जानता था तो उनके साथ बैठक हुई और साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये की पाईप लाईन काशीपुर तक फर्स्ट फेस में बिछा दी गई, सेकेण्ड में हरिद्वार तक आना था और हमने निवेदन किया कि हल्द्वानी तक भी आ जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वह पॉवर प्लांट बनकरके तैयार हो गया और उसके साथ दो पॉवर प्लांट बनने थे वह तो कतिपय कारणों से जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया वह अभी रूके पड़े हैं, जो पॉवर प्लांट बनकरके तैयार हो गया, जिस उद्योगपति ने दो हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा पैसा यहाँ पर लगाया है उसका पैसा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बिजली को आठ सौ करोड़ से भी ज्यादा हम बाहर से खरीद रहे हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने यह कह दिया है कि अगर उत्तराखण्ड सरकार हमसे वार्ता करेगी, वे खुद ही इच्छुक हैं तो आधी बिजली तो वे ही खरीद लेंगे, क्या गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की मंशा के अनुरुप हमारी सरकार तुरन्त काशीपुर के सावंती गैस पॉवर प्लांट को जो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया हैं, जिससे चौबिसों घण्टे हमारी बिजली मिलती रहेगी और कभी भी ग्रिड फेल होने का खतरा भी नहीं रहेगा तो क्या इसको शीघ्र प्रारम्भ कराने के लिए केन्द्र सरकार के पास जायेगी या गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ वार्ता करेगी ?

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूँ कि राज्य सरकार की तरफ से निरन्तर इस बात के प्रयास हुये हैं कि केन्द्र सरकार से आग्रह करें कि हमारी विशेष परिस्थितियों को देखते हुये गैस उपलब्ध करवाई जाए और उस विषय में पुरानी नीतियों आदि का हवाला भी दिया गया है, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी संबधित लोगों से एक से अधिक बार मिले भी हैं और उसी क्रम में 21 मई, 2012 के पत्र में जो तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर का पत्र है, उसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखते हुये कहा है कि हम इस गैस को वर्ष 2015–16 के बाद ही उपलब्ध करवा सकते हैं और उसके विषय में हम लोगों को किस तरीके से बिडिंग में जाना हैं, उसकी तरफ इशारा किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और आपने कहा है और जैसा आपने कहा तो मैंने खुद गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के चेयरमैन के साथ एक से अधिक बार बात की, बल्कि मैंने ही उनको सुझाव दिया था कि यदि आप द्विपक्षीय समझौता करना चाहते हैं तो आप कर लें क्योंकि आपको जो पॉवर की जरूरत है उसे आप अपने यूज के लिए ले लें और यदि आप त्रिपक्षीय समझौता भी चाहते हैं तो हम त्रिपक्षीय समझौते के लिए भी तैयार है और मैं उस ऑफर को फिर से दोहरा रहा हूँ और मुझे जानकारी है कि उनकी इस विषय में बात–चीत विशेष तौर पर सावंती पॉवर लिमिटेड के साथ बहुत अग्रिम स्तर पर है, हो सकता हैं कि इस बीच में उनसे कोई करार हो गया हो या होने की स्थिति में हो।

*डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, गैस की उपलब्धता उन पाईप लाईनों में हो गई है और कुछ उद्योगपतियों ने उनमें कनेक्शन भी लिया हैं, पर प्रश्न इस समय यह उठ रहा है कि जिस रेट पर उद्योगपतियों ने उस गैस का कनेक्शन लिया है, वह रेट इस पॉवर प्लांट के लिए वायेबल नहीं हैं, यहाँ पर एक दुविधा की बात आई है इसलिए मैं यह सरकार से जानना चाहूँगा कि किस मूल्य पर उन उद्योगों को कनेक्शन हुआ है और इन उद्योगों को जो 52 प्लांट हैं वे किस रेट पर गैस को लेना चाहते हैं और जो रेट का डिफरेन्स होगा, जो वायेबल होगा, तो क्या उसके लिए सरकार केन्द्र सरकार से ग्रीन बोनस के लिए कहेगी कि उसकी प्रतिपूर्ति ग्रीन बोनस के रूप में करेगी या उत्तराखण्ड सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करेगी ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका जवाब जरूर जानना चाहूँगा।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, इस समय तक जो स्थिति है वह यह है कि यदि कोई बातचीत है तो वह पॉवर प्लांट ओनर और गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बीच में है और इसलिए रेट क्या होंगे वह उन दोनो के पारस्परिक सहमति से निर्धारित हुये होंगे या निर्धारित होंगे, मगर मै आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उद्योगों के लिए यदि प्रोडेक्शन कॉस्ट ज्यादा आयेगी तो उससे उनकी वायेबिलीटी पर असर पड़ेगा और आपने जो सुझाव दिया है तो मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया है कि हम फिर से क्योंकि दिल्ली में नई सरकार आई है तो हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार के साथ हमारे जो तीनों पॉवर प्लांट हैं इनके दिन भी अच्छे होंगे।

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न संख्या–3

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी से सम्बन्धित बहुत जरूरी बात है। यदि साफ बात नही आयेगी तो प्रश्नकाल का मतलब ही क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, तराई में 14–15 घण्टे बिजली किसानों को जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

15 मिनट एक प्रश्न पर हो गये हैं और आगे के प्रश्नों को भी समय देना है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब आप नेता सदन को समय नहीं दे रहे हैं तो फिर यह सब ढकोसला है, आज ज्यादा सवाल भी नही है और हम गैस जैसी इतनी बड़ी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम ढोंग कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

हमारे पास 5 तारांकित प्रश्न हैं और हमारे पास सीमित समय है, इसलिए हमने 15 मिनट का समय इसको दिया है और इस पर 15 मिनट की चर्चा हो चुकी है। अच्छा संक्षेप में बतायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है माननीय विधायक डॉक्टर साहब ने यह कहा है कि वहाँ पर गैस आ गई है और कनेक्शन भी ले लिये हैं। मान्यवर, इन दो बातों में कौन सी सही बात है, गैस आयी है या नहीं आयी है ? मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्योंकि गैस प्लांट को प्रारम्भ करने के लिए हमने भी एक लम्बा–चौड़ा पत्र लिखा है और उसमें गैस प्लांट प्रारम्भ करने के लिए गेल ने कहा है कि जिस वक्त सरकार हम से कहेगी कि हम खुद खरीद लेंगे और हम उत्तराखण्ड को गैस दे देंगे। मान्यवर, क्या एक महीने के अंदर या एक सप्ताह के अंदर कोई टाईम बाउण्ड आप उत्तराखण्ड की बिजली की व्यवस्था को देखते हुए कोई समय निर्धारित करेंगे कि हम उस प्लांट को प्रारम्भ करा सकेंगे, जो श्रावन्ती गैस प्लांट है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने शायद, जब मैंने प्रारम्भ में कहा कि मेरी जानकारी में है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया और जो श्रावन्ती लिमिटेड है, उनके बीच में कोई बातचीत चली है और कुछ डेवलपमेंट इस दिशा में हुए हैं और इसलिए निजी उद्यमियों

और गेल के बीच में जो केस बाई केस के आधार पर गैस दी जा रही है। जो प्रश्न माननीय सिंघल जी ने उठाया है, वह संभव है और ठीक है। मगर जब वायेबिलीटी का सवाल आ रहा है, गैस की कॉस्ट का सवाल आ रहा है तो इस समय चूंकि अभी तक गैस के दामों के विषय में कोई फाईनल पॉलिसी तय न होने के कारण और भारत सरकार द्वारा एक स्टैण्ड लिये जाने के कारण एक अस्पष्ट सी स्थिति बनी हुई है और हम निरंतर गेल के सम्पर्क में हैं और उनके मैनेजमेंट के सम्पर्क में हैं। हमें स्वयं इस बात की चिंता है कि यदि हमको हमारा यह स्रोत उपलब्ध हो जाय तो जो गैस और बिजली का दबाव हमारे ऊपर है, वह कम हो सकेगा। इसलिए मैंने आप से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जो हमारी प्रायॅरिटी लिस्ट है, जिसमें हम उनके सामने कुछ विषयों को रख रहे हैं, उनमें यह विषय भी सम्मिलित है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो बात दोनों तरफ से आयी है उसमें मुख्य चीज है कि गैस दो जगहों पर उपलब्ध हो चुकी है, परन्तु उसके दाम के विषय में विवाद रह गया है। चूंकि हम एक बड़ी मात्रा में बिजली बाहर से खरीद रहे हैं, तो उस बिजली के खरीदने के मूल्य को हम यदि आधार मान लें और इन गैस पॉवर प्लांट के साथ, पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट यदि हमें उनसे कुछ कम मूल्य पर मिल सके तो शायद गेल की दर भी पूरी हो जायेगी और हमें भी हो सकता है कि थोड़ी सस्ती दर पर बिजली प्राप्त हो सकेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार ऐसे पॉवर प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट का विचार करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी तो उन्हें गैस उपलब्ध हो, उन्होंने विदेशों तक कोशिश की है। यह मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यदि दाम के ऊपर विवाद हैं तो यह विवाद पॉवर पर्चेच एग्रीमेंट से हल हो सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, गैस की उपलब्धता का सवाल है, जब गैस उपलब्ध होगी, तभी वे सस्ती बिजली देंगे। सभी शर्तों के लिए वे तैयार हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, बात आ रही है कि गैस उपलब्ध है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, गैस उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कुछ गैस प्राप्त कर ली होगी। मुझे यह पता है कि जो लोग वहाँ कार्य करते थे, जो वहां के प्रबन्ध निदेशक थे, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 2015–2016 में तो आवंटन होना ही है, आज हम जून 2014 में चल रहे हैं अब हमारे पास 09 माह का कुल समय बाकी है। मान्यवर, वर्ष 2015–2016 के आवंटन के लिए केन्द्र सरकार ने हमें पहले ही संस्तुति दे रखी है। यदि हम इस दिशा में तीव्र गति से प्रयास करें तो हो सकता है कि कुछ जल्दी हो जाय।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, ठीक है इस दिशा में जल्दी प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, आप अपनी बात संक्षेप में कहिए, सीधे प्रश्न करिए।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई छोटा–मोटा मामला नहीं है 900 मेगावाट का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आप जानना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कहें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ 900 मेघावाट बिजली पैदा करने का यह मामला है। जब भी इस कम्पनी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ होगा तो उस एग्रीमेंट की कुछ कंडीशंस होंगी कि क्या भाव गैस दी जायेगी, कितनी बिजली उत्तराखण्ड में ली जायेगी और कितनी बिजली बाहर इनको बेचने का अधिकार होगा ? यह मैं जानना चाहता हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस कम्पनी के 2.5 हजार करोड़ रू0 लग जाने से इतनी अधिक धनराशि की क्षति हो चुकी है, क्या सरकार इस क्षतिपूर्ति के बारे में कोई विचार करेगी?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जितने भी लोग लगा रहे थे, विशेषकर श्रावंती, यह भी गुजरात से ही है, ये लोग यहाँ घूमते रहे और हम से भी मिले और इनको सी0ई0ओ0 और एम0डी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम से बातचीत करते रहे। पूरी कोशिश की गयी, माननीय विजय बहुगुणा जी ने भी कोशिश की और चिट्ठी लिखी, लेकिन गैस की उपलब्धता नहीं हो सकी। जिस समय उन्होंने प्लांट लगाया गया था, उस समय उनसे कहा गया था निर्बाध रूप से हम गैस उपलब्ध करायेगें, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आयी कि गैस की उपलब्धता रही ही नहीं। जब उन्हें गैस ही नहीं मिली तो बिजली उत्पादन कहां से होता। हम लोग खुद इच्छुक थे हमारे यहां पर बिजली की इतनी भारी कमी थी, सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी कि किसी भी तरह गैस मिले, उन्होंने विदेशों से बात करनी शुरू की, पर वह गैस बहुत महंगी आती और बिजली बहुत महंगी होती, इसको उत्तराखण्ड सरकार ने मना कर दिया। हम लोग महंगी बिजली नहीं लेंगे यदि आप विदेश से गैस लेंगे तो यह अपनी जोखिम पर लीजिए। मान्यवर, सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किया गया और गैस नहीं मिली। हमें बहुत बुरा लगा कि एक संयंत्र यहां पर लगा और हमारी बिजली की आपूर्ति उससे होती, परन्तु ऐसा नहीं हो पाया।

*श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, जो घाटा हो रहा है, क्या सरकार उसको वहन करेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तराखण्ड सरकार से उनका कोई समझौता नहीं हुआ है, उत्तराखण्ड सरकार से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मान्यवर, उत्तराखण्ड सरकार या देश की सरकार कोई भी उनके खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय, अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार और पार्टी के अंदर क्या एग्रीमेंट हुआ था ? (व्यवधान)

*2–श्री नव प्रभात–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश के सिलिका खनिज विदोहन में सिद्धान्त "प्रथम आगत प्रथम पावत" के स्थान पर नई नीति को निर्धारण

*3–श्री नव प्रभात–

क्या उद्योग मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 2014 के द्वितीय सोमवार के तारा0 04 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सिलीका खनिज विदोहन के लिए अनुमति दिये जाने के सिद्धान्त "प्रथम आगत प्रथम पावत" के स्थान पर नई नीति निर्धारण पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो नई नीति का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो राज्य के राजस्व की वृद्धि के लिए संशोधन नीति निर्धारण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हरीश रावत–

जी हाँ।

नीति निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जो 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जो 6 आशय पत्र फाईनल हो गये हैं। क्या नीति निर्धारण के गतिमान रहने तक सरकार उनके आबंटन पर रोक लगायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इसमें भारत सरकार के ही सारे डाईरेक्शन हैं। एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया और भारत सरकार के नियमों में है। मान्यवर, 'प्रिफेंसियल राईट ऑफ सर्टेन परशंस' में भी लिखा हुआ है। मान्यवर, इसके द्वारा भी इनका यही अर्थ निकलता है कि प्रथम आवत प्रथम पावत। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मैं। और सरकार इससे सहमत नहीं हैं, यदि इसमें अधिक आवेदन आते हैं तो इसमें विचार किया जाना चाहिए। मैंने यह भी देखा कि सिलिका के रेट बहुत कम हैं, यहाँ पर टन पर 181 रू0 है। मान्यवर, अभी तक सिलिका का कोई खरीददार उत्तरकाशी और मोरी में हमें नहीं मिला है, जो मेरी जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है कि उत्तरकाशी और मोरी की सिलिका ही सबसे vPNh gSv kS Dy kl b.MLVh d sy ks kausbl esav kosu fd ; k g& eku; oj] d ksZ Jhjru vl oky g$bud h, ly hd sku d ksLohd kj fd ; k g& vHh bl ij vfxze d ksZ d k; ZOkgh ugha gqbZ g&

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमारे पास विश्व की सबसे अच्छी किस्म की सिलिका है। यह बात सरकार इस सदन में स्वीकार कर चुकी है। हमारे पास फ्लोट ग्लास की इण्डस्ट्रीज हमारे प्रदेश में लगी हुई उपलब्ध है, इस बात को भी सरकार स्वीकार करती है। मान्यवर, पिछली बार भी मैंने इस विषय पर प्रश्न लगाया था। मैंने कहा था कि इसका विदोहन ज्वाइंट वेंचर के रूप में करें, या सरकार स्वयं अपने निगम के माध्यम से करें। इस पर

विचार करें। मान्यवर, अगर आप व्यक्तिगत आशय पत्र को प्रक्रिया के अन्तर्गत लेते हुए, प्रक्रिया में प्रक्रिया तो है, मगर राज्य सरकार के अधिकार में रोक नहीं है। मान्यवर, या तो आप इसका विदोहन के किसी निगम के माध्यम से कर लें या ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से इसका विदोहन कर लें। या जो हमारे यहां उद्योग स्थापित हो चुके हैं, उन उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर इसका विदोहन कर ले तो कम से कम वैज्ञानिक रूप से इसका विदोहन हो पायेगा। जहां तक 180 रू0 रेट की बात आपने कही हैं, मैं अपने अनुभव से इससे सहमत नहीं हूँ। मान्यवर, मैंने तीनों विकल्प सरकार के सामने रखे, सरकार जिस किसी पर भी विचार करना चाहें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है। भारत सरकार से विचार–विमर्श चल रहा है, इसमें किया जायेगा और इसकी विदोहन की नीति तैयार की जायेगी और जिसमें उनकी सहमति भी आवश्यक होगी। इस सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है।...मैंने इस पर काफी बातचीत की है, जो आपकी चिन्ता है कि सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी सिलिका हमारे यहाँ है। यह केवल पहाड़ में उत्तरकाशी में ही है। इसका उचित मूल्य मिले और इसके दोहन के लिए यहाँ के लोगो की भागीदारी हो, चाहे हमारे कोई निगम करें, या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के आधार पर यहाँ लोगों को उसमें रोजगार मिले।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, केवल दो ही मुख्य खनिज उपलब्ध हैं, एक सिलिका और एक चूना और दोनों ही अगल–बगल के इलाके में हैं। अगर हमें अपने राज्य के संसाधनों की रक्षा करनी हैं, तो सिलिका और चूना इन दोनों पर अविलम्ब रूप से सरकार को अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

ठीक है। इसको अतिशीघ्र करेंगे।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, चूँकि 4 महीने पहले भी इस पर नीति का निर्धारण नही हो पाया था। 4 महीने बाद अभी भी विचार कर रहे हैं। इस बीच में कोई आवंटन हेतु आवेदन करता है तो क्या इसको ऐसे ही रखेगी ? यह नीति आप कब तक बना रहे हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 4 महीने में तो आपको मालूम ही है कि देश के भारी चुनाव हो गये। भारत सरकार में वार्ता करने के लिए उतनी उपलब्धता न हम लोगों में थी, न उनमें थी।

अब समय है कि हम वार्ता करें और इस पर नीति निर्धारण करें। अतिशीघ्र नीति निर्धारण कर ली जाएगी। जब तक नीति निर्धारित हो रही है, अभी जिन लोगों की एप्लीकेशन आ रही हैं, किसी को नही दिया गया है। जब तक नई नीति नहीं बनेगी, इसके विदोहन की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, इसके रेट स्पष्ट नहीं होंगे, भारत सरकार के साथ बातचीत करना आवश्यक है, उसके बाद ही दिया जाएगा।

राज्य में सेबों के ग्रेडिंग प्लान्ट लगाने पर विचार

*4—श्री मालचन्द—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सेबों की ग्रेडिंग के लिए बागवानी क्षेत्रों के केन्द्र बिन्दु पर ग्रेडिंग के लिए ग्रेडिंग प्लांट लगाने पर सरकार विचार करेगी तथा जिससे सेब बागवानों को मंडियों में उसकी अच्छी कीमत मिल सके ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं उद्यान मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि केन्द्र पोषित बागवानी मिशन योजना में तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन घटक के अन्तर्गत विभिन्न बागवानी उत्पाद विशेषकर फलों का संग्रहण, छटाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग आदि के लिए इकाई स्थापना का प्राविधान है। इकाई स्थापना का कार्य मुख्य रूप से व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित है तथा व्यक्तिगत कृषक/कृषक समूह/व्यवसायियों/सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को उक्त घटक में उपलब्ध धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत कर राजसहायता प्रदान की जाती है।

*श्री मालचन्द—

मान्यवर, बागवानी और पर्यटन के अलावा इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई दूसरा स्रोत नहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि केन्द्र पोषित जो बागवानी मिशन है, इसका काम क्या—क्या है और इसकी काम करने की जो प्रक्रिया है, क्या वह अलग—अलग प्रदेशों में अलग—अलग है ? एक तो यह जानकारी चाहिए। दूसरा मान्यवर, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस प्रदेश में बागवानी हिमाचल की तर्ज पर आ गयी है और मेरा विधान सभा क्षेत्र तो हिमाचल से लगा हुआ है। मेरी समझ में नही आता है कि वहाँ पर अलग नियम है, बागवानी मिशन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

और इस प्रदेश में अलग है। वहाँ पर प्रत्येक गाँव में ग्रेडिंग मशीनें लगी हुई हैं इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, ग्रेडिंग करने से सेब की कीमत दोगुनी हो जाती है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के और हमारा जो सेब है, उसकी कीमत आधी रह जाती है। आखिर केन्द्र पोषित जो बागवानी मिशन है, इसके काम क्या–क्या हैं और अलग–अलग प्रदेशों में क्या अलग–अलग नियम हैं ? जैसा कि इस उत्तर में कहा है कि सरकारी संस्था आदि द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। परन्तु उक्त घटक में धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

सीधे प्रश्न पर आईए। क्या जानना चाहते हैं ?

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर केन्द्र पोषित जो बागवानी मिशन है, यह ग्रेडिंग का काम करेगा या नहीं करेगा ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो बागवानी मिशन है, उसके अन्तर्गत 2004–05 से लेकर 2009–10 तक कुल 1001 छोटे पैक हाउसों की स्थापना की गयी। एवं 2012–13 व 2013–14 में कुल 51 पैक हाउस स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार को प्रेषित किये गये। जहाँ तक ग्रेडिंग का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ अभी तक कोई भी ग्रेडिंग प्लान्ट उत्तराखण्ड में स्थापित नहीं है। 2 प्रस्ताव हमको टिहरी गढ़वाल से प्राप्त हुए हैं, जो स्वीकृति की प्रत्याशा में हैं, महेन्द्र सेमवाल, थाती, पो0आ0 कदूर, टिहरी गढ़वाल। जीवन जन जागृति ग्रामोद्योग संस्थान बूढ़ाकेदार, इन दो संस्थानों ने एप्लाई किया है। भारत सरकार के मिशन के तहत ग्रेडिंग के लिए इन प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजा गया हैं। बागवानी मिशन कृषक परिक्षेत्र पर पैक हाउस स्थापना हेतु 2010–11 में 50 प्रतिशत.......

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने स्पष्ट पूछा है क्या ग्रेडिंग का काम बागवानी मिशन के अन्तर्गत आता है या नहीं ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ग्रेडिंग के काम के लिए 50 प्रतिशत 2010–11 में डेढ़ लाख रूपये की सब्सिडी दी जाती थी, इसको बढ़ाकर हमने 2 लाख कर दिया है। जो पैकिंग के हैं और जो ग्रेडिंग के हैं, उससे पहले 8.25 लाख

सब्सिडी ग्रेडिंग की योजनाओं पर हैं, अगर कोई ग्रेडिंग की पैकिंग योजना लगाता है। इसमें अलग–अलग मानक हैं, मैदानी क्षेत्र में 40 प्रतिशत है और यदि पर्वतीय क्षेत्र में कोई ग्रेडिंग यूनिट लगाता है, उसमें 55 प्रतिशत सब्सिडी प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि अभी तक कोई भी यूनिट इस तरह की स्थापित नही हैं, प्रदेश में। केवल टिहरी गढ़वाल से दो प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास आए हैं और दोनों ही प्रस्ताव को भारत सरकार के बागवानी मिशन को प्रेषित किया गया है। एक केवल जगदम्बा समिति ने नौगाँव, पुरोला, उत्तरकाशी में स्थापित की है, यह 1000 मीट्रिक टन की ग्रेडिंग की है, जो नीदरलैण्ड की कम्पनी फेश फूड एण्ड टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से स्थापित की है और उसने उत्तराखण्ड के 106 गाँवों को अपने साथ जोड़ा है। मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस योजना को बहुत प्राथमिकता से लिया है। हम यह चाहते हैं कि कोई भी किसान, व्यक्ति, उद्यमी, संस्था या को–ऑपरेटिव सोसाईटी कोई ग्रेडिंग प्लान्ट लगाती है तो प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का जो बागवानी मिशन है, उसके माध्यम से हम 55 प्रतिशत सब्सिडी देंगे, इसको और भी आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं और यदि कोई ग्रेडिंग प्लान्ट लगाता है, कोई कोल्ड स्टोरेज लगाता है, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार की योजना है कि 25–30 साल तक हम किराये पर उस ग्रेडिंग प्लान्ट और कोल्ड स्टोरेज को ले लेंगे, जिससे कि उस उद्यमी या उस कृषक को लाभ भी हो जाए और प्रदेश की बागवानी और प्रदेश के सेबों को लाभ भी हो।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सेबों की ग्रेडिंग करने से राज्य के किसानों को फायदा हो सकता है, तो क्या राज्य सरकार ग्रेडिंग प्लान्ट लगाने के लिए अपनी तरफ से सहयोग करेगी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, उसमें 55 प्रतिशत की सब्सिडी है, चाहे उद्यान हो, चाहे ग्रेडिंग हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, उसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से यह सब्सिडी मिलती है और मैं आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने इसमें पहले भी कहा कि यदि कोई कोल्ड स्टोरेज या ग्रेडिंग प्लान्ट लगाएगा, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमने अच्छी योजना इसके लिए बनाई है। मैंने इसलिए कहा कि अभी तक कोई नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मालचन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम लोग ग्रेडिंग के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आप 55 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जो आपका बागवानी बोर्ड मिशन है, आज तक की सब्सिडी कहाँ गई और आप आज तक कहीं पर भी ग्रेडिंग का कोई एक उदाहरण बता दें, आज तक क्यों नहीं लगी ? जब कि विधान सभा पुरोला, नौगाँव, मोरी, आराकोट को मिनी हिमांचल के नाम से जाना जाता हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मालचन्द जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बताया है कि अभी तक हमारे पास ग्रेडिंग के दो ही प्रस्ताव आये हैं, जिन्हें उन्होंने भारत सरकार को भेजा है।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मैं तो यह कह रहा हूँ कि बागवानी मिशन ने आज तक काम क्या किया। इसकी सूची हमें मिल जाय, आखिर यह सब्सिडी जा कहाँ रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बागवानी मिशन केवल ग्रेडिंग और फूड रिसर्च का काम ही नही करता है, जो उद्यान हैं, उनको भी लगाने का काम करता है, इसमें हमारी तमाम सब्सिडी योजनायें हैं। मैं माननीय सदस्य को इन सभी की सूची उपलब्ध करा दूँगा। यदि आप अनुमति दें तो बागवानी मिशन ने जो भी काम अब तक किये हैं, उनको मैं सदन के पटल पर रख सकता हूँ।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरोला में, जो मिनी हिमांचल के नाम से जाना जाता है, क्या वहां पर व्यक्तिगत रूप से सब्सिडी देंगे, ग्रेडिंग के लिए और 55 में से कितना प्रतिशत राज्य सरकार देगी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा हैं कि ग्रेडिंग के लिए 55 प्रतिशत सब्सिडी फूड रिसर्च के प्लांट पर है, इसके अलावा मैंने एक चीज और कही भी किसान या उद्यमी अगर, ...(व्यवधान)

श्री मालचन्द–

मान्यवर, राज्य सरकार कितना देगी ?

श्री अध्यक्ष–

उसी में सम्मिलित है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दोनों को मिलाकर है। इस मिशन के तहत लिमिटेड प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, लेकिन मैं आज इस सदन के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितने भी ग्रेडिंग प्लांट के प्रस्ताव आयेंगे, उनको हम स्वीकृत करेंगे।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि बागवानी से संबंधित प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग की कोई योजना सरकार के अन्तर्गत...विचाराधीन है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि बागवानी मिशन के तहत ग्रेडिंग के अन्तर्गत जो योजना है।......

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, उन्होंने बताया कि यह प्राइवेट सेक्टर में हैं, हम जानना चाहते हैं कि इतना भारी नुकसान जो प्रदेश का हो रहा है, फल–फूट सब खत्म हो रहे हैं, रूद्रपुर में एक योजना बनाई गई, जिसे सरकार ने ध्वस्त कर दिया। हम यह जानना चाहते है कि क्या सरकार के संज्ञान में भी यह है कि फलों को बचाने के लिये, जो सम्पत्ति है, इस प्रदेश की, इसके लिये कोई योजना प्रदेश सरकार की है या नहीं ?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं माननीय सदन की चिन्ता के साथ अपने को जोड़ता हूँ, भारत सरकार के नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन में भी हमारी कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग आदि की योजना है, हम उसका भी भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और यदि कहीं पर गैप फंडिंग की जरूरत होगी तो माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम उसके लिये भी तत्पर होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बागवान अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों और उसके लिये हमको कुछ भी कदम उठाने पड़ें, हम कदम उठाने से पीछे नहीं रहेंगे। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कुछ स्थानीय बागवानों को, चाहे उनकी सहकारी समितियां बनाकर ही करें, आप प्रोत्साहित करें, वह आगे आंये, ताकि भारत सरकार की इस विषय में जो तीनों योजनायें हैं, नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन के तहत और नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के तहत, जो हमारे पर्वतीय राज्यों के लिये है, उसके तहत लाभ उठा सकें।

राज्य में बागवानों की रियायती दर पर कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता

*5–श्री मालचन्द–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बागवानों को कीट नाशक दवाईयां समय पर उपलब्ध नहीं होती है ?

यदि हाँ, तो क्या रियायती दर पर दवाईयां समय पर उपलब्ध करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

राज्य में बागवानों को कीटनाशक दवाईयां रियायती दरों पर समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से ही राज्य में बागवानों को कीटनाशक दवाईयां रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या बागवानों को कीटनाशक दवाईयां समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं, उत्तर आया है कि हम समय पर देते हैं। मान्यवर, मैं बार–बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पीड़ा है, मेरा क्षेत्र हिमांचल से लगा है और यह जो उत्तर आया है, वह सन्तोषजनक नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप आज ही फोन करके पूछ लो, आपके जो उद्यान सचल दल के अधिकारी हैं और हार्टिकल्चर इंचार्ज हैं, विकास खण्ड नौगावं, मोरी में कीटनाशक का आजकल छिड़काव हो रहा है, डायजिनम–45, क्या उसकी उपलब्धता आपके पास है ? यदि है तो कितना प्रतिशत आप छुट दे रहे हैं ? मान्यवर, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ और मुझे शर्म भी आती है जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ तो लोग गला पकड़ लेते हैं। हिमांचल के रोहू से जुगलकोट तक गाडियों में भर–भर कर डायजिनम–45 आ रहा है, तब जाकर लोग अपनी फसल को बचा पर रहे हैं। तो कहीं पर आपकी दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं, जो कि रियायती दाम पर मिलती हैं और आज एक–एक गाँव को दस–दस कुन्तल कीटनाशक के छिड़काव की जरूरत हैं, लेकिन कहीं पर भी आपकी दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं, मैं इसे सदन के सामने कह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी चाहें तो इसकी सूची मंगा लें कि विकास खण्ड नौगांव मोरी में आज की तारीख में कितनी दवाई उपलब्ध है।

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, जो कीटनाशक दवाईयां हैं, वह हमेशा समय पर दी जाती हैं, लेकिन उसकी ई—टेण्डरिंग होती है और जिस तरह से ई—टेण्डरिंग के नियम हैं, उनके नियमों का पालन नहीं होता या उन पर टेण्डर नहीं पड़ते तो उसमें विलम्ब हो सकता है और निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दो बार टेण्डर हुआ और दोनों बार जब किसी ने टेण्डर नहीं डाला, क्योंकि ई—टेण्डरिंग के नार्म्स हैं कि दो से अधिक टेण्डर इसमें होने चाहिये, तो दो से अधिक टेण्डर न आने के कारण उसमें विलम्ब हुआ है और इस समय जो टेण्डर के खुलने की अंतिम तिथि है, वह दस जून को है, यह निविदायें आमंत्रित की गई हैं, जैसे ही यह टेण्डर खुलता है, समय पर कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध करा दी जायेंगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में 2013—14 में जो कीटनाशक दवाईयां दी हैं, उसमें प्रदेश में सबसे अधिक कीटनाशक उत्तरकाशी जिले में 68 लाख 86 हजार रूपये का वितरित किया है ऐसा नहीं है कि हमेशा समय पर नहीं दी जाती हैं, हमने निर्धारित चार्ट बना रखा है कि कौन सी दवाईयां कब वितरित की जायेंगी, यदि आप चाहें तो यह चार्ट मैं सदन के सम्मुख रख सकता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अभी इसमें विलम्ब हो रहा है, हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि सारी प्रक्रिया पहले ही पूर्ण कर लें, किसानों को समय से कीटनाशक समय पर उपलब्ध कराने के लिये जो भी हो सकता है, वह करेंगे और समय पर कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध कराई जायेंगी।

श्री मालचन्द—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि आपने कहा कि ई—टेण्डर समय से नहीं हो पाये हैं। लेकिन आज भूख लगी है और भोजन आप छ महीने बाद देंगे, सेब के लिये आज कीटनाशक की आवश्यकता है, आपकी अभी ई—टेण्डरिंग हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि उन काश्तकारों की पीड़ा को भी ध्यान में रखते हुये, आप व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग से हिमांचल से कुछ दवाईयां मंगा दें, ताकि नौगाँव में, मोरी में किसानों को दवा समय पर उपलब्ध हो जाय, क्या आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं ? दूसरा बिन्दु मेरा यह है कि अब पेटियों का सीजन आ गया है, सेब हमारे पकने वाले हैं, जब हमारा अगला सदन होगा और मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी का कहना होगा कि हमने व्यवस्था कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि सेब के बाक्स भी समय पर नहीं मिलने वाले हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था भी समय पर करेंगे ? इसी के साथ मेरा तीसरा प्रश्न है, क्योंकि एक काश्तकार होने के नाते मेरी पीड़ा है, आपका एक बगीचा है, धड़ली बगीचा, जो हार्टिकल्चर के पास है, वह पूरा बंजर पड़ा हुआ है, क्या सरकार उसको लीज पर देने पर विचार करेगी, ताकि किसी काश्तकार को रोजगार मिले और सरकार को इसका राजस्व

मिलेगा। यह तीन बिन्दु हैं, एक क्या मंत्री जी दवाईयों की व्यवस्था करेंगे हिमांचल से लाकर, ताकि लोगों को तुरन्त राहत मिल जाय और दूसरा क्या बाक्स की व्यवस्था तुरन्त की जायेगी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है कि प्रदेश में जो कीटनाशक दवाईयों को खरीदने की प्रक्रिया है, जो स्टेट का प्रिक्योरमेन्ट रूल है, उसके तहत है और निश्चित रूप से हम समय से उसमें टेण्डरिंग की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब टेण्डर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।.......

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत गंभीर है, वो उस प्रक्रिया पर नहीं जाएंगे, उनकी समय पर काश्तकारी बच सके यह प्रयास सरकार को करना चाहिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

इसीलिए सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी, पहले निदेशक को 05 लाख तक की दवाईयाँ खरीदने का अधिकार था, निदेशक केवल 05 लाख तक का ही टेंडर कर सकता था, हमने आपकी भावनाओं को समझते हुए और प्रदेश के कृषकों की भावनाओं को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम 10 लाख तक जिला उद्यान अधिकारी दवाईयों की परचेजिंग कर सकते हैं, यह अधिकार हमने जिला उद्यान अधिकारी को दिया है और 50 लाख तक का अधिकारी, जो 05 लाख था उसको हमने अभी डायरेक्टर को अधिकार दिया है और 50 लाख के ऊपर का अधिकार शासन में निहित है तो इस प्रक्रिया को माननीय अध्यक्ष जी, हमने सरलीकरण किया है इस बात को महसूस करते हुए कि जब ई–टेंडरिंग होती है तो भले ही समय पर हमने लगातार तीन बार जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा टेंडर कर दिया है फिर भी अगर कोई गलती होगी तो माननीय विपक्ष खुद चिल्लायेगा कि गलत तरीका अपनाया गया है। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि भविष्य में हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे समय पर किसानों को कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध हों, यह सरकार की मंशा है, सरकार किसानों को बचाना चाहती है, प्रदेश के बागवानों को अच्छा बनाना चाहती है। जहाँ तक निजी क्षेत्र में आपने उद्यान देने की बात की है, मान्यवर, जब आप स्वयं उद्यान मंत्री थे आपके समय में बहुत से उद्यान निजी क्षेत्र में टाटा जैसे बड़े औद्योगिक घरानों को दिये गये थे। अभी पत्रावली मेरे पास आयी थी उनमें से मैंने पौड़ी के एक उद्यान का निरीक्षण चैलीसैंण में स्वयं किया है तो वो 14 उद्यान जो निजी क्षेत्र में दिये गये थे, उनका अनुभव हमारी सरकार के पास बहुत अच्छा नहीं है, वो उद्यान जिस स्थिति में थे, उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में हो

गये हैं और इस समय बंजर पडे हैं जो बहुत ही मदर प्लांट थे वहाँ वो सारे समाप्त हो गये हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार का निजी क्षेत्र का अनुभव था, उत्तराखण्ड का जो निजी क्षेत्र में उद्यानों को देने का अनुभव बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। इसलिए हमने जो उनकी लीज थी वो अभी समाप्त की है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि जो भी हमारे उद्यान हैं प्रदेश सरकार के, उन सारे उद्यानों का पुनर्निर्माण करना, मदर प्लांट लगाना, औद्योगिक पौधाकरण करना, ये काम प्रदेश सरकार कर रही है और अगले 4–5 महीने के अंदर प्रदेश के सारे उद्यानों का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी हमने जो पुराने बगीचे थे, उनको जो सब्सिडी दी जाती थी, 15 हजार रू0 प्रति हैक्टेयर दी जाती थी, उसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 50 हजार रू0 प्रति हैक्टेयर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है कि कोई भी उद्यान कर्मी यदि अपने उद्यान का आधुनिकीकरण करना चाहता है, प्लांट बदलना चाहता है तो अब उसको 50 हजार की सब्सिडी प्रदेश सरकार के द्वारा दी जायेगी। तो मैं निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सदन को और माननीय सदस्य को उनकी जो चिंता है, उनकी जो पीड़ा है, प्रदेश के उद्यानों को बचाने की, प्रदेश में उद्यानीकरण करने की उस दिशा में सरकार निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से 3–4 महीने के अंदर आपको उसके नतीजे दिखाई देंगे। मैं यही करना चाहता हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तराई के अंदर आम के बहुत बड़े–बड़े बगीचे होते हैं। इनके अंदर आम के पेड़ों पर मैंगा इण्डिका बीमारी आती है तो सरकारी दवाईयां उपलब्ध कराने की जो नीति है मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस बीमारी से रक्षा के लिए भी इन दवाईयों के छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से डा0 सिंघल जी की चिंता से बहुत गम्भीर हूँ और सरकार ने इस दिशा में पहले ही निर्णय लिये हैं और मैं अभी देहरादून में जो किसान विकास केन्द्र था, जिस बीमारी का जिक्र आपने किया है मैंने अपने सारे साईंटिस्ट से कहा है कि पूरे प्रदेश में यह जो बीमारी है, युद्ध स्तर पर एक आंदोलन के रूप में और सारे जो बगीचों पर यह बीमारी लगी है, हर वर्ष का हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है प्रतिवर्ष हम कितने बगीचों पर इस बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, दवाईयों का छिड़काव कर सकते हैं तो मैंने अपने समस्त किसान विकास केन्द्रों को, उद्यान के सचल दलों को निर्देशित किया है कि इस बीमारी से तमाम जो आम के बगीचे नष्ट हो रहे है। आप उसी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसमें चोप निकलता है और पूरा आम का पेड़ खराब हो जाता है तो मैं निश्चित रूप से माननीय सिंघल जी को विश्वास

दिलाना चाहता हूँ कि इस दिशा में सरकार बहुत गंभीर है और मैंने अपने समस्त अधिकारियों को और सचल दलों को निर्देशित किया है।

जिला पिथौरागढ़ में आपदा ग्रस्त ग्रामों की भूमि के कटाव से ग्रसित परिवारों को मुआवजा

*6—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के गोरी नदी से लगे ग्राम कौंली हुडकी, जुगदा, तितरी तथा दौड़ा ग्रामों में वर्ष 2013 में गोरी नदी से जो खेती योग्य भूमि कट गई थी उन परिवारों को मुआवजा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कुल कितने परिवारों को ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्रामों को बचाने हेतु कोई तटबन्ध व सुरक्षा दीवार बनायी गई है ? यदि हाँ, तो किन–किन ग्रामों में ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत—

जी हाँ। वर्ष 2013 की आपदा से जिला पिथौरागढ़ के ग्राम कौली, हुडकी, जुगदा, तितरी तथा औडा सहित कुल 18 ग्रामों के 185 परिवारों को कृषि भूमि की क्षति के लिये नियमानुसार मुआवजा दिया जा चुका है।

जी नहीं।

वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अधीन अन्य अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जा रहे है।

श्री अध्यक्ष—

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना मोबाईल बंद कर दें। कई माननीय सदस्यों के मोबाईल बज रहे हैं।

*श्री बिशन सिंह चुफाल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि कुल कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया तो सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि नियमानुसार मुआवजा दिया गया है, मैंने तो संख्या बता रखी है, आपका उत्तर सदन को गुमराह करने वाला है। दूसरा प्रश्न मेरा है माननीय अध्यक्ष जी, हुडकी कालेज से जुगुड़ा तक जौलजीबी से लेकर, तो इस बीच में कुल कितने परिवारों को क्षति हुई है, क्या इन गांवों को बचाने के लिए तटबंध बनाये गये है, तो आपकी ओर से उत्तर आया है कि इसमें प्राथमिकता के आधार पर, क्या इस बीच में कोई तटबंध बने हुए हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने पूछा है मैंने जिन प्रभावित ग्रामों का नाम लिया है, उनके परिवारों की संख्या है 165 और इसकी डिटेल भी मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगी और इसमें 25 हजार प्रति हैक्टेयर अर्थात 500 रू0 प्रति नाली पहले तय किया गया था लेकिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 05 हजार प्रति नाली कर दिया है और यह 05 हजार प्रति नाली की दर से प्रभावित लोगों को 04 लाख 34 हजार 03 सौ 54 रू0 का मुआवजा दिया जा चुका है, यह मुआवजा उन्हें मिल चुका है और इसकी डिटेल भी उपलब्ध है। भूमि कटान की जहाँ तक आपने बात की है। भूमि कटान में 02 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं मदकोट कस्बे में बाढ़ सुरक्षा पानी में बाढ़ सुरक्षा कार्य, जौलजीबी में बाढ़ सुरक्षा कार्य। मदकोट की है 951.34 लाख, बंगापानी में है 338.92 लाख जौलजीबी में है 996.69 लाख, यहाँ बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है और कृषि की क्षति के कारण ग्राम जुगदा में रू0 1560, ग्राम होक्रा में 99.125 एवं ग्राम कोली में रू0 01 लाख 80 हजार की धनराशि का भुगतान, मुआवजा दिया जा चुका है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन गांवो को बचाव के लिए जो कृषि योग्य भूमि है उसमें तटबंध बनाये जायेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने बताया कि जो स्वीकृत हो गये हैं वो ये हैं और जहाँ तटबंध बनाकर सुरक्षा करने की आवश्यकता होगी, वो सभी स्वीकृत किये जा रहे हैं, बनाये जा रहे हैं, ये भी बनाये जाएंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, ठीक है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय नरगोली में छात्रों के आवागमन हेतु पुल का निर्माण

1–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरगोली में गाँव के चौरा गधेरे में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय आने जाने हेतु विगत कई वर्षों से पुल नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरगोली व नरगोली गाँव को जोड़ने हेतु चौरा गधेरे में पुल निर्माण कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु सांकरी से ओसला तक सड़क/हल्का वाहन मार्ग का निर्माण

2–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा एवं पर्यटन विकास हेतु सांकरी से ओसला तक सड़क/हल्का वाहन मार्ग बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

कार्य पूर्व से ही स्वीकृत है, परन्तु मार्ग समरेखण में आने वाली वन भूमि गोविन्द वन्य जीव विहार पुरोला के अन्तर्गत आने के फलस्वरूप पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग निर्माण कार्य को वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सांकरी से तालुका तक स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण

3–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सांकरी से तालुका स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त धनराशि को गोविन्द वन्य जीव विहार द्वारा सड़क निर्माण हेतु हस्तान्तरित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

जी हाँ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा तालुका वन विश्राम गृह से आगे मोटर मार्ग निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नही उठता

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत जखोल से लिवाडी फिताडी मोटर का निर्माण

4–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत जखोल से लिवाडी फिताडी मोटर मार्ग बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

प्रश्नगत मार्ग के प्रथम 2.00 कि0मी भाग में मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष 2008–09 में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया हैं। इससे आगे के भाग में 20.27 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–09 अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 12 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत साकंरी–तालुका सड़क का चौडीकरण तथा तालुका से ओसला तक सड़क का निर्माण

5–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सांकरी तालुका सड़क का चौड़ीकरण और तालुका से औसला सड़क का निर्माण करने पर सरकार विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नही, तो क्यों?

श्री हरीश रावत–

कार्य पूर्व ही स्वीकृत है, परन्तु मार्ग समरेखण में आने वाली वन भूमि गोविन्द वन्य जीव विहार पुरोला के अन्तर्गत आने के फलस्वरूप पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग निर्माण कार्य को वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नही उठता

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जरमोला नौरी ब्याली खिमोत्रा बडियार वन मोटर मार्ग का स्थानान्तरण प्रस्ताव

6–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के जरमोला नौरी ब्याली खिमोत्रा बडियार वन मोटर मार्ग का स्थानान्तरण के प्रस्ताव को वन विभाग को भेजा गया है?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो कब ?

श्री हरीश रावत–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग वन मार्ग है जिसके लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण हेतु वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने तथा वन मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हो जाने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा ए0डी0बी0 के माध्यम से निर्मित मोटर मार्गों की संस्तुति

7–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मोटर मार्ग ए0डी0बी0 को किन कारणों द्वारा दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत--

ए0डी0बी0 वित्त पोषित उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (USRIP) की सड़क विकास योजना बनाते समय लो0नि0वि0, ए0डी0बी0 द्वारा जिन सम्भावित मार्गों का चयन किया गया, उसमें जनपद उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक में पुरोला से जरमोला मोरी मोटर मार्ग को भी सम्मिलित किया गया था। उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम हेतु ए0डी0बी0 की "निदेशक मण्डल के लिए अध्यक्ष की आख्या एवं संस्तुति" में जनपद उत्तरकाशी के उक्त मोटर मार्ग, जिसकी कुल लम्बाई 34.500 किमी0 है, का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें से उक्त मोटर मार्ग के 11.869 किमी0 का निर्माण कार्य ए0डी0बी0 वित्त पोषित उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत लागत रू0 734.78 लाख, वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-292/III(3)/2012-903 (ए0डी0बी0)/08 टी0सी0, दिनांक 28.06.12 द्वारा प्रदान की गयी है, जबकि अवशेष लम्बाई 22.631 किमी0 का सुधार कार्य अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में ही कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

8--श्री नवप्रभात--

द्वितीय सोमवार के अता0-1 में स्थाना0--

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत घर एवं रा0प्रा0वि0 ठंगा हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण

9--श्री ललित फर्स्वाण--

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत पड़ियार गधेरे में सुरक्षा दीवार न होने से पंचायत घर एवं रा0प्रा0वि0 ठंगा तथा आवासीय मकानों को खतरा बना हुआ है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि पूर्व में भी पड़ियार गधेरे में सुरक्षा दीवार बनवाने हेतु क्षेत्रवासियों द्वारा आग्रह किया गया है ?

यदि हाँ, तो कब तक पड़ियार गधेरे में सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

पड़ियार गधेरे में भू–कटाव होने के कारण पंचायत घर, रा0प्रा0वि0 ढांगा एवं कुछ आवासीय भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया था।

पूर्व में क्षेत्रवासियों द्वारा कोई आग्रह/शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

मा0 विधायक निधि एवं मनरेगा के अन्तर्गत लगभग 50–60 मीटर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में जनहित में मा0 कृषि मंत्री द्वारा दिनांक 07–01–2013 को मा0 मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में की गई घोषणा की पूर्ति के सम्बन्ध में

10–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि कृषि मंत्री द्वारा 07–010–2013 को मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में जनहित में घोषणायें की गयी थी ?

यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके द्वारा कितने समय में घोषित कार्यों के पूरा होने का वादा जनता को किया गया था ?

क्या उनके द्वारा की गयी घोषणाओं के शासनादेश कर दिये गये हैं ?

यदि, नहीं, तो क्यों ?

ससंदीय कार्य एवं वित्तमंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में कान्ट्रेक्ट फार्मिंग नीति के निर्णय के सम्बन्ध में

11--श्री नवप्रभात–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कांट्रेक्ट फार्मिंग की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में क्या नीति निर्धारित की गयी है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 79 में संविदा कृषि कर्म का प्राविधान है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रति उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 में व्यवस्था के अतिरिक्त कोई अन्य नीति निर्धारित नहीं की गयी है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में

12–श्री मालचन्द–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत आज भी बिजली न पहुंचने के कारण जनता आज भी अन्धकार में रहने के लिए विवश है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लिवाडी, फिताडी, कासला, रैक्चा, सावडी, तालुका, ढाटमीर, सेवा, बरी, खन्ना, मसरी, ओसला, गंगाड, पावणी, भितरी, खन्यासणी, पुजेली, सट्टा धौला, धुनारा डामटी विकासखण्ड पुरोला के बडियार पट्टी के सर बडियार पौंटी छानिका, लेपटाडी, कसलाव, किमडार, पौंटी आदि गांवों का विद्युतीकरण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में सेन्चुरी एवं घने जंगल के मध्य स्थित ग्रामों को उरेडा द्वारा ऊर्जीकृत किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र पुरोला एवं विकासखण्ड पुरोला के इंगित गांवो को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनपद के अन्य अविद्युतीकृत ग्रामों/तोकों के साथ सर्वेक्षण सूची में सम्बद्ध करते हुए सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 हेतु वाह्य एजेन्सी नियुक्त की जा चुकी है।

योजना के मानकों के अधीन इन ग्रामों/तोकों को डी0पी0आर0 में सम्मिलित करते हुएं भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किये जा रहे हैं। डी0पी0आर0 पर अनुमोदन के उपरान्त नियमानुसार इन ग्रामों/तोकों में विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बागवानी क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु में अभिशीलन भण्डार बनाने पर सरकार का विचार।

13–श्री मालचन्द–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के बागवानी के क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु में अभिशीलन भण्डार बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का विवरण तथा छात्रवृत्ति में केन्द्रीय एवं राज्यांश का प्रतिशत

14–श्री नवप्रभात–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति (स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को सम्मिलित करते हुए) का विवरण क्या है तथा इस छात्रवृत्ति में केन्द्रांश तथा राज्यांश का प्रतिशत कितना है ?

क्या वर्तमान शिक्षा सत्र तक छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को किया जा चुका है?

यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरीश रावत–

उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं:–

1. भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति (वित्तीय वर्ष 2014–15 से 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)
2. भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति। (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित)
3. भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक तथा मेरिट कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित)
4. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति।

उक्त योजनाओं का विवरण <u>(परिशिष्ट–'क') संलग्न</u> है।

(नोटः– कृपया देखें नत्थी "क" पृष्ठ 137–139 पर)

उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2013–14 तक छात्रवृत्ति के भुगतान का विवरण निम्नवत है:–

1– भारत सरकार की अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (75:25) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आवश्यक धनराशि रू0 700,83,501.33/– की मांग भारत सरकार से की गयी। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष–2014–15 में धनराशि रू0 5,25,62,626 (75 प्रतिशत) जारी की गयी। इस हेतु आवश्यक कुल धनराशि रू0 7,00,83,501.00/–(रू0 1,75,20,875,.33/– 25 प्रतिशत राज्यांश सम्मिलित करते हुए) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 590 लाख अवमुक्त किये गये, जिससे रू0 24966 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। अवशेष रू0 11083501.00/– जारी किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु आवश्यक धनराशि की बजट व्यवस्था यथाप्रक्रिया की जानी प्रस्तावित है।

2– उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 56.27 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिसे 744 छात्र/छात्राओं के खातों में हस्तान्तरित करते हुए लाभाविन्त किया गया। वर्तमान शिक्षा सत्र 2014–15 में इस हेतु रू0 3.3456 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

3– स्नातक तथा मैरिट कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 154.96 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसे 572 छात्र/छात्राओं के खातों में हस्तान्तरित करते हुए लाभान्वित किया गया। वर्तमान शिक्षा सत्र 2014–15 में इस हेतु रू0 2.295 करोड की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

4– राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत राज्य पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 1200.00 लाख की धनराशि जनपदों की मांग के अनुसार आवंटित की गयी है, जिससे कुल 200309 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान शिक्षा सत्र 2014–15 में इस हेतु रू0 9.50 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा मोटर मार्गों का निर्माण

15–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार माटिया से बौख टिब्बा, पोरा से मुन्दियाटगाँव, कुवा से छुडी तेडा, चामी से फबाणगाँव, मोलागाँव से नौगाँव गोउर डुकरा, सिमलसारी से दारसों छमरोटा से भंकोली मोटर मार्ग, कण्डाउ रस्टाडी मोटर मार्ग, कन्सोला से सुनार छानी, साडा से थली मोटर मार्ग खान्सी से द्रोणी कन्ताडी मोटर मार्ग तक की सड़कों का निर्माण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

प्रश्नगत मोटर मार्गों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति निम्नवत है:–

1–कुवा से छुडी तेडा मोटर मार्ग:–

यह मोटर मार्ग 15 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 13.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 2.00 कि0मी भाग में पहाड़ कटान कार्य प्रगति पर है।

2–सिमलसारी से दारसों मोटर मार्ग:–

यह मोटर मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही गतिमान है।

3–कण्डाउ से रस्टाडी मोटर मार्ग:–

यह मोटर मार्ग 8.00 कि0मी0 लम्बाई में वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृत है। मार्ग संमरेखण में आने वाली वन भूमि प्रस्ताव पूर्व में भारत सरकार द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में आपत्तियों के निराकरणोंपरांत वन भूमि प्रस्ताव पुनः वन विभाग को प्रेषित किया गया है।

4–छमरोटा से भंकोली मोटर मार्ग–

इस मार्ग का निर्माण 06 कि0मी0 लम्बाई (01 सेतु सहित) में किये जाने हेतु प्रथम चरण से संबंधित कार्यों का आगणन वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

5–खान्सी से द्रोणी कन्ताडी मोटर मार्ग–

वर्तमान में इस नाम से कोई मोटर मार्ग स्वीकृत नही है, परन्तु पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–07 के अन्तर्गत हडोली, पानी गाँव से कन्तारी तक 5.97 कि0मी0 तथा पौन्टी मोल्डा खान्सी मोटर मार्ग के विस्तार के अन्तर्गत 11.70 कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त दोनों मोटर मार्गों के निर्माण के उपरांत कन्तारी तथा खान्सी ग्राम को मोटर मार्ग संयोजकता प्राप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त द्रोणी गांव को मोटर मार्ग से जोड़े जाने हेतु मार्ग निर्माण की स्वीकृति राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

6–पोरा से गुनिदयाटगांव मोटर मार्ग–

पोरा गांव डैरिकाधुनगिर हलका वाहन मार्ग के कि0मी0 03 में एवं गुनिदयाटगांव, खाबली–गुनिदयाटगाँव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में स्थित है। अतः उक्त दोनों ग्राम पूर्व से ही सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं।

उक्त के अतिरिक्त गाटिया से बौख टिब्बा, चामी से फवाणगांव, मोलागांव से नौगांव गोडर दुकरा, कन्सोला से सुनारा छानी तथा साड़ा से थली तक मोटर मार्ग स्वीकृत नही है। इन ग्रामों हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण

16–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कुड कोटला में पूर्व में स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत मार्ग के समरेखण में आने वाली वन भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही गतिमान है। वन भूमि हस्तांतरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

जनपद उत्तरकाशी में पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आराकोट–थुनारा सड़क बनाये जाने पर विचार

17–श्री मालचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत आराकोट थुनारा सड़क बनाने पर विचार करेंगी? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

कार्य की स्वीकृति राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंहनगर में रूद्रपुर मण्डी समिति को उपलब्ध 50 एकड़ भूमि का समिति द्वारा प्रस्तावित उपयोग

18–श्री नवप्रभात–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर में रूद्रपुर कृषि मण्डी समिति को उपलब्ध करायी गयी 50 एकड़ भूमि का समिति द्वारा क्या उपयोग प्रस्तावित है ?

क्या प्रस्ताव अनुसार उपयोग के लिए समिति के पास संसाधन उपलब्ध है ?

यदि हाँ, तो क्या समिति ने प्रस्तावित उपयोग प्रारम्भ कर दिया है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार भूमि का अन्यत्र सदुपयोग करने पर विचार कर रही है?

श्री हरीश रावत–

उक्त भूमि पर टर्मिनल खाद्यान्न मण्डी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

अल्मोड़ा जिले में ताड़ीखेत स्थित विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत वितरण व्यवस्था सुचारू करने के सम्बन्ध में

19—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले में ताड़ीखेत से भिक्यासैण, सल्ट, स्याल्दे, मानिला के विद्युत उपकेन्द्रों को जोड़ने वाली मुख्य विद्युत लाईन आंधी या बर्फ गिरने के कारण अधिकांशतः ताड़ीखेत के पास से टूट जाती है और तीनों विकास खण्डों में कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा पम्पिंग पेयजल योजनायें भी प्रभावित हो जाती हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसे रोकने हेतु कोई प्रयास करेगी?

यदि हाँ, तो क्या और कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत—

जी हाँ।

जी हाँ।

33 के0वी0 लाईन ताड़ीखेत क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु 33/11 के0वी0 उपसंस्थान ताड़ीखेत एवं द्वाराहाट के मध्य पूर्व में निर्मित 33 के0वी0 लाईन (लम्बाई 15 कि0मी0 लगभग) जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है, के मरम्मत/पुनर्निर्माण कर 33/11 के0वी0 उपसंस्थान ताड़ीखेत एवं द्वाराहाट को जोड़कर रिंग मेन बनाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित 33 के0वी0 लाईन से ताड़ीखेत के भिक्यासैण, सल्ट एवं मानिला क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति सुचारू की जा सकती है। इस हेतु सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 19 फरवरी 2014 को मोटर मार्गो के नव निर्माण/ डामरीकरण की स्वकृति उपरान्त शासना देश जारी करने के सम्बन्ध में

20—श्री महावीर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी ने 19 फरवरी 2014 को निम्नलिखित मोटर मार्गों के नवनिर्माण/विस्तारीकरण/डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान की थी ?

यदि हाँ, तो मण्डखाल–गैर–नगुण लालूरी–कोटी मेहरू दुधली–ढिबोगी, भवान–साटागाड, रत्वाढी–कमान्द–ज्वारना मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं ढागा से लगड़ासू पापरा से औड़ार्सू थपला से सूरीधार दुडगा पुल–शीर्ष–मंगलोडी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नवनिर्माण किन्तु अभी तक शासनादेश जारी नही हुआ है तथा इनके शासनादेश कब तक जारी किये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

प्रश्नकर्ता मा0 विधायक के पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2014 में उल्लिखित कार्यों के संबंध में विभाग से प्रस्ताव/आगणन प्राप्त किये जा रहे हैं।

कार्य की स्वीकृति राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सरतली–घण्डियाला मोटर मार्ग के नव निर्माण

21–श्री महावीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सरतली–घण्डियाला मोटर मार्ग के नव निर्माण पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत बी0बी0 रोड़ के कि0मी0 79 स्थान जाखधार में बरसात में से मार्ग ध्वस्त होने के कारण वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था

22–श्री महावीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत बी0बी0 रोड़ के कि0मी0 79 स्थान जाखधार में बरसात के समय हर वर्ष भूस्खलन होने के कारण मार्ग पूर्णतया ध्वस्त हो जाता है जिस कारण लगभग महीनों तक आवागमन बन्द रहता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर वैकल्पिक मार्ग बनाने हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश रावत--

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत मोटर मार्ग के कि0मी0 79 पर भूस्खलन आने के कारण 03 कि0मी0 लम्बाई में वैकल्पिक मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश सं0--3233 दिनांक 26.05.2014 के द्वारा प्रथम चरण से संबंधित कार्य के आगणन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से अपनी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहूँगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, जनरल मत पूछना, टू द प्वाईंट पूछो।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न से सम्बन्धित पूछिये। जो मूल प्रश्न है उसमें यदि कोई अनुपूरक बोलना चाहें तो बोलिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ सल्ट विधान सभा क्षेत्र में पिछले वर्ष कितने ही लोगों के खेत आपदा में बह गये थे। इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तटबन्ध बनाने के लिये पैसा मेरी विधान सभा में नहीं दिया गया है। क्या सरकार पहाड़ में तटबन्ध बनाने के लिये पैसा देगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, प्रश्न लगा लो या काल एटेन्शन ले आओ, ऐसे कैसे उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्षः--

इस प्रश्न से यह सम्बन्धित नहीं लग रहा है। आपदा का प्रश्न आप अलग से लगा लें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह आपदा का मामला है। क्या सरकार तटबन्ध बनायेगी? सरकार द्वारा चौखुटिया और पिथौरागढ़ में पैसा दिया जा रहा है, परन्तु हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह ठीक है। आप अपना अलग से प्रश्न लगाईये तो उसमें सरकार जवाब देगी।

(प्रश्नकाल समाप्त हुआ।)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 नहीं है। आज नियम 300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन कौशिक, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री राजेश शुक्ला, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री आदेश चौहान, श्री ललित फर्स्वाण, श्री प्रेम सिंह राणा, श्री माल चन्द, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री चन्दन राम दास, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री राजेश शुक्ला, श्री ललित फर्स्वाण,श्री प्रेम सिंह राणा, श्री चन्दन राम दास, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को नियम 300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

महाविद्यालयों के अभाव में छात्र–छात्राओं का उच्च शिक्षा से वंचित रहने के कारण हो रहे आकोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरी विधानसभा सल्ट प्रदेश की दुर्गम क्षेत्र की विधानसभाओं में से एक है और विधानसभा में महाविद्यालयों की स्वीकृति मानकों के अनुसार न होने के कारण बहुत से छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सल्ट विकास खण्ड में एक मात्र महाविद्यालय जो मानिला में है वहाँ से सराईखेत व मरचूला क्षेत्र की दूरी लगभग 50 कि0मी0 से भी अधिक है जिस कारण छात्र–छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो प्रवेश ले भी लेते हैं वह भी आवागमन के साधनों की उपलब्धता ना होने के कारण अध्ययन नहीं कर पाते, इसी कारण क्षेत्रीय जनता वर्षों से सराईखेत व मोलेखाल क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने की माँग करती आ रही है, परन्तु आज समय तक कोई भी सुनवायी नहीं होने और युवाओं के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण उनमें भारी रोष है और वह कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र ही दोनों स्थानों पर महाविद्यालय की स्वीकृति की माँग करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर में ए0डी0बी0 तृतीय फेज में प्रस्तावित किच्छा विधान सभा क्षेत्र की लालपुर–आनन्दपुर मोड़ का निर्माण न होने से आम जनता को हो रही कठिनाई विषयक नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश शुक्ला–

[मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर में ए0डी0बी0 थर्ड फेज में प्रस्तावित किच्छा विधान सभा क्षेत्र की लालपुर–आनन्दपुर मोड़ (नगला) मार्ग जो पिछले 20 वर्षों से जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, का निर्माण न होने से उक्त मार्ग से जुड़े हुए विधान सभा के दर्जनों ग्राम जिनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानानियों के कई ग्राम सम्मिलित हैं। यहाँ के निवासियों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में कई बार जनता द्वारा धरना–प्रदर्शन एवं विरोध जताया जा चुका है तथा शासन–प्रशासन द्वारा शीघ्र ही इस मार्ग के निर्माण की बात कही जा रही है। किन्तु अभी तक उक्त मार्ग पर निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि राज्य में ए0डी0बी0 थर्ड फेज की अन्य प्रस्तावित सड़कों पर निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। ऐसे में उक्त मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू न होने से जनता में यह संदेश जा रहा है कि चूंकि उक्त विधान सभा क्षेत्र से भाजपा का विधायक निर्वाचित हुआ है इस कारण प्रदेश सरकार जानबूझकर इस मार्ग के निर्माण में हीला–हवाली कर रही है। मैं इस अति लोक महत्व की सूचना पर नियम–300 के अन्तर्गत चर्चा की मांग करता हूँ।]

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा रमसा के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा रमसा के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत विभाग द्वारा लाखों रूपये के योग विषय की पुस्तकें क्रय की गई हैं। ये किताबें पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ायी जा रही हैं, जिससे सरकार के खजाने का दुरूपयोग हो रहा है। अनेक विद्यालय सुविधा विहीन हैं, किन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुपयोगी पुस्तकों को लाखों रूपये खर्च कर खरीदा गया है। मामला सरकारी धन के दुरूपयोग का है व जनहित का होने से महत्वपूर्ण है। लाखों रूपये अनावश्यक रूप से खर्च कर पुस्तक क्रय कर गोदामों में सड़ रही हैं, जिसकी जाँच कर आवश्यक कार्यवाई की जानी आवश्यक है।

अतः मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नानकमत्ता विधान सभा को विभिन्न ग्राम पंचायतों, विभिन्न स्थानों एवं जगह–जगह पर बिजली के तारों के झूलने से बने खतरे के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम सिंह राणा–

[मान्यवर, नानकमत्ता विधान सभा में विभिन्न ग्राम पंचायतों, विभिन्न स्थानों एवं जगह–जगह तारें झूल रही हैं। विद्युत पोल की विभिन्न स्थानों में आवश्यकता है, कई ग्राम पंचायतों में ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है। आंधी तूफान या विषम परिस्थितियों में झूलती तार से हमेशा खतरा बना रहता है और कई स्थानों में लोगों के घरों के ऊपर से 1100 हजार की लाईन जा रही है। उक्त लाईननों की शिफ्टिंग होना नितान्त आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में स्थित नैल मजवे डुंगर गाँव मोटर मार्ग 1998 से स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में स्थित नैल मजवे डुंगर गांव मोटर मार्ग जो गाँधी ग्राम व शहीद गाँव के नाम से जानी जाती है, जो 1998 से स्वीकृत होकर आज तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ पायी है। जिस कारण जहाँ शहीद का अपमान हो रहा है, वहीं लो0नि0वि0 की लापरवाही व शासन स्तर पर बार–बार रिवाइज्ड इस्टीमेट मंगा कर उसे स्वीकृत न करके गाँधी जी के नाम को भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति के बाद भी इसके रिवाइज इस्टीमेट को स्वीकृति नहीं मिलने से क्षेत्र की जनता चुनाव का बहिष्कार तक कर चुकी है, इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल इस मोटर मार्ग के लिए धन अवमुक्त किये जाने का अनुरोध करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री यतीश्वारानन्द का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड कनालीछिना ग्राम पंचायत ख्यांतड़ी के अनुसूचित जाति ग्राम ग्वेता में 20 वर्ष पूर्व की पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने से पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड कनालीछीना ग्राम पंचायत ख्यातड़ी के ग्राम–ग्वेता जो अनुसूचित जाति का गांव है। 20 वर्ष पूर्व पेयजल की

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना बनाई गयी थी। पेयजल योजना क्षतिग्रस्त है तथा स्रोत गर्मियों में सूख जाने के कारण पेयजल की समस्या बनी हुई है। विभाग से कई बार पेयजल को लेकर मांग की है। विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न होने के कारण जनता आंदोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन से शीघ्र कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 310 के अन्तर्गत नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट तथा अन्य माननीय सदस्यों की सूचना प्राप्त हुई है। इसको मैं नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014

(अध्यादेश संख्या–02 वर्ष 2014) (सदन के पटल पर रखा गया)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या–02 वर्ष 2014) को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या–03 वर्ष 2014) को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी,2014 को पारित किया गया था,पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का चौथा अधिनियम बन गया।

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पाँचवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का छठवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का नवां अधिनियम बन गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधानसभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि ''भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का दसवां अधिनियम बन गया।''

उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधानसभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि "उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।"

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधानसभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि " उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का बारहवां अधिनियम बन गया।"

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधानसभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि "उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का तेरहवां अधिनियम बन गया।"

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधानसभा:–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि "उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का चौदहवां अधिनियम बन गया।"

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधानसभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि "उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।"

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (अधिनियम)

सचिव, विधानसभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि "उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का सोलहवां अधिनियम बन गया।"

देहरादून पुराने बस अड्डा गाँधी रोड की जमीन को सरकार के उपयोग में लिए जान के सम्बन्ध में याचिका

*श्री राजकुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "देहरादून पुराने बस अड्डा गाँधी रोड की जमीन को सरकार के उपयोग में लिए जान के सम्बन्ध में" श्री दिलशाद कुरैशी निवासी इनामुल्ला बिल्डिंग, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के गाँधी नेत्र चिकित्सालय प्रीतम रोड (डालनवाला) के निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजकुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के गाँधी नेत्र चिकित्सालय प्रीतम रोड (डालनवाला) के निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री महेश रावत, निवासी प्रीतम रोड (डालनवाला क्षेत्र) एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग–नरगोली–खातीगांव मोटर मार्ग के शेष 3.05 कि0मी0 में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग–नरगोली–खातीगांव मोटर मार्ग के शेष 3.05 कि0मी0 में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री लक्ष्मण सिंह रौतेला, निवासी ग्राम व पो0 नरगोली, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद–बागेश्वर कपकोट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज देवतोली में रिक्त प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के पदों को भरे जानें के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद–बागेश्वर कपकोट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज देवतोली में रिक्त प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में" श्री भगवत सिंह रौतेला, निवासी–ग्राम व पो0 नरगोली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जल संस्थान द्वारा की गयी खुदाई से अनेकों स्थानों पर पानी एवं सीवर लाईन आपस में मिल जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजकुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जल संस्थान द्वारा की गयी खुदाई से अनेकों स्थानों पर पानी एवं सीवर लाईन आपस में मिल जाने के सम्बन्ध में" श्री अशोक कुमार निवासी 106/3 मोहिनी रोड देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा निर्मित ओवरहेड टैंक से पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजकुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा निर्मित ओवरहेड टैंक से पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अशोक कुमार, निवासी–संजय कालोनी देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री मदन कौशिक मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–65 के अन्तर्गत विधान सभा का सत्र आहूत किये जाने के उपरान्त दिनांक 05 जून, 2014 को कैबिनेट की बैठक कर नीति सम्बन्धी योजना सदन से बाहर मीडिया में किये जाने सम्बन्धी सूचना पर विशेषाधिकार का प्रश्न।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा इस सत्र को आहूत करने की अनुमति प्राप्त होने के बाद जो विधिवत् रूप से इस विधानसभा का कार्यक्रम जारी होने के उपरान्त दिनांक 5–06–2014 में कैबिनेट की बैठक अल्मोड़ा में आहूत की गई। माननीय अध्यक्ष जी, यह परम्परा भी नहीं है और ये सदन के सम्मान की बात भी होती है कि जब सदन आहूत हो जाता है, महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के बाद कोई भी नीतिगत निर्णय होता है अथवा विकास की कोई भी घोषणा होती है, वह नीतिगत निर्णय, विकास की योजना की घोषणा होती है वह इस सदन के सम्मुख और इस सदन में की जाने की परम्परा रही है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी 5 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक हुई है इससे इस सदन का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस बुलाकर प्रेस के सम्मुख सरकार की सारी योजनायें और सरकार के सारे नीतिगत निर्णय बताये गये और यही नहीं इसके बावजूद न केवल अधिकारियों द्वारा अपितु पार्टी के प्रवक्ता द्वारा भी इस चीज की घोषणा की गई। माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट आज 4.00 बजे आपकी अनुमति से इस सदन के सम्मुख आना है जिसकी अनुमति भी महामहिम राज्यपाल के द्वारा प्राप्त हुई है वह कितने का बजट होगा उसकी घोषणा भी वहाँ की गई। माननीय अध्यक्ष जी, इससे बड़ी इस सदन की अवमानना क्या हो सकती है, इस सदन द्वारा उस बजट को अपनी अनुमति प्रदान नहीं की गई है, अभी बजट इस सदन के सम्मुख आया नहीं है और कितने का बजट होगा यह बाकायदा सारे समाचार पत्रों में छापा गया है और यही नहीं वे कहते हैं कि उनको सूत्रों से पता चला है, तो प्रेस में बताया गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत चुनाव की अधिसूचना इस प्रदेश में जारी है और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त भी इस तरह के नीतिगत निर्णय भी कहीं न कहीं विधानसभा के पटल पर आने के बाद यदि घोषणा होती है तो माना जाता है कि सदन का सम्मान हुआ है, लेकिन सरकार ने किस कारण से ऐसा किया है, कितनी जल्दी में हैं यह तो सरकार ही बता पायेगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो सारे कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय जो इस सदन में आने हैं उनकी घोषणा पहले हो चुकी है और उनकी सबकी लिस्ट इस समय मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से इससे बड़ी सदन की अवमानना नहीं हो सकती है और सदन की अवमानना के संबंध में कार्य संचालन नियमावली के अध्याय–11 के नियम–67 के अन्तर्गत उसका आधार बनता है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको अवमानना के रूप में आप स्वीकार करते हुये इस पर आगे कार्यवाही की अनुमति दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 (पुरःस्थापित)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 (पुरःस्थापित)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 (पुरःस्थापित)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 को पुरःस्थापित किये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेशः–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014 (पुरःस्थापित)

*श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014 को पुरःस्थापित किये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014 को पुरःस्थापित किये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014
(पुरःस्थापित)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेशः–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश)

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 06 जून, 2014 की बैठक में दिनांक 09 जून से 11 जून, 2014 तक के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

जून 2014

09 सोमवार	1.	औपचारिक कार्य।
	2.	अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाना।
	3.	अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण (04:00 बजे अपराह्न)
10 मंगलवार	1.	विधायी कार्य।
	2.	अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदन।
11 बुधवार	1.	विधायी कार्य (आधा दिवस)।
	2.	असरकारी कार्य।

निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

1. श्री नवप्रभात–

"सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान" की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान" स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये "गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय।

2. श्री मदन कौशिक–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं प्रदूषण को समाप्त करने के लिये एक स्पष्ट नीति बनायी जाय। नीति में राज्य के अधिकार के बाहर के विषयों को सदन के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाय तथा भारत सरकार से अनुरोध किया जाय कि राज्य हित में इन विषयों को तत्काल लागू करें।"

3. श्री भीम लाल आर्य–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) में स्थित प्रसिद्ध टिहरी बांध के ऊपर आम जनता को आवागम की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाय"

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर,2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :– (15 मिनट)

   "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"

2. डा0 शैलेन्द मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर,2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :– (15 मिनट)

   "इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

3. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम– 105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :– (15 मिनट)

   "उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :– (15 मिनट)

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :– (15 मिनट)

"दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नही हैं विशेषकर सदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव हैं।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्राविधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित हैं। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नही किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन यू0 ए0 स्टेट ब्रांच ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये है, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नही हो सकी है।"

6. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:– (15 मिनट)

"विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मत्स्य विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मत्स्य विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय"

7. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :– (15 मिनट)

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में।"

8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा हेतु:– (15 मिनट)

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

9. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:– (15 मिनट)

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

10. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत 20 फरवरी, 2014 नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:– (15 मिनट)

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

11. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:– (15 मिनट)

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005–25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005–2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:–

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिचौली, 12. मिस्सरपास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. शिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।"

12. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर, चर्चाः–(15 मिनट)

"उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।"

श्रीमती इन्दिरा हृदयेशः–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य 1–श्री सुरेन्द सिंह जीना, 2–श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान, श्री संजय गुप्ता, श्री यतीश्वरानन्द, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री अरविन्द पाण्डेय एवं श्री चन्द्रशेखर, 3–श्री पूरन सिंह फर्त्याल, 4–श्री अरविन्द पाण्डेय, 5–श्री राजेश शुक्ला, 6–श्री पुष्कर सिंह धामी, 7–श्री महावीर सिंह रांगड, 8–श्री आदेश चौहान, 9–श्री दलीप रावत, 10–श्री चन्दनराम दास एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, 11–श्री यतीश्वरानन्द, 12–श्री बिशन सिंह चुफाल तथा 13–श्री माल चन्द की कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1– श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान, श्री संजय गुप्ता, श्री यतीश्वरानन्द, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री अरविन्द पाण्डेय एवं श्री चन्द्रशेखर, 2–श्री राजेश शुक्ला, 3–श्री दलीप रावत, 4–श्री चन्दन राम दास एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा 5–श्री मालचन्द की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगा। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

नियम–310 पर विपक्ष द्वारा पुनः चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आपदा का मामला है, आपने कहा था कि इसको हम बाद में सुनेंगे। मान्यवर, यह मामला इतना गंभीर मामला है, आपदा का, यह 310 से कम का मामला नहीं बनता है। यह बहुत भयंकर मामला है। आज तक भी लोगों को वहाँ पर छत नहीं मिली है। लोग परेशान हैं, त्राहि–त्राहि का वातावरण है। पूरे देश में यह मैसेज है कि उत्तराखण्ड नहीं जाना चाहिए। सरकार आज तक विश्वास नहीं जगा पायी है और जोशीमठ से आगे आज गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे हैं और बहुत बड़ी अफरा–तफरी का वातावरण है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है........।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को नियम–58 में ले रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो 310 का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम–58 में लिया जा रहा है। माननीय मदन कौशिक जी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने प्रश्नकाल चलाने में पूरा सहयोग किया है और पूरी तरह से हमने यह मैसेज देने की कोशिश करी है कि कहीं पूरे प्रदेश में न तो सरकार की तरफ से न विपक्ष की तरफ से यह मैसेज जाए कि खाली नौटंकी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जब इतने गंभीर मुद्दे को नहीं सुना जाता है, इसमें सारे लोग भाग लेना चाहते हैं, जो स्थिति आज हुई है। इसलिए 310 में चर्चा की मांग करते हैं। हमारे होटल व्यवसायी, जिनको कि वहाँ पर भूखों मरने की नौबत आ गयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, नियम–58 के अन्तर्गत आपकी सूचना को ग्राह्य कर रहे हैं और जितने माननीय सदस्यों के उसमें हस्ताक्षर हैं, उन सबको बोलने का समय दिया जाएगा। नियम–58 में हम उसको ले रहे हैं। माननीय मदन कौशिक जी, आप शुरू कीजिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह 310 का मामला है और बहुत बड़ी बात है। यह कोई छोटा मामला नहीं है। क्योंकि आपने बड़ी कृपा करके पहले भी 310 में सुना था लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी, सरकार के मुखिया या सरकार जो भी कहें, उस पर 4 महीने तक कोई वार्ता नहीं की।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करती हूँ कि जब नियम 58 में यह स्वीकार हो गया है और जितने माननीय सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर हैं, उन सबको बोलने दिया जाएगा, तो अब कोई बात ही नहीं है। सारे सदस्य बोलें। परन्तु नियम 58 में यह स्वीकार हुआ है। 310 में तो यह स्वीकार भी नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को 310 में लें। इस मामले को सुनें क्योंकि आज हम उसी धरती पर बैठे हैं, उसी उत्तराखण्ड की बात कर रहे हैं और जो प्रभावित क्षेत्र है, उसी चमोली जिले में हम बैठे हैं। अभी तक भी यहाँ पर रास्ते, सड़क, पुल, पुलिया, राशन, दवाई, स्कूल सब अव्यवस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष–

मेरा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि उन्होंने जो सूचना 310 में दी है, उसको हमने नियम 58 में ग्राह्य करने का निर्णय लिया है। माननीय भट्ट जी, पहले निर्णय हो चुका है कि इसको 58 में ग्राह्य करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम 4 जिलों के मध्य में यहाँ पर बैठे हैं। हम राजधानी के मध्य में बैठे हैं। चाहे पिथौरागढ़ जिला हो, चाहे उत्तरकाशी जिला हो, चाहे चमोली हो, चाहे रूद्रप्रयाग हो, कोई भी जिला हो, मान्यवर, हम लोग यह चाहते हैं कि इसको 310 में सुनें। कोई सरकार को खतरा होने वाला नहीं है, इसको सुनने से। सभी लोगों को इसमें बोलने का मौका मिलेगा और सरकार को इसमें जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश:–

मान्यवर, 310 में इस समय लिया ही नहीं जा सकता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारा भी ज्ञान बढ़ा दीजिए। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा भी ज्ञान बढ़ा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमें ज्ञान दे दीजिए क्योंकि इस समय तो 310 में लिया ही नहीं जा सकता है। 310 या तो प्रारम्भ में होता है। अब कार्यस्थगन का समय आ गया है। 58 में स्वीकार हो गया है। हमारा ज्ञान बढ़ा दीजिए, अब 310 कहाँ से आ रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ज्ञान तो आप हमारा बढ़ा दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, पुराने सदस्य हैं, हमारा ज्ञान बढ़ा दें कि नियम 58 का जब समय आ गया और उसमें ले लिया गया, माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि जितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, सब बोलेंगे। चर्चा के लिये सरकार तैयार है, आपको प्रत्येक बिन्दु का जबाब दिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपना ज्ञान बढ़ा लूँ और उनको यह भी बता दूँ कि नियम 310 में किसी भी समय सूचना दी जा सकती है। सदन प्रारम्भ होने से लेकर, सदन समाप्त होने तक किसी भी समय 310 की सूचना दी जा सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, पीठ से विनिश्चय आ चुका है, नियम 58 में ग्राह्य किया गया है, इसलिये आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ठीक है, हम पीठ का सम्मान करते हैं, हमारे सारे सदस्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 58 में बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, संवेदनशील है, तात्कालिक है, आज एक साल होने जा रहा है, आज बरसी होने जा रही है, पीड़ित लोग आंसू बहा रहे हैं, आज भी लोगों को ठिकाना नहीं मिला है। विस्थापन की व्यवस्था नहीं है, हम लोग यहां गैरसैंण में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, पीठ से विनिश्चय आ चुका है कि आपकी 310 की सूचना को नियम 58 में ग्राह्य कर लिया गया है और 58 में जिस बिन्दु पर वह आयेगा, उसमें आप पूरी चर्चा करिये, कृपया, शांतिपूर्वक बैठिये। माननीय मदन कौशिक जी, आपकी नियम 58 की सूचना है, उस पर आप अपना वक्तव्य रखिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने सुबह विश्वास दिया था कि हम इसको ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

हमने नियम 58 में लेने की बात कही थी, 58 में ग्राह्य करेंगे कहा था।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने 310 में कहा था।

श्री अध्यक्ष–

हमने 58 में लेने को कहा था, वह कार्यवाही में दर्ज होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने कहा था कि इसको बाद में ले लेंगे, क्योंकि सूचना ही 310 की थी। इसलिये हम उस समय चुप रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चलिये, आपको भी 58 में ले लेंगे, आप बोलिये (व्यवधान) माननीय चुफाल जी, आप बैठिये। (व्यवधान) आज जो सूचनायें ली जानी थीं, वह ले ली गई हैं। आपकी नहीं आई, आप दोबारा लगाईये, हो सकता है, भविष्य में आ जाय।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, भविष्य का सवाल है, अपनी बात यहां पर नहीं रखेंगे तो कहां पर रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, सदन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत चलती है, पीठ से विनिश्चय आ चुका है और उसके बाद माननीय सदस्य अगर सदन को चलाने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल जी की सूचना इसलिये महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ......।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आज नहीं आ पायेगी, इस पर विनिश्चय आ चुका है। कल दे दीजिये, हम कल सुन लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम पीठ का सम्मान करते हैं, आपने विनिश्चय दे दिया, तो आप आज नहीं ले पायेंगे, लेकिन यह सूचना इसलिये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुन्स्यारी जैसी जगह से शिक्षा मित्रों को सरकार बदल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात रखिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब कि शिक्षा मित्रों की बदली नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको बदला गया है, सरकार कहती है कि हम पहाड़ों का भला करेंगे, उनका अच्छा करेंगे, उसी सरकार की कलम से मुन्स्यारी से पिथौरागढ़ में दो लोग अटैच किये गये हैं। जबकि शिक्षा मित्र सिर्फ वहीं के लिये होते हैं, इसलिये उनकी सूचना बहुत बढ़िया सूचना है, प्रदेशव्यापी सूचना है। सरकार में हाथी की तरह खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आप अपनी सूचना पर बात रखिये।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारी 310 की सूचना तो ली नहीं, हमने समझा कि आपने 310 में बाद में सुनूंगा कहा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आप पीठ पर यह आरोप गलत लगा रहे हैं। कार्यवाही उठाकर देख लीजिये, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर आप इस तरह की गलत बात सदन के अन्दर कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छा सन्देश नहीं जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि बाद में इसको सुन लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

हमने स्पष्ट कहा है कि आपकी 310 की सूचना को हम नियम 58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे, मैंने यह शुरू में ही कहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, शुरू में कहा है तो हमारी गलती हुई है, हम मान लेते हैं। परन्तु आपके द्वारा जो बात उस समय आई, वह स्पष्ट नहीं सुनाई दी, आपने इतने हल्के से बोला कि वह माईक में सुनाई नहीं पड़ी।

श्रीमति इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, लगता है, कान गड़बड़ा गये हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारे कान बहुत तेज हैं, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, हमारे आंख और कान दोनों तेज हैं।

कार्य–स्थगन की सूचना में परिवर्तित नियम–310 की सूचना पर चर्चा

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारी 310 की सूचना को 58 में बदला है और कहा है कि जितनों के हस्ताक्षर हैं, सबको सुनूंगा। इसको भी हम 310 के ही अनुरूप हम मानते हैं। मान्यवर, आपदा को एक साल पूरा होने जा रहा है, अभी 16 तारीख को आपदा की बरसी होने वाली है, कितने लोग मरे, कितनों के घर बिछुड़े, कितनों के घर–परिवार बर्बाद हुये। इस बात को पूरे सदन के लोग जानते हैं और आप भी इसे बखूबी जानते हैं। आपदा के समय हम सभी लोग एक होकर आपदा से निपट रहे थे, हमने बार–बार कहा है कि जो आपदा आई है, उसे कोई सरकार या मनुष्य नहीं लाया है, वह एक प्राकृतिक कृत्य था, दैवीय कृत्य था, ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि वह आपदा आई, लेकिन आपदा आने के बाद सरकार जिस तरह से सोई रही, सरकार ने जिस तरह से हाथ पर हाथ धरे रखा, उसको आपने भी देखा और कई बार सार्वजनिक मंचों से इसे कहा भी था। पिछली बार 310 में इस बात को उठाया भी गया, पूरे सदन ने आपदा के मुद्दे पर, आपदा में की गई बर्बादी पर, आपदा में की गई कोताही पर, आपदा में की गई लापरवाही पर, आपदा पर की गई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टेंडिंग पर सारे लोगों ने यहां पर सदन में अपना–अपना मत रखा और आपने कृपापूर्वक तुरन्त सरकार को यह निर्देश भी किया था कि अतिशीघ्र रास्ते ठीक करें, सड़क ठीक करें, पुल ठीक करें, पुलिया ठीक करें, स्कूल चलायें और सारी चीजों को दुरूस्त करें। उसके बाद जब आपकी बात नहीं मानी गई, तीन महीने बाद, जब दोबारा सत्र चला तो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे विधान मण्डल दल ने आपके सम्मान की बात उठाई। सरकार ने आपका सम्मान नहीं किया, आपकी एक भी बात नहीं मानी, हमने कहा कि आपने क्या–क्या किया आप यहां पर बताईये और उसके बाद आपको दोबारा निर्देश देना पड़ा। हम लोग सदन के लिये हैं, सदन का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, हमको इससे मतलब नहीं है। अगर सदन का अपमान होता है, किसी सदस्य का अपमान होता

है, पीठ का अपमान होता है तो उसकी रक्षा करने का काम करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, जबकि यह सबका होना चाहिये था। पीठ से जब कोई निर्देश आता है, उसका पालन होना चाहिये, अभी आपने कहा हमने आपकी 310 की सूचना को 58 में बदल दिया, भले ही हमारे कानों ने उसको न सुना हो, गलत सुना हो, हमने पीठ का सम्मान करते हुये कहा, जब दे दिया तो दे दिया, चोट पड़ गई तो पड़ गई, अब ऐसी कोई बात नहीं, आदेश हो गया तो हो गया। मान्यवर, जो आज भी आपदा की स्थिति है, मैंने पिछली बार सवा दो घंटे बोलकर एक–एक बात को आपके सामने रखा था और हमारे एक–एक सदस्य ने इसमें हिस्सा लिया था। सबने सारी चीजें यहाँ पर बताई थी और सरकार की कमियां एक–एक करके गिनाई थीं। सरकार ने कोई काम नहीं किया, इतना काम तो कोई भी कर लेता, यदि हम कहीं से मजदूर उठाकर लगा लेते और किसी को ठेके पर काम दे देते, कोई ठेका कर लेता, सरकार को हटा देते, कह देते कि ठेकेदार तुम कुछ दिनों के लिये सरकार बन जाओ, तब भी यह काम हो जाता। लेकिन जो स्थिति आज यहाँ की है, लोग क्यों आ रहे हैं सड़कों पर, उत्तरकाशी के लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं, बद्रीनाथ में लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ी। 172 रूपये भीख में हुये और उसका ड्राफ्ट लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष में भेजना पड़ा।

मान्यवर, ये स्थितियाँ हो गयी वहाँ। गंगोत्री रूट, यमुनोत्री रूट सब जगह पर आज भी सड़कों दुरूस्त नहीं हैं। मैं अगस्त्यमुनि की बात बताता हूँ। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सरकार पूरी बैठी है मान्यवर, नीचे से बुल्डोजर लगे हैं, बुल्डोजर के ऊपर रेता भरा गया है, कंक्रीट भरा गया है और उसके ऊपर ब्लैक टॉप कर दिया गया है। 90 डिग्री के कोण पर जो पहाड़ कटा था, इसे बचाया जाना चाहिए था, वो पहाड़ का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसकी तलहटी पर और जो हमारी नदी बह रही है केदारनाथ जी से, उस नदी पर ऐसा ब्लैक टॉप बनाया गया है। एक बाढ़ आयेगी तो उत्तरकाशी की तरह से साफ कर ले जायेगी। उत्तरकाशी में बाढ़ नहीं आयी है अभी मात्र बर्फ पिघली है मान्यवर, बर्फ पिघलने मात्र से पूरे उत्तरकाशी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, क्योंकि ठीक तरीके से काम नहीं किया गया है। जो काम ठीक से होना चाहिए था, हम चिल्लाते रहे, चाहे उत्तरकाशी का जोशियाणा बाजार हो, तिलोथ हो इसका बचाना पड़ेगा तो अगल–बगल बड़े–बड़े बोल्डर बनाकर नदी को पार निकालना पड़ेगा जैसे कि वहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट ने बनाया है, ये हमने कहा था, लेकिन माना नहीं गया। अब केदारनाथ के लिए हमने वैकल्पिक मार्ग की बात हम तब से चिल्ला रहे हैं, 24 से 25 लोगों की मृत्यु हो गया है वहाँ, शासन ने इस बात को दबाये रखा है, सरकार ने आज तक किसी को बताया नहीं है, लेबर मरते गये हैं वहां वो ऊपर लिंचौली वाला जो मार्ग है, वो मार्ग ग्लेशियर प्वाईंट पर है। मान्यवर, मैंने इस्टॉटिंग में ही कहा था कि ये ग्लेशियर प्वाईंट है, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग ढूँढिये, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है, हमने सजैशन दिया था

ऑल वेदर रोड बनाने का, बड़ी-बड़ी बातें हम करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, क्या कोई टीम अपने आज तक भेजी, जहाँ पर ऑल वेदर रोड बनती है, कहीं विदेश में भेजी। आज तक कोई एक टीम सरकार नहीं भेज पायी, गठन तक नहीं कर पायी कि सारे वेदर में, कैसा ही मौसम हो, उसमें कैसे सड़कें सुरक्षित रह सकती हैं, विदेशों के पास यह कला, यह विधा, यह टेक्निक आज आ गयी है मान्यवर, इस पर भी कोई काम आज तक नहीं हुआ है। बद्रीनाथ जी में जोशीमठ से आगे जाने में सरकार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी पैनिकी फैला रही है, दहशत फैला रही है, नेता प्रतिपक्ष यहाँ की आर्थिकी पर चोट कर रहे हैं, गलत बात फैला रहे हैं। आज पूरी दहशत सरकार ने फैलायी है। आपने जोशीमठ से आगे बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है और पाबंदी लगाने के बाद इतना ही नहीं आप कह रहे हैं कि सामान यहीं छोड़ जाओ, नहाने का सामान ले जाओ, दर्शन करो, तुरन्त लौटो और बद्रीनाथ जी में जो जा रहे हैं मान्यवर, वहाँ कहा जा रहा है कि जल्दी लौटो, जल्दी लौटो कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है बद्रीनाथ जैसी जगह में। केदारनाथ जी में तो हम एक बार मान भी सकते हैं बरफ हर बार गिर जाती है। बद्रीनाथ जी तो सुरक्षित है। वहाँ के दुकानदारों के भूखों मरने की नौबत आ गयी, होटलों में एक यात्री नहीं रूक रहा है, परेशानी हो गयी है, वहाँ पर लोग त्राहि-त्राहि करने लगे हैं, लोगों ने आमरण अनशन किया, अनशन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, भीख मांगी। जो मैंने अभी बताया, जितनी भीख थी उसको कास चेक बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष को भेजा गया है, ये स्थिति हो गयी है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों के लिए, अभी तक एक साल हो गया रूकने के लिए मकान नहीं बना। मान्यवर, जो तीर्थ पुरोहित रहते थे, उनको उनके मकानों में नहीं जाने दिया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि शव पड़े हुए हैं, अब जो शव निकल रहे हैं, कल-परसों जो निकले हैं रूटों पर, ये कहाँ से निकले हैं, क्यों निकले हैं। तीर्थ पुरोहित अपने मकानों में जाएंगे, उनके मकान खोले जाएंगे, उनके अंदर आज भी शव रखे हैं मैंने तब भी यह फोटोग्राफ दिखाया था और कहा था कि अगर झूठ होगा तो जो सजा देंगे मुझे, वो सजा मंजूर होगी, राजनीति मैं छोड़ दूँगा, लेकिन आज तक उन मकानों की सफाई नहीं करी गयी और कहा गया कि जी0एस0आई0 इसको खोलने नहीं दे रही है, परिसर के अंदर की यह स्थिति वहाँ है, वहाँ के पुजारी को डेढ़ किलोमीटर, दो किलोमीटर कड़ाके की ठंड में जाना पड़ता है, तीर्थ पुरोहित जो अपना रोजगार वहां पर चलाते थे वहाँ पर जो लोग आते थे, यजमान लोग उनकी पूजा-पाठ करके उनके रूकने के लिए स्थान नहीं है और अभी बीच में सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये थे, आश्वासन दिया है कि तीर्थ पुरोहितों को हम ठीक-ठाक तरीके से बसाएंगे और आश्वासन भी कब गया है ग्यारह महीने बाद। ये स्थिति जब यहां की हो गयी है आपदा की, मान्यवर, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसको बचाने वाला है। केदारनाथ में घोड़े, खच्चर, कंडी, डंडीवालों को थोड़ा सा मुआवजा दिया गया, लेकिन इस मुआवजे से क्या होता है, दुकानदारों का थोड़ा सा मुआवजा दिया गया है, उनकी तो भूखों मरने की

नौबत आ गयी है, जिस संख्या में वहाँ पर हमारे यात्रियों को जाना चाहिए था मान्यवर, उस संख्या में यात्री वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और डराया–धमकाया जा रहा है, वहाँ पर आगे बढ़ने से भी कहा जा रहा है अगर आप आगे बढ़े तो जिम्मेदारी आपकी होगी। कोई वृद्ध व्यक्ति अगर लिंचौली जाता है, उसको नाईट स्टे के लिए आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया है, उसे जाना ही जाना है केदारनाथ और केदारनाथ से वहां रूकना नहीं है तुरन्त नीचे लौटना है फिर अगर वो लिंचौली रूकना चाहता है तो नहीं उसे नीचे आना ही आना है वो ऊपर नहीं रूक पायेगा कहीं भी यानि की 48 किलोमीटर का ट्रैक एक बुजुर्ग आदमी जो जा नहीं सकता मरते–तरते श्रद्धा के कारण वहाँ जा रहा है, लेकिन सरकार को ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं मान्यवर, अब जोशीमठ जैसी जगह जो मैंने बताया 18 चोरियाँ हो गयी हैं वहाँ पर लगातार दुकानें टूट रही हैं, यात्रियों की चोरी हो रही है। प्रशासन वहाँ पर बिल्कुल गूँगा बैठा हुआ है कोई वहां पर देखने वाला नहीं है। ये हालात जब हमारे तीर्थ स्थानों की हो गयी है मान्यवर, कौन देखेगा, अभी तक हमारे यहाँ 3100 गाँवों के रास्ते नहीं हैं और 1100 मोटर मार्ग अभी तक अच्छी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, 9000 में से 1000 घटाईयेगा, 8000 किलोमीटर सड़कें अभी रिपेयरिंग मांग रही हैं, चलने योग्य नहीं हैं, 37 गाँवों में बिजली के पोल ध्वस्त हो गये हैं और अभी तक 967 गाँवों में पेयजल प्रभावित है। ये स्थिति है मान्यवर, आपदा के मामले में 450 करोड़ रूपये देश के दान दाताओं ने जी भर के दिया और जो केन्द्र सरकार ने 6–7 सौ करोड़ रूपये दिये, वो भी दिया, 06 हजार करोड़ करीब। ये 450 करोड़ दानदाताओं को और वो 06 हजार करोड़ जो केन्द्र का आया, क्या हो रहा इससे, कौन यूज कर रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा घपला किया जा रहा है, इसमें भी कमीशनखोरी हो गयी है, दिखाये कम जा रहे हैं, लगाये ज्यादा जा रहे हैं। तमाम चीजें हैं हमने पहले भी कहा था कि आप यहां पर आई0टी0बी0पी0, पैरामिलेट्री फोर्सेज या आर्मी को लाने के लिए सरकार निवेदन करे। भवाली से आप लेबर लेकर आये हैं, नैनीताल से आप लाये हैं, उत्तरकाशी से आप लेबर लाये हैं और जगह से, जगह–जगह से आप लेबर लाये हैं, वो इतने हाई एटीट्यूट में काम नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, अच्छा काम नहीं चल पा रहा है। आपने नेहरू पर्वतारोही कुछ लगाये तो जरूर हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है। इसलिए हमने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया जाय और सरकार की तरफ से कहा जाय कि कुछ समय के लिए आप केदारनाथ को और यहां की सड़कों को कम से कम आप ले लीजिएगा, जो पुल थे, पुलिया थीं, वो आज तक ध्वस्त हैं, अभी तक बन नहीं पायी हैं, कनेक्टिविटी जुड़ नहीं पायी है, डॉक्टर वहां पर हैं नहीं, ये जिस चमोली जिले में हम बैठे हैं, 27 डॉक्टर यहां पर चला रहे हैं, 27 डॉक्टर मात्र, जबकि कम से कम 150 डॉक्टर यहाँ पर होने चाहिए थे। ये स्थिति यहां की हो गयी है तो मान्यवर, अगर यहां पर सरकार इसको नहीं करेगी, आप कोई निर्देशित नहीं करेंगे, हम लोग बात को नहीं उठाएंगे तो आखिर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की बात को कौन सुनने वाला है, उनकी बात कौन उठाने वाला है। हम आज चमोली जिले में उत्तराखण्ड के प्रभावित जो जिला

है, चमोली जिला, वहां पर हम आज बैठे हुए हैं। दुर्गम घाटी में उस समय भी मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ। उसका हाल अभी भी दुरूस्त नहीं हुआ है। 05 प्रतिशत वहां पर आज लोगों को राहत मिल पा रही है। ये स्थिति जब हमारी है, हमारे दुकानदार, हमारे रिजार्ट वाले, हमारे चाय, पानी, बीडी, सिगरेट वाले बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम में भूखों मरने की उनकी नौबत आ गयी है, सड़कों पर लोग उतर कर आ गये तो मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण क्या विषय हो सकता है आज। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे मामलों को रोककर, आज इस मामले को सुना जाय और आज इससे महत्वपूर्ण कोई काम है ही नहीं, यह अविलम्ब लोक महत्व का विषय है, इस पर मेरा निवेदन है कि सारे कामों को रोक कर इस पर आपका विनिश्चिय आ जाना चाहिए। मान्यवर, कोई ऐसा निर्णय आ जाना चाहिए जिससे सरकार द्रुत गति से काम करे, इनकी सोई हुई नींद खुले, सरकार जागे और तेजी से चले। सिर्फ मीडिया में, सिर्फ अखबारों में, सिर्फ टेलीवीजन में बोलने से कुछ नहीं होता है, काम धरती पर चाहिए अगर धरती पर काम हो रहा है तो फिर लोग क्यों सड़कों पर आ रहे हैं। यही हाल पिथौरागढ़ जिले का है। वहां पर माननीय चुफाल ही अभी कल को उठाने वाले हैं, वहां अभी रास्ते, बटिया, पुल, पुलिया, बहुत खराब स्थिति में हैं और जो स्थिति है वहां जो तीनों तीन घाटियाँ हैं हमारी दारमा है, ब्यास है, चौंदास है, ये घाटियों की स्थिति आज भी ठीक नहीं है। हेलीकाप्टर जरूर वहां अभी लगाया गया है, हेलीकाप्टर सीधे ऊपर जायेगा, लेकिन इन घाटियों में कहीं उतरने का नहीं है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सारी कार्यवाही रोक कर तत्काल प्रभाव से आज अपना विनिश्चिय दें और एक ऐसा इतिहास कायम करें कि दुबारा आपके विनिश्चिय आने के बाद सरकार की आंखें खुलें और सारे जरूरतमंद लोगों को सारी चीजें मिल पायें

श्री अध्यक्ष –

चर्चा जारी रहेगी, अब हम उठते हैं 03:00 बजे तक के लिए।

सदन की कार्यवाही 03:30 बजे उपाध्यक्ष श्री अनुसूईया प्रसाद मैखुरी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। (मेजों की थपथपाहट) क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूँ। मैं इस गरिमामय पद पर आप सबके सहयोग और आर्शीवाद से ही पीठ पर बैठने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ पर सत्र आहूत किया गया। निश्चित रूप से कुछ कठिनाईयाँ भी रही होंगी, लेकिन उसके

बावजूद भी चाहे ट्रेजरी बेंच का हो चाहे विपक्ष का हो सभी माननीय सदस्यों का यहाँ पर भरपूर सहयोग मिला है, उसके लिए मैं सबका स्वागत करना चाहूँगा और हम इतिहास के पन्नों में एक नई इबारत लिख रहे हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी को नियम 58 पर चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बैठने का मौका भी दिया तो वह भी आपदा के बीच में दिया। माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत जो आपदा पर नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे थे मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपदा को हुए इस प्रदेश में लगभग एक वर्ष होने को है। लेकिन इस एक वर्ष में जो नीतिगत निर्णय होने चाहिए थे, जो आपदा को लेकर प्रदेश में नीतियाँ बननी चाहिए थी, शायद अभी तक उस दिशा में सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से पिछले दिनों बताया गया था कि 337 इस प्रदेश के अन्दर ऐसे गाँव हैं जिनको संवेदनशील चिन्हित किया गया है और जिनका पुनर्वास किया जाना नितान्त आवश्यक है। लेकिन एक बर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इन 337 गाँवों का न तो तकनीकी अध्यन किया गया है और शायद अभी तक भूगर्भीय सर्वेक्षण आदि जो कुछ भी उसमें किया जाना था उस दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस पीठ पर आप विराजमान हैं, इस पीठ का सम्मान पूरा प्रदेश करता है और पूरा सदन करता है। पीठ से यदा कदा जो निर्देश सरकार को जारी होते हैं तो यह जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि उन निर्देशों का पालन करें। मुझे याद है विगत 20–09–2013 को इस पीठ से सरकार को कुछ निर्देश दिये गये थे उस निर्देश के सम्बन्ध में जब तक विपक्ष की तरफ से अवमानना का नोटिस नहीं गया सरकार ने यह बताना मुनासिब नहीं समझा कि इस दिशा में हम कितने आगे बढ़े हैं। उसके बाद जब सत्र आहूत हुआ और विपक्ष की तरफ से हम लोग अवमानना का नोटिस लेकर आये कि यह सदन की अवमानना है। सरकार को इस पीठ से जो निर्देश आपदा को लेकर दिये गये थे उस आपदा के सम्बन्ध में सरकार ने क्या–क्या जरूरी काम किये हैं। जब अवमानना का नोटिस जारी हुआ उसके बाद सरकार ने अपनी ओर से एक दो पृष्ट का पत्र जारी करते हुए इस सदन में कहा कि हम आने वाले दिनों में ये–ये काम करने वाले हैं। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद आज तक सरकार, शायद मुझे नहीं लगा कि दो कदम आगे बढ़ी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इस पीठ की उस बात को दोहराना चाहता हूँ जो इस पीठ से सरकार को निर्देश दिये गये थे और आज एक वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने उस दिशा में कोई कदम उठाये हैं तो मैं समझता हूँ कि जब

सरकार उत्तर देगी उन चीजों पर वह स्पष्ट रूप से जरूर अपना विषय रखेगी। माननीय अध्यक्ष जी इस गौरवमयी पीठ ने सरकार को जो निर्देश दिये थे उसमें कहा था कि जो शासन की नीति और योजनायें बनें उनमें पारदर्शिता दिखनी चाहिए। आज आपने कहा कि हमने 25–25 लाख के अधिकार एस0डी0एम0 को आपदा की दृष्टि से दे दिये गये हैं, लेकिन आप पूरे प्रदेश को उठा करके देख लीजिए यदि कहीं तीन करोड़ का काम है तो उसको तीन भागों में डिवाइड करके बिना टेन्डर के दे दिया गया, यह कौन सी पारदर्शी नीति है। किस पारदर्शिता के बाद सरकार ने इसे एक साल में आपदा की दिशा में एक कदम बढ़ाने की कोशिश की है। मान्यवर, इस पीठ ने कहा था कि जो नदियों की प्रवाह धारा है सुचारू रखने और नदियों से हो रहे भू कटान को रोकने के लिए वैज्ञानिकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शोध संस्थानों का सहयोग लेकर एक ठोस नीति बनाकर दीर्घकालिक योजना के रूप में क्रियान्वयन करें, यह सरकार को कहा गया था। आज हमारे आदरणीय चुफाल जी ने कहा है, वहाँ की नीति तो छोड़ दीजिए सरकार दो कदम भी आगे उस दिशा में नहीं चल पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पीठ से सरकार को निर्देश दिये गये थे कि केदारधाम मंदिर जो उत्तराखण्ड का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, ये पीठ से दिये गये निर्देश के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई का कार्य कराया जाये। आज स्थिति यह है कि अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा आज भी वहाँ सफाई से जो स्थिति बननी चाहिए थी उससे बहुत दूर है, सरकार के काम। मान्यवर, चार धामों की सुरक्षित यात्रा प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिये गये थे, चारों धामों के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने की बात कहीं गई थी। अगर केदारनाथ की बात छोड़ दें बाकी तीनों धामों के लिए सरकार ने अभी तक योजना तो छोड़ दीजिए कोई कमेटी का गठन तक नहीं किया गया है, कोई नीति नहीं बनाई है कि सरकार के सुझाव आ सकें, सरकार उस दिशा में कुछ कर सके। यदि पीठ के निर्देशों की यह स्थिति है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों को आम जनप्रतिनियों की क्या स्थिति इस सरकार के सामने होगी। मान्यवर, आज सड़क और पैदल मार्गों को ठीक करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता की बात पीठ से की गई थी। आज स्थिति यह है कि 800 ऐसी सड़कें हैं जो बनने के लिए तरस रही हैं। आज सुबह नेता प्रतिपक्ष ने इसको विस्तार से रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, इसी पीठ ने कहा था कि सड़क निर्माण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक का उपयोग किया जाये। मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए। आप राष्ट्रीय स्तर की कोई तकनीक लगा दीजिए और जिससे भूस्खलन न्यूनतम हो, सड़क के दोनों ओर जल निकास की सुविधा और सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित हो। आज कहाँ उस दिशा में दो कदम बढ़ पाये हैं। मान्यवर, इस पीठ से निर्देश दिये गये थे कि जिन ग्रामों को अन्यत्र पुनर्वासित किया जाना है जिसकी मैंने चर्चा की 337 ग्रामों की लिस्ट सरकार के द्वारा इस सदन में कही गई थी। उनके लिए एक निश्चित अवधि तय करके एक ठोस कार्य योजना तैयार कर

शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जाये। गाँवों को विस्थापित करने के लिए जो चिन्हित किये गये हैं, आधुनिक गाँव के रूप में पर्वतीय क्षेत्र में विस्थापित करने की योजना बनाई जाये। आज मुझे लगता है कि वह स्थान भी चिन्हित नहीं किये गये हैं। यदि उन गाँवों का पुनर्वास करना है तो किस स्थान पर करना है। एक वर्ष बीतने के बाद आज सरकार कहाँ खड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को निर्देश दिये गये थे कि विशेष केन्द्रीय सहायतित योजना विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि संस्थाओं से मिलने वाले विभिन्न संसाधनों का प्रयोग पारदर्शी एवं पूर्ण हो।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार निष्पक्ष, स्वच्छ एवं पारदर्शी रहे, जन विश्वास अर्जित करने के लिए प्रथम आवश्यकता है, ऐसी कोई भी बात न की जाए जो उत्तराखण्ड की व्यवस्था के बारे में भय और संशय का वातावरण पैदा हो, यह पीठ से कहा गया है, लेकिन आज एक होने के बाद चार धाम यात्रा को जिस रूप में होना चाहिए था क्या वह उस रूप में है, आज पर्यटन की स्थिति जो प्रदेश की होनी चाहिए थी क्या वह है, आज सारे व्यवसायी जो इस प्रदेश में पर्यटन पर निर्भर थे वे शायद अपने व्यवसाय को ले करके चिन्तित हैं, आज जो पर्यटकों की संख्या होनी चाहिए थी हम उससे कोसों दूर हैं और यह सबसे अच्छा सीजन पर्यटन की दृष्टि से होता है, लेकिन कल सभी माननीय विधायकगण आये होंगे और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी स्थिति होगी कि कहीं ऐसा लगा हो कि हाँ, इस राज्य में इस समय चार धाम यात्रा उस रूप में चल रही है या पर्यटन की दृष्टि से यह राज्य उतना महत्वपूर्ण है। मान्यवर, जब हम आज पर्यटन की बात करते हैं या यात्रा सीजन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के विकास की बात अपने आप हो जाती है, चूँकि इस प्रदेश का सम्पूर्ण विकास इन बातों पर निर्भर करता है, लेकिन आज ये सारी व्यवस्थायें न होने के कारण आज पूरे देश को एक जो विश्वास की कमी इस राज्य के प्रति आई थी, खासतौर पर जो केदारनाथ की घटना हुई थी, जो आपदा आई थी उस आपदा के बाद, शायद उसके कारण जो अविश्वास हुआ था यहाँ की सरकार के प्रति, इस उत्तराखण्ड के प्रति तो उस अविश्वास को आज तक विश्वास में नहीं बदल पा रहे हैं, आज भी जब कहीं पूरे देश के अन्दर चर्चा होती है तो शायद उत्तराखण्ड राज्य को लोग कहीं न कहीं इस रूप में कहते है कि यहाँ की सरकार को जो व्यवस्थायें करनी चाहिए थीं, जो अच्छी स्थिति बनानी चाहिए थी, वह सरकार आज भी विफल रही है और आज एक वर्ष के बाद जो हमें संदेश देना चाहिए था जो पूरे देश को बताना चाहिए था कि चार धाम यात्रा पर यह राज्य तैयार है, चार धाम यात्रा के लिए सारी स्थिति बन गई है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है और कभी-कभी यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेण्ट आता है कि हम तैयार खड़े हैं विपक्ष हमारा मार्ग रोक रहा है, विपक्ष प्रदेश का विकास नहीं चाहता है, विपक्ष नहीं बोलता है लेकिन अगले दिन न्यूजपेपर में बड़ी-बड़ी हेडलाईन में लिखते हैं

कि केदारनाथ यात्रा रूकी भूस्खलन होने के कारण दूसरे दिन–तीसरे दिन वह फिर शुरू हो गई, यह हम नहीं कह रहे हैं जो सच्चाई है वह न्यूजपेपर लिख रहे हैं, जो सच्चाई है वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है और उसके कारण जो यात्रा की गति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है, आज केवल इस आपदा के कारण हम अच्छा संदेश नहीं दे पाये हैं, इस आपदा के कारण जो हम विश्वास प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण चाहे वह नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो जहाँ आपदा का असर नहीं हुआ है वहाँ भी पूरी तरीके से आज भी पर्यटकों से विहीन ये सारे शहर हैं, आज इन सारे शहरों को देखते हैं जहाँ मसूरी में इन दिनों बड़ी भीड़ रहती थी पर आज वह स्थिति नहीं है, ऐसे ही नैनीताल की स्थिति है, देहरादून–हरिद्वार की भी यही स्थिति है, तो आज इस आपदा को निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस गम्भीरता से सरकार को लेकर उन योजनाओं को जनता के सामने, उन योजनाओं को देश के सामने, उन योजनाओं को आज सदन के सामने रखने की आवश्यकता है। मान्यवर, अभी जब हम पर्यटकों की चर्चा कर रहे थे तो हमारे एक मित्र कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन की दृष्टि से एक काम तो अच्छा किया है, कि उनके सामने जो एक राजनीतिक आपदा आ रही थी, तो राजनैतिक आपदा पर्यटन के रूप में गैरसैण में जरूर चहल–पहल शुरू करवा दी, यहाँ सब लोगों को इकट्ठा करके कम से कम जो राजनैतिक आपदा आपके सामने थी उसको कुछ न कुछ दूर करने की दिशा में आप दो कदम आगे बढ़े होंगे। मान्यवर, आज कहीं न कहीं, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है यह पूरी तरीके से पर्यटन चारधाम यात्रा हो या पर्यटन का कोई भी समरूप हो उस पर निर्भर करता है, लेकिन आपदा के बाद जो स्थिति बननी चाहिए थी, आपदा के बाद जो विश्वास बहाल होना चाहिए था, वह आज तक नहीं हो पाया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कार्यस्थगन के रूप में नियम–58 के अन्तर्गत अपना विषय रखा उससे मैं अपने आप को सम्बद्ध करते हुये इस पर चर्चा की मांग करता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने नियम–310 की सूचना को नियम–58 में सुनने का मुझे समय दिया। मैं आपका आभारी हूँ। माननीय उपाध्यक्ष जी, 16 और 17 जून, 2013 को प्रदेश में जब अतिवृष्टि हुई थी, बादल फटने से पूरे प्रदेश में आपदा आई, विशेषकर चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में, इन जनपदों में हजारों की संख्या में लोग बेघर हुये हैं और सैकड़ों गाँव अस्त–व्यस्त हो गये थे, लेकिन आज भी स्थिति देखें, जिन लोगों की आज से 11 महीने पहले जो हालत थी वही हालत आज भी है, उस समय भी ये लोग टेन्ट में रह रहे थे, उस समय भी वे प्रभावित परिवार किराये में रह रहे थे, आज भी वे प्रभावित परिवार किराये के मकान में रह रहे हैं, वो

भी किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, घाटी के लोग हैं वहाँ पर बिजली नहीं है, कैसे वे लोग रह रहे होंगे, उन लोगों की समस्या की आप लोगों को चिन्ता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि हमने 5 लाख रूपया दे दिया है, मैं मानता हूँ कि आपने आवास के लिए 5 लाख रूपया दे दिया लेकिन उनके पास जमीन नहीं है तो वे कहाँ पर अपना मकान बनायेंगे, सरकार के पास सिविल भूमि है, बेनाप भूमि है, उनके नाम पर मकान के लिए जो जमीन चली गयी थी, उनके नाम आवंटित कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया, 5 लाख रूपया लेकरके मकान कहाँ पर बनायेंगे, किसी ने मकान बना लिया लेकिन उनके सामने रोजगार की समस्या है, वो खेती–बाड़ी, सब्जी के उत्पादन का काम करते थे, उनके नाम से आपने जितनी जमीन जो नदी के तट पर थे, जो जमीन नष्ट हो गई थी, उतनी जमीन उनके नाम से आप आवंटित करते तो निश्चित रूप से जो प्रभावित परिवार थे आपको याद करते, सरकार को याद करते। आपके पुनर्वास की बात कहे तो एक साल हो गया और आपने एक परिवार को भी पुनर्वास नहीं किया है, एक साल से आप हाथ पर हाथ रखे बैठे थे और आप बार–बार कह रहे थे, आपने पहाड़ की समस्या का समाधान करने के लिए गैरसैण में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई, अल्मोड़ा में भी आप कैबिनेट बुला रहे हैं, यहाँ गैरसैण में भी सत्र चला रहे हैं, व्यक्तिगत आपको राजनैतिक लाभ हो सकता है, लेकिन प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं पहुँचा है, एक साल पहले जब आपने कैबिनेट बुलाई थी, विशेषकर पहाड़ के लिए, जो आपदा आई थी, जो रास्ते बन्द थे, उन रास्तों को खुलाने का काम अभी तक भी नहीं किया है। मैं धारचुला क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आपके धारचुला में खीम गाँव है, सोबला गाँव जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, सुलदुम है जहाँ पर लोगों ने लोक सभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, क्योंकि गाँव के रास्ते नहीं बने थे, आपने अस्थाई रूप से लकड़ी का पुल बनाया और ग्लेशियर पिघलने से बह गया और आसपास के गाँव के लोगों के आने जाने का रास्ता बन्द हो गया, उनके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है और अब बारिश शुरू होने वाली है, पानी का जल स्तर बढ़ गया है, काली नदी के किनारे सीमान्त के लोग रहते हैं उस काली नदी के तेज बहाव से रास्ता बह गया और रणुवा और अंतरी गाँव के बीच की दूरी केवल 200 मीटर थी और हाई स्कूल प्राईमरी स्कूल इधर–उधर थे और रास्ता बह जाने के कारण तीन महीने तक बच्चे 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ते और 2 किलोमीटर उतरते थे। इस पर चर्चा पिछले सत्र में भी हुई थी, लेकिन जल स्तर अब फिर बढ़ने लगा है और आपने अभी तक वहाँ रास्ता नहीं बनाया है, मैंने विधानसभा में यह विषय रखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम उसके बाद कहाँ जायेंगे, अपनी बात किसके सामने रखेंगे, विधानसभा में अपनी बात रखी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई वो हम उसके बाद

कहाँ जायेंगे, अपनी बात किसके सामने रखेंगे मान्यवर, मैंने विधान सभा में अपनी बात रखी उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, दैवीय आपदा के कारण प्रदेश के लोगों की स्थिति बहुत खराब है। उचित लोगों को राहत नहीं पहुँच पा रही है। मान्यवर, लगता है यह आपदा कांग्रेस के लोगों के लिए आयी है। दैवीय आपदा का पैसा कार्यकर्ताओं में बंदरबांट के रूप में बांटा जा रहा है। मान्यवर, 25–25 लाख रू0 के कार्य बिना टेंडर के दिये जा रहे हैं। मान्यवर, इतनी क्या जरूरत पड़ी, जबकि अभी तक दीवार भी नहीं बन पायी है। मान्यवर, टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिए थे, चाहे टेण्डर किसी का भी खुलता इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी। मान्यवर, एक ही आदमी को एक करोड़ रू0 का कार्य टुकड़ों में 25–25 लाख करके दे दिये। आपदा का पैसा केन्द्र सरकार से आया, विभिन्न राज्यों से आया, विभिन्न संस्थाओं ने दिया है। रास्ते बंद हो गये थे, उनको खोलने के लिए पैसे दिये गये, पुनर्वास के लिए पैसे दिये गये, लेकिन आपने वह पैसा कहीं लगा दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में उन्हें कार्य दिया गया। यह सब दिखायी दे रहा है। केवल अखबारों में टेलीविजय चैनलों पर विज्ञापन दिये जा रहे हैं। मान्यवर, हमारी पार्टी ने जो कार्य किये वे सब लोगों ने देखा है, सारी जनता ने उस कार्य को देखा है। वर्तमान में सरकार क्या कार्य कर रही है, वह क्षेत्र की जनता सब देख रही है। मान्यवर, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जनता से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। मान्यवर, अब आपदा के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मात्र 10–15 दिन बचे हैं, इस अन्तराल में जो रास्ते बन्द पड़े हैं उनको खोलने का प्रयास यह सरकार करेगी। निश्चित रूप से जिन रास्तों को खुलने का इंतजार जनता एक साल से कर रही है, उन रास्तों को खोलने का प्रयास यह सरकार करेगी और लोगों को राहत मिलेगी, ऐसी मैं मांग करता हूँ। चूँकि विषय अति महत्वपूर्ण और लोक महत्व का है, इसलिए मैं सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की मांग करता हूँ।

*श्री तीरथ सिंह रावत–

माननीय उपाध्यक्ष जी, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है और तात्कालिक महत्व का भी है। मान्यवर, आज एक वर्ष पूरा होने में मात्र एक सप्ताह रह गया है। मान्यवर, आपदा में जो लोग हताहत हुए हैं, उनकी बरसी हेतु मात्र एक सप्ताह का समय शेष रह गया है। मान्यवर, वैसे यह प्राकृतिक आपदा है, जो किसी के हाथों मे नहीं है। यह न किसी पार्टी के हाथों में है और न ही किसी व्यक्ति के हाथों में है। यह कभी भी आ सकती है और किसी के भी समय में आ सकती है, लेकिन मानव इसको ठीक कर सकता है और यह उसके हाथों में है। कितना जल्दी वह ठीक करे, किस तरह की संवेदना वह व्यक्त करे और किस तरह से वह लोगों की पीड़ा को महसूस करते हुए इस कार्य को त्वरित गति से करे, यह उसके हाथों में है। कितने दु:ख की बात है कि पिछली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार 16 जून को आपदा आयी थी, एक सप्ताह बाद 16 जून आने वाला है। हताहतों की बरसी पर पीड़ितों के आंसू भी आयेंगे। मान्यवर, जिस दिन यह बरसी होगी, हम सारे जगहों पर, पीड़ितों के आंसू पोछने जायेंगे। आज भी हालत जस की तस बनी हुई है, हम लोग चाहे कितना भी कह दें कि हालत सुधर गयी है, लेकिन ऐसा है नहीं। मान्यवर, यदि कोई ऐसा कहता है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है तो यह आंकड़ा अखबार का हो सकता है, सरकार का हो सकता है, लेकिन कोई अपने दिल से पूछे तो उन्हें भी महसूस होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी केदारनाथ जी गये थे तो उन्होंने भी स्वयं देखा होगा कि अभी भी हालत जस की तस है। मान्यवर, तीर्थयात्री बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए न तो सड़क है, न बिजली है और न पानी है और न ही रैन बसेरा ही है। मान्यवर, जिन लोगों ने आपदा के समय छोटे से गांव में हजारों–हजार यात्रियों को अपने यहां खिलाया–पिलाया और सुलाया है। अपना तन–मन–धन सब कुछ लगाया है। आज उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन आपने उन लोगों को भी कोई सहारा नहीं दिया है। उन लोगों ने अपना तो सब कुछ यात्रियों को दे दिया लेकिन सरकार ने ऐसे लोगों को बेसहारा कर दिया है। मान्यवर, आज आप लोगों को विस्थापित नहीं कर पाये, लोगों को मकान नहीं दे पाये, आज आप उन लोगों को जगह नहीं दे पाये, यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, 5 लाख का झुनझुना पकड़ाकर आपने इतिश्री कर दी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने वो 5 लाख रू0 कितने लोगों को दिये हैं। फेब्रिकेटेड मकान आखिर आपने कितने लोगों को दिये हैं, जैसे यह टेंट लगा है, उखड़ जायेगा तो इसकी चूड़ियां ढीली हो जायेंगी, ऐसी ही शायद वे फेब्रिकेटेड मकान भी स्थायी नहीं हैं। मान्यवर, लोगों ने अपनी खून–पसीने के दम पर मकान खड़े किये होंगे, आपने मात्र 5 लाख रू0 देकर और फेब्रिकेटेड मकान देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी, जिसमें कि शायद इस बरसात में ही फेब्रिकेटेड मकान की छत फिर टपकने लगेगी। पता नहीं फिर उन लोगों की क्या दुर्दशा होगी, पता नहीं कितने बर्तन उन लोगों को छत के नीचे पानी टपकने वाले स्थान पर लगाने होंगे। मान्यवर, न जाने कितनी बाल्टियां, परातें उनको ढूंढनी पड़ेगी। मान्यवर, आपने दिया ही क्या है, आप कहते हैं कि पहले रजिस्ट्री करा लो, रजिस्ट्री कहां से करायेंगे लोग, जब जमीन खरीदने के लिए कुछ होगा तभी तो रजिस्ट्री करायी जायेगी। मान्यवर, आपने किस तरह की पीड़ा और संवेदना उन लोगों के प्रति जाहिर की है। आप कहते हैं कि पहले डेढ़ लाख देंगे, फिर दो लाख देंगे, इस तरह से तीन किस्तों में उनको पैसा देंगे। मान्यवर, दिया ही कहां, एक साल में आप केवल यही कहते–कहते थक गये हैं और पीड़ित लोग देहरादून के चक्कर काटते–काटते थक गये हैं, न जाने कितने परिवार फिर उसी में चक्कर काटते–काटते स्वाहा हो गये। आपको कहां ऐसे लोगों की चिंता है, पीड़ा है आप तो केवल हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, फिर टपक रहे हैं। मान्यवर, केदारनाथ के क्या हालत

हैं, यह सब आपने देखा है, आप वहीं की मिट्टी, रेत, बजरी को सम्मिलित कर रहे हैं और उसी में पलीदा लगाकर चले आ रहे हैं। आंकड़ों के खेल में न जाने कितने स्टीमेट बना रहे हैं। मान्यवर, कफन के पैसों में कमीशन खाने से बचो। आपको कहां चिंता है, कहां पीड़ा है, कहाँ दर्द है। मान्यवर, 6600 करोड़ रू0 आपका केन्द्र से आया है और 400 करोड़ अन्य संस्थाओं से आया है। इन सब पैसों का हिसाब कहाँ है, यह हम जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी बताईये वो हिसाब कहाँ है, इसका हिसाब दीजिए, इस पर श्वेत पत्र जारी करें। बताईये, वो पैसा कहाँ है, कहाँ पर लगाया गया है। कहाँ आपने मकान खड़े किये हैं, कौन सी सड़कें बनी हैं। यात्रा प्रारम्भ हो जाती है 4 तारीख को केदारनाथ और 5 तारीख को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। मान्यवर, 4 तारीख को लामबगड़ में आपका पूरा प्रशासन ठप हो जाता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। मान्यवर, किस यात्री को आप आगे बढ़ायेंगे। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी सारा तंत्र रात को लामबगड़ में खड़ा रहता है। मान्यवर, पाण्डुकेश्वर में यात्रा को रोक दिया जाता है, यह आपका यात्रा का पहले दिन के चरण की शुरुआत होती है। आप कहते हैं कि हमने सारी चीजें ठीक कर दी हैं और जिलाधिकारी और एस0पी0 कहते हैं कि बच्चे बूढ़े यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। मान्यवर, जबकि केदारनाथ और बदरीनाथ की यात्रा पर पहले बूढ़ा आदमी ही जाता था। वह कहता था कि मेरी अंतिम यात्रा है, बूढ़ा आदमी घर से पूजा–पाठ सब कुछ करके निकलता था और अब आप कह रहे हैं कि बूढ़ा आदमी नहीं जा सकता है। मान्यवर, यदि बूढ़ा आदमी यात्रा पर नहीं जायेगा तो क्या नयी दूल्हा–दुल्हन यात्रा पर जायेंगी। मान्यवर, कुल मिलाकर रंगरैलियां मनाने जायेंगे। बूढ़े आदमी के लिए तो आपने कह दिया कि वह नहीं जायेगा।

बड़ी बसें नहीं जा सकती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन से रास्ते ठीक किये हैं, कौन सी सड़क ठीक की है। अभी तक आप बदरीनाथ का रूट ठीक नहीं कर पाये हैं। आप यमुनोत्री–गंगोत्री का रूट ठीक नहीं कर पाये हैं। जो ठीक हो सकती हैं, केदारनाथ तो आप छोड़ दीजिए, जहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी आयी है। मान्यवर, आप केदारनाथ में भी रज्जू मार्ग नहीं बना पाये हैं। मान्यवर, वे सारे लोग कहाँ गये हैं, जिन्होंने हजारों–हजार लोगों को संरक्षण दिया है, जिस यात्रा से उनका जीवनयापन चलता था। मान्यवर, केवल उन्हीं लोगों का जीवन यापन नहीं चलता था, बल्कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बैठे व्यवसायियों का जीवनयापन भी उसी से चलता था। मान्यवर, हरिद्वार और ऋषिकेश का व्यवसायी भी उन्हीं पर निर्भर था, यदि इनका सामान नहीं उठेगा तो फिर ये भी कैसे जियेंगे। मान्यवर, सभी लोग एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, आप भी आखिर केन्द्र सरकार के आगे हाथ फैलाते हैं, सब कुछ एक–दूसरे से चलता है, वहां पर भी इसी तरह का व्यवसाय था।

आपने उसको व्यवसाय खड़ा करने के लिए जमीन नहीं दी है। कहाँ यात्री ठहरेगा, कहाँ चाय पियेगा, कहाँ पानी पिएगा? कहाँ आपने रैन बसेरे बनाए हैं, कहाँ आपने इस तरह के ढाबे खोलने के लिए उनको जगह दी है? हम पूछना चाहते हैं आपसे। जनता सब जानती है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती है, इसलिए जमीनी हकीकत वास्तव में समझिए। पीड़ितों के दर्द को समझिए, उसको अहसास कीजिए। कब तक यह ऐशगाह चलाएंगे, कब तक ये मौज–मस्ती करेंगे? यह लम्बा नहीं चलने वाला। आखिर ऊपर वाला, प्रकश्ति देखने वाली है। ये सब यहीं से चले जाएंगे, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, कोई नहीं रहेगा। दो दिन की मौज मस्ती होगी, ऐशगाह होगी। मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह सब छोड़ दीजिए, मृतकों को कफन पर भी भ्रष्टाचार करना छोड़ दीजिए, कमीशन खाना बन्द कर दीजिए। यह हालत पूरे जिले की है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि यह संवेदना का विषय है। यह संवेदनशील है, इसमें हमको लगना चाहिए, इसमें जुटना चाहिए, अभी भी बहुत सारे लोग टेण्टों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं। बहुत हालत खराब है। मैं सोचता हूँ कि अभी भी आपने कहीं पूरे 5 लाख नहीं दिये और पूरा एक साल हो गया है, क्या होगा इस प्रदेश का? बहुत बुरा हाल है। जब आपदा का समय था, उस समय भी मैंने पूरा क्षेत्र घूमा है। उत्तराखण्ड का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था आपदा का, जिस क्षेत्र में मैं नहीं गया। केदार वैली में तो गया ही, गुप्तकाशी, यमुनोत्री तो गया ही, बदीनाथ के अन्दर भी मैंने देखा। जिस पी0डब्लू0डी0 को आपने कहा कि सड़क बी0आर0ओ0 से छीनकर पी0डब्लू0डी0 को देंगे, उस पर विश्वास है आपका, वह आपकी इकाई है, आपका विभाग है, आपका उस पर अंकुश हो सकता है। उससे जैसा चाहे, वैसा काम करा सकते हैं। लेकिन कहाँ अंकुश है? वह तो लीपापोती कर रहा है। उससे क्योंकि कमीशन खाना आसान हो जाएगा, बी0आर0ओ0 से नहीं ले सकते हैं लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, मैं जब गया था, उस समय गोविन्दघाट के अन्दर घटना घटी थी, बहुत सारे घोड़े गोविन्दघाट की तरफ थे, अलकनन्दा के पार थे, कितने घोड़े समय पर उतारे? न जाने कितने हताहत हुए। मानव तो छोड़िए। जब हमने कहा तो डी0एम0 कहने लगे 3 दिन में उतर जाएंगे, पुल के लिए हमने आदेश कर दिया है। पता चला कि हमसे 3 दिन बाद कोई गया तो उनसे भी 3 ही दिन कहा। जब उसके बाद जनरल खण्डूड़ी जी गये, तो उन्होंने बी0आर0ओ0 से कहा, बी0आर0ओ0 ने कहा कि हमको आदेशित कर दीजिए प्रदेश से। आदेशित किया, तब 3 दिन में बी0आर0ओ0 ने पुल बना कर खच्चरों को पार उतार दिया। आज उस पर आपको विश्वास नहीं है। आपको विश्वास किस पर है, जिसने कितने ही खच्चरों को मरवा डाला। लेकिन बी0आर0ओ0 से कमीशन नहीं खा सकते हैं। अपना निर्माण निगम पी0डब्लू0डी0 है, उससे मोटी रकम ऐंठ करके कुछ–कुछ कर सकते हैं। आखिर मैंने कहा कि वास्तव में जो ठीक करा सकते हैं, उसको ठीक कराईए। ये

आंकड़ों का खेल खत्म कीजिए। मैं समझता हूँ कि इस सरकार की यह हालत है और पूरे प्रदेश की यह हालत मैं समझता हूँ कि अब ठीक होनी चाहिए। धारचूला, मुन्स्यारी सब जगह मेरा जाना हुआ। ज्यालीकोट सहित बहुत सारी जगह मैं गया। आपने कहा हालत ठीक है, अभी चुफाल जी ने बतायी, वहाँ की तत्काल स्थिति क्या है। कहाँ ठीक है? सब जगह हालत बुरी है। स्कूलों की हालत जस की तस है। स्कूल ठीक नहीं हुए हैं। विद्यालयों में मास्टर नहीं हैं। बहुत सारे विद्यालय ध्वस्त हो गये थे, वह खड़े नहीं हैं। वह तो आपकी संस्थाएं नहीं संभालतीं, विद्यालयों और बच्चों को तो न जाने उनका क्या हाल होता। बहुत सारी संस्थाओं ने उनको संरक्षण दिया। विद्यालय खड़े किये, बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन हमने क्या किया? मैं समझता हूँ कि इस ओर भी विचार करना चाहिए। हमने कहा था कि जो बच्चे अनाथ हो गये हैं, जिनका कोई सहारा नहीं रहा, उनको पढ़ाएंगे-लिखाएंगे। कितने बच्चों को आपने पढ़ाया, कितने बच्चों को आपने आगे एजुकेशन देने की बात की है? आंकड़े बताईये ना मुझे। हम कह सकते हैं कि हमने कितने बच्चों को पढ़ाने की बात की, कितनों को हम आज भी वजीफा दे रहे हैं, कितनों को हम बी0टेक0 और एम0टेक0 करा रहे हैं, हम बताते हैं आपको। आप बताईये ना, आखिर आपने क्या किया? उस दिन सर्वदलीय बैठक में कहा कि हम ये करेंगे, ये करेंगे लेकिन किया कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि यह चिन्तनीय विषय है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। यात्रियों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक से यात्रा चले, सड़क ठीक हो और विद्यालय ठीक से खड़े हों। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी ने, मदन जी ने और चुफाल जी ने इस पर जो अपने विचार रखे, उनसे अपने को जोड़ते हुए, मैं सोचता हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस अविलम्बनीय विषय पर चर्चा हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आपदा जैसे गंभीर मामले पर बोलने का अवसर दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष और अपने सभी माननीय सदस्यों से अपने को सम्बद्ध करते हुए बस दो-तीन विषय मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा आयी है और सरकार ने अपनी तरफ से कार्यवाही करी। विषय भी बार-बार आ रहा है कि कहीं मुआवजा नहीं मिला है, कहीं सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछले वर्ष प्रदेश में आपदा आयी थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी प्रदेश में उन स्थानों का चयन किया गया है, जहाँ पर दोबारा आपदा आने पर नुकसान हो सकता है। मेरी विधान सभा, क्योंकि मैं सल्ट विधान सभा से विधायक हूँ, मेरी विधान सभा में रामगाड़ में आपदा आयी, कई सारे मकान डूब गये, कई सारे

जानवरों का नुकसान हुआ। देघाट में बादल फटे और देघाट से जैनर तक जहाँ रास्ते में वल्मरा है, स्यालदे है और नदी किनारे बहुत सारे गाँव बसे हुए हैं। वहाँ बहुत सारे खेत बह गये और बहुत सारी खेती का नुकसान हुआ। लोगों की जमीनें कट गयीं। जहाँ पर आबादी निवास करती है, वहाँ तक पूरी खेती कट गयी है। अब अगर हल्की सी भी बरसात आती है, दोबारा कोई हादसा होता है, बादल फटने की घटना दोबारा होती है, तो मुझे लगता है कि इस बार खाली जमीन नहीं कटेगी, इस बार काफी संख्या में मकान टूटेंगे, जिससे जान–माल की भारी हानि हो सकती है। मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, यह विषय तो लगातार आ रहे हैं। लेकिन प्रदेश में उन स्थानों का चयन कहाँ किया गया, जहाँ दोबारा अगर हल्की सी भी बारिश आती है या बादल फटते हैं, तो ऐसी भयंकर घटना न हो। मुझे नहीं लगता कि आपदा प्रबन्धन के द्वारा उन स्थानों का चयन किया गया हो और दोबारा उन पर कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था की गयी हो। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में यदि इस बार हल्की सी भी भारी बारिश होती है, या बादल फटता है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भयंकर जान माल की हानि हो सकती है। वहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा करीब 12 करोड़ का आगणन भी बनाया गया था लेकिन बहुत दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जब पिछली बार आपदा की बैठक हुई थी, उसमें खाली सत्ता पक्ष के विधायकों को बुलाया गया था, अगर सभी को बुलाया जाता, क्योंकि आपदा किसी के भी क्षेत्र में आ सकती है, खाली सत्ता पक्ष और विपक्ष के मामले के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए था। उसी तरह इस बार भी जो एक आगणन बनाया गया, वह करीब 12–12.50 करोड़ रूपये का है, क्योंकि मैं लगातार उसके सम्पर्क में था और लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। क्योंकि अगर इस बार बारिश आती है तो मेरे क्षेत्र में भी जान माल की हानि हो सकती है। तो 12–12.50 करोड़ रूपये का आगणन बनाया गया लेकिन बहुत दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, चौखुटिया और द्वाराहाट क्षेत्र में चूँकि कांग्रेस के माननीय विधायक हैं, वहाँ पर रामगंगा नदी पर तटबंध बनाने का इस्टीमेट गया था, वह तो स्वीकृत कर दिया गया, जहाँ पर बादल भी नहीं फटे थे, कोई भारी नुकसान भी नहीं हुआ था। जबकि मेरे क्षेत्र में बहुत खेती कटी है और बहुत नुकसान हुआ है और मैंने कहा कि इस बार जान माल की हानि हो सकती है, वहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में ही, जैसा अभी माननीय चुफाल जी ने भी कहा कि मदकोट में कहीं 9 करोड़ रूपये, कहीं 10 करोड़ रूपये, कहीं 4 करोड़ रूपये देकर तटबंध बनाने का काम हुआ है और मुझे लगता है कि प्रदेश में जहाँ सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वहाँ तो इस तरह के काम किये गये हैं लेकिन जहाँ विपक्ष के विधायक हैं, वहाँ पर जहाँ जरूरी भी था, वहाँ के कामों को काटा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपदा का विषय, जान–माल के नुकसान का मामला

है, एक नीति बनाने का मामला है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पूरे प्रदेश में उन स्थानों का चयन किया जाय, जहाँ कभी भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि हमारे सभी पर्वतीय जिले भूकम्प जोन में आते हैं, तो उन स्थानों का चयन करके वहाँ पर तटबंध बनाने का काम प्रदेश में किया जाय। चाहे वहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं, जिन पर चर्चा कराए जाने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में कभी ऐसी आपदा आती है, ऐसे कोई भूकम्प आते हैं या भारी बरसात होती है, तो ऐसी घटनाओं से हम बच सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्रीमती शैलारानी रावत।

चर्चाधीन कार्य–स्थगन की सूचना को पुनः नियम–310 में लिये जाने की मांग

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप नियम 310 में चर्चा करा रहे हैं, तो बहुत सारे मामले हैं, आपने 58 में कहा, हमारे बहुत सारे मामले हैं, इसको आप 310 में ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

नियमतः बोल सकते हैं। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, या तो इसे 310 में स्वीकार कर लीजिये, तो सभी लोग बोल लेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हमारे संसदीय सचिव हैं, उनके भी क्षेत्र में आपदा आई है, कई विपक्ष के साथियों के क्षेत्र में भी आपदा आई है, वह भी अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन नियमों से ही चलता है, हमने सुबह कहा था कि हमारी चर्चा को स्वीकार कर लो, इसीलिये तो कहा था, क्योंकि सारे लोग बोलना चाहते हैं, शैला जी भी बोलना चाह रही हैं, अन्य लोग भी बोलना चाह रहे हैं। कार्य स्थगन हमेशा विपक्ष देता है, हमने इसीलिये निवेदन किया था कि सत्ता पक्ष भी उसमें भाग लेगा, पूरा सदन भाग लेगा, जो हम बोलेंगे, उसकी काट उधर से आ जायेगी, जो अच्छाईयां हुई होंगी, उसे बता देंगे। हमने सुबह कहा था कि चर्चा स्वीकार करिये, यह कार्य स्थगन है, 310 को 58 में बदल दिया गया, अगर इस तरह से नियम तोड़े जायेंगे तो प्रदेश का भी भला होने वाला नहीं है और यह सदन कैसे चलेगा, नियमावली से चलता, फिर तो नियम–कानून यहां कोई रहे ही नहीं। हम भी जिस तरह से मर्जी आयेगी, उसी तरह से ले लेंगे, इसका उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

जिस क्षेत्र में सबसे अधिक आपदा आई है..........।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, फिर नियम 310 में चर्चा की जाय। वह सरकार के खिलाफ क्या कार्य स्थगन लायेंगी या फिर शैलारानी जी यहाँ आ जाय और इधर आकर बोलें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं सम्मानित चेयर के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप नियमतः बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जब विषय की ग्राह्यता पर बहस हो रही है, तो सत्ता पक्ष की ओर से उसमें भागीदारी नहीं हो सकती है। चूंकि सवाल दैवीय आपदा से संबंधित था, तो हमने कहा कि यदि आप स्वतः ही एक बहस में बदल देना चाहते हैं, जिसका उत्तर अंत में मैं दूं। तो जो संबंधित क्षेत्रों के विधायक हैं, जहाँ पर आपदा से लोग बहुत बुरी मात्रा में प्रभावित हुये हैं, उनको भी अपनी बात कहने दें। यदि आपको उसमें कोई आपत्ति दिखाई देती है तो हमारा कोई भी इरादा नियम तोड़ने का नहीं है। मैं शैला जी से कहूँगा कि उनकी भावना सारे सदन ने नोट कर दी है और सदन के माध्यम से प्रदेश के लोगों ने भी नोट कर ली है, विपक्ष का जो अधिकार है, उसमें कोई कटौती नहीं की जायेगी।

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, विषय नियम का है, हमने तो पहले ही कहा था कि यह एक संवेदनशील विषय है, सभी लोग इसमें भाग लेना चाहेंगे, इसलिये इस पर 310 में चर्चा स्वीकार कर लीजिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट है कि उपवेशन शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले यह सूचनायें दी जायेंगी और जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर इस सूचना पर होंगे, वही इस पर बोलेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी भी चर्चा स्वीकार कर ली जाय, तो हम नई बहस भी शुरू कर सकते है।

श्री उपाध्यक्ष–

जिनके हस्ताक्षर हैं, हम उन सभी से बुलवा रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यदि चर्चा स्वीकार कर लें तो मैं दोबारा बोलना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ढाई–तीन घंटे का मसला है, मैंने तो बहुत शार्ट में बोला है।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 58 पर ग्राह्यता पर सुन रहे हैं, यह तो क्षेत्र से हैं।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, इस सूचना पर जिनके हस्ताक्षर हैं, उन्हीं को तो सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हीं से बुलवा रहे हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में सबसे ज्यादा आपदा आई थी, इसलिये उनसे बुलवा रहे हैं, सभी से नहीं बुलवा रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियमों के अनुसार सत्ता पक्ष इसमें नहीं बोल सकता है। इसीलिये हमने सुबह कहा था कि नियम 310 में स्वीकार कर लीजिये। (व्यवधान) हम विधायकों को नहीं बोलने के लिये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो नियम है, उसके अनुसार नहीं बोला जा सकता। यदि आप कहें कि हम नियम 310 स्वीकार कर रहे हैं तो हम फिर बोलना शुरू करते हैं।

कार्य–स्थगन की सूचना पर पुनः चर्चा जारी

श्री मालचन्द–

मान्यवर, आपने नियम 58 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूँ। मान्यवर, बद्रीनाथ–केदारनाथ और दूसरी–तीसरी जगहों की आपदा पर, माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य साथियों ने विचार रखें हैं। मान्यवर, एक आपदा से तो हम निपट चुके हैं और जो छोटी–छोटी आपदायें हैं, मुझे लगता है कि वह आने वाली हैं, पिछली आपदा से लघु सिंचाई की नहरें और हाईड्रम की योजनायें, सब नष्ट हो गई हैं और धान की पौध खेतों में है, टमाटर की पौध खेतों में है, यद्यपि सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी विधान सभा पुरोला और उससे लगा हुआ क्षेत्र भुखमरी की कगार पर आने वाली है और दूसरी आपदा आपको झेलनी पड़ेगी। आज सिंचाई विभाग कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लघु सिंचाई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और सारी नहरें बन्द पड़ी हैं, छोटी–छोटी नहरों का हैड टूट चुका है, बड़ी नहरों का हैड खत्म हो चुका है और हाईड्रम की योजनायें आपकी बन्द पड़ी हैं, सिंचाई से सारा क्षेत्र वंचित है और रोपाई का समय आ गया है।

मान्यवर, यद्यपि नहरों की मरम्मत नहीं की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि रोपाई नहीं होने वाली है, सिंचाई नहीं होने वाली है, टमाटर की फसल खत्म हो जायेगी और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच जायेगा, पूरा क्षेत्र भुखमरी की कगार पर खड़ा हो जायेगा। मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से सरकार से निवदेन करना है कि अविलम्ब सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग को पैसा दिया जाय और काम करने का आदेश दिया जाय, ताकि इस आपदा से बचा जा सके। केदारनाथ की आपदा पर बोला होगा कि सड़कें बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, सभी ने देख लिया, हम लोग पैदल आये हैं, गाड़ियों से आये हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से रोज पढ़ते और देखते हैं कि कितना पैसा दे दिया गया और क्या स्थिति है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह दूसरी आपदा, जो गरीब किसानों की आपदा है, उससे वह न जूझें, इसलिये सिंचाई पर जोर देने की आवश्यकता है, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। मान्यवर, पिछले वर्ष जो आपदा आई, कुछ लोगों को मकान का पैसा मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, प्रभारी मंत्री की तरफ से एक समिति का गठन किया गया और उसमें यह भी कहा गया कि विधायक भी इसके सदस्य रहेंगे और वह अपनी रिपोर्ट देंगे कि जो मकान टूट गया है, जो रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, जो पुल बह गया है, जो आपदा की रिपोर्ट में नहीं जुड़ा है, उसे आपकी रिपोर्ट के अनुसार जोड़ दिया जायेगा। हमने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, न मकान वाले को पैसा मिला, न पुल से लिये, न सड़क के लिये पैसा मिला, आज जस की तस हालत पड़ी हुई है। मेरी विधान सभा पुरोला का विकास खण्ड मोरी है, पिछली बार लिवाड़ी–फिताड़ी, राला, कासला, ओसला, पौंणी का रास्ता बन्द हो गया था और

हैलीकाप्टर के माध्यम से राशन पहुँचाया गया। मान्यवर, आज भी लोग बन्दरों की तरह जा रहे हैं, पैदल मार्ग नहीं बन रहा है, मान्यवर, गोविन्द पशु विहार को जो पैसा आपदा से दिया गया है, उसमें विधायकों की कोई सलाह नहीं ली जाती है वो सीधे–सीधे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो देहरादून में बैठकर पैसे का बंदर बाँट करते हैं और आज पैदल मार्ग जैसे के वैसे हालत में हैं और फिर पुनः बरसात आने वाली है आज भी राशन के लाले क्षेत्र में पड़ने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि यदि वो रास्ते नहीं बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाली बरसात में फिर बंदरों की तरह लोगों को जाना पड़ेगा। पिछली बार 14–14 सौ रूपये खच्चर का भाड़ा लोगों ने दिया, 25–25 किलोमीटर पैदल गये तब भरपेट भोजन अपने घरों के लिए लोग ले गये, 3–3 दिन का रास्ते में डेरा डाला तब अपना पेट भरा लोगों ने। मान्यवर, इस समय लोकसभा के चुनाव में कलाब के लोगों ने वोट देना बंद कर दिया, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। इसलिए बहिष्कार किया कि वहाँ पर आने–जाने के रास्ते नहीं हैं, पैदल मार्ग नहीं हैं। पुल बह गया और ट्राली के लिए मैंने कहा और शासन के लोगों ने देखा है, लेकिन शासन के लोगों ने कहा कि ट्राली को आपदा में नहीं लिया जायेगा तो मेरी माननीय अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना है कि पुल तो यह सरकार बनाने से रही, जब बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता नहीं बनता है तो छोटा कलाब की चिंता कौन करेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपदा के क्षेत्र में जहाँ पर पुल बह गये हैं, वहाँ पर ट्राली लगायी जाय और आपदा में उसको लिया जाय। ट्राली कहते हैं कि आपदा में नहीं आयेगी, अगर ट्राली आपदा में नहीं आयेगी, पुल तो सरकार बनाने से रही। मेरा आपसे निवेदन है मान्यवर, कि ट्रालियाँ लगायी जायें और आपदा से उन्हें पैसा दिलाया जाय। कलाब की मैंने बात कही वहाँ पर गाँव में छोटे–छोटे पुल नहीं हैं, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है तो मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन है कि सरकार को आप निर्देशित करें कि आने वाली बरसात में गाँव छोड़ने को लोग तैयार हैं और निश्चित रूप से कलाब विस्थापितों में है, लेकिन विस्थापन की कार्यवाही नहीं होगी। वो नुरानों का मामला हो या कलाब का मामला हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष जी, कि छोटे–छोटे काम सरकार करे, ताकि छोटी–छोटी परेशानियों से निपटा जाय और देखें लोग कि वास्तव में सरकार काम कर रही है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो छोटी–छोटी परेशानियाँ हैं मान्यवर, उनमें आपदा के अन्तर्गत काम होना चाहिए। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में हर साल अग्निकांड होता है और सरकार कहती है कि अग्निकांड आपदा में नहीं आता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, पूरे सदन से प्रार्थना है कि अग्निकांड से आदमी का सबकुछ जल कर नष्ट हो जाता है, उसको आपदा में नहीं लिया जाता है और एक पैदल मार्ग अगर टूट जाय तो उसको आपदा से पैसा दिया जाता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है, सदन से प्रार्थना है कि अग्निकांड को आपदा घोषित किया जाय और समय पर उसका मुआवजा दिया जाय, यह मेरी आपसे प्रार्थना है मान्यवर, दूसरी मेरी प्रार्थना है सदन के सभी सदस्य बैठे हैं। आपदा कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आयी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उप जिलाधिकारी

के माध्यम से कहा कि आपको 01 करोड, 05 करोड दिया जायेगा और आप उससे आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग हों, पुलिया हों उसको बनाया जाय, लेकिन मान्यवर, वहाँ पर क्षेत्रीय विधायकों को नहीं पूछा जाता है और उसकी बंदर बांट कर दी जाती है जिसकी आवश्यकता है वो काम आज जैसा का तैसा है आज भी उसमें काम नहीं हो रहा है। न पुलिया बनी है, न वो सडक बनी है। नहीं पूछा गया मान्यवर, मैं कहता हूँ नहीं पूछा गया। आप पूछ लीजिएगा मान्यवर, बिल्कुल नहीं पूछा गया। मेरी आपसे प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष जी, इसका आपकी पीठ से निर्देश होना चाहिए कि क्षेत्र के विधायक को पूछा जाना चाहिए मान्यवर, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, यह सबकी पीडा हो सकती है। मैं अपनी पीड़ा तो बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों की पीडा नहीं होगी, हमारी तो पीड़ा है। मेरे जनपद का, मेरे उप जिलाधिकारी पुरोला से पूछा जाय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहा भूख हडताल पर बैठा, आज भी मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखकर दे रखा है, लेकिन मेरे को नहीं पूछा गया है। मैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र की जो तात्कालिक योजनाएं हैं, पैदल मार्ग हैं, पुलिया हैं, वो बननी चाहिए मान्यवर, वो आपदा का पैसा है, सरकार का पैसा है और क्षेत्र में लगना चाहिए इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपकी पीठ से सख्त निर्देश होना चाहिए कि आपदा में कहीं पर भी हो, क्षेत्रीय विधायक को प्राथमिकता देनी चाहिए। माननीय नेता सदन जी सदन में हैं मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे यदि छोटी–छोटी नहरों के लिए पैसा नहीं दिया जायेगा तो मेरे क्षेत्र में दूसरी आपदा आने वाली है भुखमरी पडने वाली है, क्योंकि हम लोग, मैं क्षमा भी चाहूँगा। मैंने सदन में कहा था कि मैं लाल चौल राजमा का आपको एक दिन का भोजन कराऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन जी ने गैरसैंण में सदन किया, गैरसैंण में तो मैं लाल चावल नहीं ला सकता हूँ, यद्यपि दूसरा सदन देहरादून में होगा तो लाल चावल और राजमा का भोजन अवश्य कराऊँगा, क्योंकि लाल चावल के लिए मेरा रंवाई क्षेत्र फेमस है।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है आपसे, कि नहरों के लिए तुरन्त पैसा दिया जाय, ताकि नहरों की मरम्मत हो इस आपदा से बचा जाय। लाल चावल और टमाटर उगाया जाय।

मान्यवर, और नियम–58 में आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ और इस पर चर्चा जारी रखें। सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा कराने की मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत, श्री महावीर सिंह रांगड एवं श्री दान सिंह भण्डारी जी का नाम पुकारे जाने पर उपरोक्त माननीय सदस्य अपने स्थान पर खडे नहीं हुए।)

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने आपदा से जुडे अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर बोला है। उन्होंने केदारनाथ की बात की, बद्रीनाथ की बात की, मार्गों की बात की और यह बताया कि मार्गों की क्या स्थिति है। मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। मान्यवर, सबसे पहले जो आपदा आयी मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूरी के बिनररी गाँव में पहले 03 कैजुवल्टी हुई, 03 लोगों की मृत्यु हुई और आज एक साल होने वाला है जिस ढांग के गिरने से वो लोग मरे थे, उसका आगणन बना कर दिया गया, पर आज एक साल होने के बाद वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। मान्यवर, इस बार मसूरी के अंदर 56 कोट में जहाँ पर गरीब रिक्शेवाले रहते थे आपदा के कारण उनको शासन द्वारा वहाँ से हटाया गया, हटाने के बाद पी0डब्ल्यू0डी0 की पार्किंग में शिफ्ट किया गया और 22 लोगों की सूची पिछले सत्र में मैंने माननीय नेता सदन को यहाँ पर सौंपी थी। अभी तक उनके विस्थापन की कोई कार्यवाही नहीं हुई और मुझे बडे कष्ट के साथ कहना पड रहा है पूर्व नेता सदन ने लिखित रूप में उसमें लिखा कि इनको 3–3 हजार रूपया किराया दिया जायेगा, आज तक उनको एक भी पैसा नहीं मिला। मान्यवर, न ही उनके विस्थापन की कोई कार्यवाही हुई। इसी प्रकार मेरी विधान सभा क्षेत्र के कालीगाड गांव जिसमें 2012 में आपदा आयी थी मान्यवर, उसके विस्थापन की कार्यवाही चल रही थी। मैंने जिला स्तर पर कार्यवाही करवा कर शासन को प्रेषित करा दिया, जगह भी चिन्हित कर दी गयी है मान्यवर, लेकिन अभी तक उनके विस्थापन की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब राजधानी से लगे हुए क्षेत्र का यह हाल हो कालीगाड माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, मिटठीबेहडी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से 06 किलोमीटर दूर है। जब वहाँ की यह स्थिति है तो बद्री और केदार की क्या स्थिति होगी, मान्यवर, यह आप कल्पना कर सकते हैं। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र धनोल्टी, उसके एक गाँव थत्यूण में भीषण आपदा आयी। 22 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये, पूरी तरह मिट्टी में मिल गये, जमीन में मिल गये। पूर्व नेता सदन भी वहाँ पर गये थे, माननीय नेता सदन भी वहाँ पर गये थे और घोषणा कर के आये थे कि यहाँ पर उन लोगों के मकान बनाये जायेंगे। मान्यवर, और आज एक साल होने को जा रहा है, जबकि हमने एक संस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के माध्यम से वहाँ पर एक मकान बनाकर तैयार कर दिया तीन माह पूर्व और दोनों नेता सदन वहाँ जाने के बाद, आश्वासन देने के बाद भी वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। मान्यवर, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ बद्री, केदार तो देहरादून से बहुत दूर है, लेकिन ये देहरादून से लगे हुए क्षेत्र हैं। मान्यवर, नवम्बर माह में मेरी विधान सभा क्षेत्र में डियर पार्क मालसी के बाहर बारिश से एक मकान गिरा, पूरी तरह ध्वस्त हो गया। प्रशासन द्वारा मात्र 02 हजार रू0 उनको दिये गये। उनका भी हमने किसी संस्था के माध्यम से मकान बनाकर दे दिया। जब स्वयं सेवी संस्थाएं इतनी तेजी से काम कर सकती हैं, लोगों के आवास बनाकर दे सकती हैं तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकतीं, क्या सरकार सिर्फ आश्वासन दे सकती है, क्या सरकार सिर्फ विज्ञापनों में घोषणा कर सकती है, क्या खाली दिखावा करने के लिए सरकार है, मान्यवर, और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मान्यवर, जिस आपदा में बह गया था, मेरे बार–बार प्रयास करने के बाद बड़ी मुश्किल से उस पर काम शुरू हुआ। आज उस काम को फिर रोक दिया गया है। मान्यवर, फिर बरसात आने वाली है वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए 45 किलोमीटर दूर घूम कर आना पड़ता है। मान्यवर, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि आपदा के काम में सरकार जिस प्रकार का भेदभाव कर रही है, क्योंकि आपदा यह देख कर नहीं आती कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है या यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, आपदा सबके लिए आती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

मद संख्या–29

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम अनुपूरक अनुदान माँगे प्रस्तुत करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जायें।

(प्रतियाँ वितरित की गई।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, गैरसैण में आयोजित इस सत्र में मैं वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15 का प्रथम अनुपूरक माँगों का प्रस्ताव इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम अनुपूरक में कुल तीन हजार आठ सौ अठारह करोड़ बयान्वे लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसमें तीन हजार चार सौ चौदह करोड़ चौंतीस लाख की धनराशि आयोजनागत मद में एवं चार सौ करोड़ उनसठ लाख की धनराशि

आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत प्राविधानित है। इसमें रूपया दो हजार दो सौ करोड़ सोलह लाख राजस्व मद में व एक हजार छः सौ अठारह करोड़ सत्तर लाख पूँजीगत मद में प्राविधानित है। प्रस्तावित अनुपूरक माँग में अधिकांश धनराशि उन योजनाओं में प्राविधानित की गई है जो केन्द्र पोषित है तथा जिनमें पूर्व में धनराशि सीधे कार्यदायी संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाती थी। परन्तु अब वित्तीय वर्ष 2014–15 से यह धनराशि राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। प्रस्तावित अनुपूरक में उन योजनाओं के लिए भी धनराशि का प्राविधान किया गया है जिनका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट भाषण में किया गया था, परन्तु बजट प्राविधान नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा लिये गये प्रमुख निर्णयों के सम्बन्ध में भी बजट प्राविधान सम्मिलित किया गया है। मान्यवर, इसके प्रमुख विशेषताओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रही हूँ बाकी छपा हुआ लिट्रेचर बट रहा होगा। गैरसैण में विधान सभा भवन के निर्माण हेतु रू0 25 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। दूसरा अति महत्त्वपूर्ण निर्णय जो बजट के लिए किया है, गंगा नदी के प्रदूषण नियंत्रण तथा संरक्षण कार्य हेतु रू0 22.30 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। भूलेख के आधुनिकीकरण के क्रियान्वयन हेतु रूपया 36.46 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण थाना पुलिस चौकी निर्माण तथा पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 28.25 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु रू0 370 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पंडित नैन सिंह सर्वेयर माउटेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु साढ़े पाँच करोड़ का प्राविधान किया गया है। राजकीय पालिटेक्निकों के भवन निर्माण हेतु रूपये 50 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण, खेल निदेशालय की स्थापना देहरादून तथा पिथौरागढ़ स्पोर्टस कालेज के भवन का निर्माण हेतु अनुपूरक के माध्यम से रू0 17.66करोड़ का प्राविधान किया गया है। राज्य के युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार क्षमता का विकास तथा अन्य प्रशिक्षणों द्वारा व्यक्तित्व विकास के लिए तेरपन सिंह नेगी राज्य स्तरीय युवा विकास केन्द्र की स्थापना की गई है, इसके लिए एक करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु रू0 3 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत रूपया 24970 करोड़ का प्राविधान किया गया है। दून मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु रूपया चालीस करोड़ तथा मेडिकल कालेज अल्मोड़ा की स्थापना हेतु 70.61 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रू0 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राज्य एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत 17.97 करोड़ की बजट की व्यवस्था की गई है।

पिरान कलियर में यूनानी कालेज की स्थापना हेतु रू0 01 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल की योजना के अन्तर्गत 151 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मलिन बस्तियों, वाल्मिकी बस्तियों में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। गैरसैण विकास प्राधिकरण के लिए रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में जयानन्द भारतीय खुशी राम के नाम से पार्कों की स्थापना के लिए रू0 01 करोड़ का प्राविधान किया गया है। डोईवाला क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु रू0 5 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री बालपोषण अभियान योजना के अन्तर्गत रू0 7.5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। संत केशर सिंह स्मृति सहायता कोष हेतु रू0 ढाई करोड़ का प्राविधान किया गया है। कलियर शरीफ दरगाह परिसर के मास्टर प्लान के कियान्वयन हेतु रू0 1.15 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण दिवस मनाये जाने हेतु रू0 10 लाख की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण हेतु 50 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में जैविक मडुआ उत्पादन कार्यक्रम हेतु रू0 2.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। उन्नतशील प्रजातियों के धान बीज स्थापन कार्यकम हेतु बजट प्राविधान किया गया है। ग्राम विकास के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भी अतिरिक्त बजट का प्राविधान किया गया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 550 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ग्राम्य तालाबों के निर्माण एवं विकास हेतु रू0 2 करोड़ का प्राविधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत रू0 435 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है। राज्य में विलुप्त हो रहे परम्परागत शिल्पों को पुर्नजीवित करने की दिशा में हरिराम टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना एवं सहायता के लिए 01 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है । अटल खाद्यान योजना के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु रू0 200करोड़ का प्राविधान किया गया है। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत डेस्टीनेशन एवं सर्किस्ट हेतु अवस्थापना विकास कार्य हेतु 182.31 करोड़ का प्राविधान किया गया है। नई टिहरी में होटल मैनेजमैंट इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्राविधान किया गया है। हमारा पेड़ हमारा धन योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कृषि फसलों को वन्य जीवों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीवों से खेती सुरक्षा योजना हेतु रू0 50 लाख का प्राविधान किया गया है। गुर्जर के पुनर्वास एवं अन्य प्रभावित पुनर्वास योजना के लिए 22.40 करोड़ का प्राविधान किया गया गया है । जायिका द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना के लिए अनुपूरक के माध्यम से 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है। सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान हेतु रू0 50 लाख का प्राविधान किया गया है। अहिल्या बाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना के लिए 1.89 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

नव सृजित भेड़ बकरी विकास विभाग की स्थापना हेतु भी बजट का प्राविधान किया गया है। नव सृजित चारा एवं चारागाह विकास विभाग की स्थापना हेतु 10 लाख का प्राविधान किया गया है। मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार व राज्य स्तरीय मत्स्य स्वास्थ्य अनुवेषण एवं जलीय गुणवत्ता प्रयोगशाला के लिए 23.50 लाख का प्राविधान किया गया है। उद्यानों के जीर्णोद्धार योजना बोरवेल स्थापना, पालीहाउस योजना, पुरानी पालीहाउस के पालीथीन बदलने के लिए 02 करोड़ का प्राविधान किया गया है। फल पौध रोपण योजना के लिए 01 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पावर खरीद पर सब्सिडी योजना के लिए रू0 01 करोड़ की बजट व्यवस्था अनुपूरक के माध्यम से की गई है। किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत बजट का प्राविधान किया गया है। पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार में बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए मान्यवर, 2 करोड़ का प्राविधान किया गया है, यही सब बजट में है, जिसके सब आंकड़े आपके पास उपस्थित है, धन्यवाद।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत पुनः चर्चा जारी

श्री गणेश जोशी–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जब आपदा आती है तो यह देखकर नहीं आती है कि कांग्रेस का विधायक है या भाजपा का विधायक है और बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि जब नेता सदन आपदा के लिए विधायकों की बैठक बुलाते हैं तो मात्र कॉंग्रेस के लोगों की बैठक बुलाते हैं, उस पर नेता सदन घोषणा करते हैं, बड़े–बड़े विज्ञापनों में आता है कि एस0डी0एम0 को एक करोड़ का अधिकार दे दिया गया है और एस0डी0एम0 से पूछा जाता है तो वह कहता है कि मुझे 30 लाख रूपया मिला है, तो 30 लाख रूपये में देहरादून के 7 विधायकों में से किसको कितना दें, तो सरासर जनता से मजाक करने का काम यह सरकार कर रही है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपदा पर जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 6 हजार करोड़ से अधिक पैसा केन्द्र सरकार की ओर से दिया गया, साढ़े चार सौ करोड़ से अधिक अन्य संस्थाओं के द्वारा दिया गया, सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि वह पैसा कहाँ लगा, इसका उपयोग कहाँ पर हुआ, मेरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ के प्रस्ताव विभिन्न विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0, सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये, जल संस्थान द्वारा दिये गये हैं, लेकिन मात्र 20 लाख रूपया मेरी विधानसभा क्षेत्र को दिया गया है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसी संवेदनशील विषय पर सरकार को निर्देशित करें, क्योंकि अभी जून से फिर बारिश शुरू होने जा रही है और पिछली आपदा के काम अगर शुरू नहीं हुये, वहाँ पर पुस्ते नहीं लगे, वहाँ पर जाल नहीं लगे, वहाँ पर पुल नहीं बनें तो लोगों को आना–जाना दूभर हो जायेगा,

तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर चर्चा जारी रखी जाये और सरकार को निर्देशित किया जाये कि आपदा के काम पर भेदभाव न किया जाये।

*श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और जो हमारे विधायक हैं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ और उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। मान्यवर, वास्तव में वर्ष 2010 से 2012 तक लगातार इन 2–3 वर्षों में आपदा ने उत्तराखण्ड को झकझोर दिया और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जिस तरह की व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए थी, जिस तरह से आपदा के प्रति गम्भीरता दिखाई जानी चाहिए थी और वह निश्चित रूप से गम्भीरता सरकार के द्वारा नहीं दिखाई गई, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उत्तराखण्ड बहुत कमजोर पहाड़ियों पर निर्मित है और निश्चित रूप से आपदा से रूबरू प्रति वर्ष होना पड़ता है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से आपदा के प्रति जो गम्भीरता दिखाई जानी चाहिए थी वह गम्भीरता नहीं दिखाई गई। मान्यवर, वर्ष 2012 में जो त्रासदी हुई वह पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा काला इतिहास लेकर आया, लेकिन हमने इससे कोई सीख नहीं ली, अभी मैं परसों ही बद्रीनाथ की यात्रा में गया, इससे पहले भी हमने आपदा की बात रखी कि हिन्दुस्तान की जितनी भी धार्मिक यात्रायें होती हैं, उनमें पंजीकरण बहुत जरूरी होता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं ऋषिकेश से लेकरके बद्रीनाथ तक गया लेकिन किसी भी स्थान पर मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी कि जहाँ पर किसी यात्री का पंजीकरण हो और यह चिन्हित किया जा सके कि कौन यात्री यात्रा में जा रहा है, भगवान न करे कि ऐसी घटना हो, लेकिन पुनः वर्ष 2012 वाली पुनरावृत्ति हो तो हमें पता नहीं चल पायेगा कि फिर कितने लोग इस काल में समा गये। मान्यवर, 2012 के अलावा 2010 में भी बड़ी त्रासदी आई थी, मेरी विधानसभा मंदाल नदी और पलै नदी पर लगभग 7 बड़े–बड़े पुल बह गये थे, मैंने कई बार यह बात सदन में रखी कि इन पुलों पर निर्माण कार्य किया जाना चाहिए और मैं कई बार विभाग को लिख भी चुका हूँ और सदन में उठा चुका हूँ, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ निश्चित क्षेत्र को ही आपदा के लिए चिन्हित किया है और बाकी क्षेत्र को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मान्यवर, मेरा यहाँ दो महत्वपूर्ण पुल 2010 में बह गये और 2012 में पानी दुगना हो गया लेकिन अभी तक न पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा और न आपदा विभाग के द्वारा हुआ और आपदा विभाग यह कहकर वापस करता है पी0डब्ल्यू0डी0 को कि आपने समय पर इसकी सूचना नहीं दी और दूसरी तरफ पी0डब्ल्यू0डी0 कहता है कि मैंने समय पर सूचना दे दी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों विभागों की लड़ाई में क्षेत्र का नुकसान हो रहा है और जो बरसात होने वाली है उनमें छोटे–छोटे बच्चे विद्यालयों में जाने से

महरूम हो जायेंगे। मान्यवर, इसके साथ ही जो कृषि भूमि बह गई थी उन पर आज तक जो ट्रीटमेण्ट होना चाहिए था वह अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, यह भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मान्यवर, अभी मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि जिन लोगों के घर बह गये थे उनके पास अपनी जो भूमि है वह खतरे की जद में है और वहाँ दोबारा मकान बनाना सम्भव नहीं है या खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि उन लोगों को सरकार की तरफ से निशुल्क जमीन आवंटित की जानी चाहिए और उन लोगों को मकान बनाकर देना चाहिए, क्योंकि 5 लाख में वहाँ की परिस्थितियों में मकान बनाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के दो गाँव का उल्लेख करना चाहूँगा तोर गाँव, पल्ली गाँव और ग्राम सुखोली तो दो गाँव ऐसे हैं जो चारों तरफ से भू स्खलन की जद में है और कभी भी एक छोटी सी बारिश आने से वे गाँव जमींदोह हो सकते हैं, लेकिन बार-बार प्रशासन को कहने के बाद भी उस गाँव के विस्थापन के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाये गये हैं, तो यह जो लोकमहत्व का विषय है उसके लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये मान्यवर, ताकि आपके माध्यम से उत्तराखण्ड क्षेत्र का विकास हो सके और भला हो सके। धन्यवाद।

श्री हरीश रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, चाहे विषय की ग्राहयता के संदर्भ को लेकर ही आपदा के मामले को उठाया गया हो, मैं प्रतिपक्ष को इस महत्वपूर्ण मामले में विचार-विमर्श प्रारम्भ करने के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं माननीय सदन की चिंता के साथ अपने को जोड़ता हूँ, सम्बद्ध करता हूँ। सदन में इस विषय वस्तु की ग्राह्यता पर स्वाभाविक है, मेरा अनुरोध यही रहेगा कि मेरे उत्तर के बाद इस विषय पर आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि 8 दिन के बाद उत्तराखण्ड और सारा मुल्क उन लोगों को याद करेगा, जो केदारनाथ में आयी त्रासदी के कारण अकाल कालकवलित हुए। मैं उन सभी लोगों को इस सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना को जोड़ना चाहता हूँ, सम्प्रेषित करना चाहता हूँ। हमें गहरा दुःख है कि हम उन श्रद्धालुओं को हम बचा नहीं सके। यह प्रकृति का ऐसा कहर था जिसने वैज्ञानिकों को भी हतप्रभ कर दिया। मान्यवर, जो व्यवस्था में थे उनको रिसपॉंस टाईम नहीं मिल पाया कि वे बचाव के लिए कुछ कर सकें और जहाँ पर समय मिला जैसे गोविन्दघाट में वहाँ पर भी उसी तरह से यात्री थे। मान्यवर, गोविन्दघाट में भी रामबाड़ा की तरह हादसा घट सकता था, लेकिन गोविन्दघाट में रिसपॉंस टाईम मिला और इसलिए वहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी थे, अन्य लोग जो प्रबन्धन में लगे थे वे लोगों को जीवन को बचा सके। मगर केदारनाथ और रामबाड़ा में

हम यह कार्य नहीं कर सके, इसका हमें गहरा दुःख है। मान्यवर, एक सवाल उत्तराखण्ड हमेशा अपने से पूछेगा कि हम अपने इन देवस्थलों में आये श्रद्धालुओं की रक्षा क्यों नहीं कर सके। यहीं से हमारा यह संकल्प प्रारम्भ होता है कि हम अपने चारों धाम, बल्कि मैं इन धामों के अलावा अपने दो अन्य पवित्र स्थानों को जोड़ना चाहूंगा जो इतने ही विषम भौगोलिक क्षेत्रों में, बल्कि इससे अधिक विषम भौगोलिक क्षेत्रों में सम्पादित होती हैं, वे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा और गोविन्दघाट यात्रा। यह हमारा सामूहिक संकल्प है, यह कोई पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। चूंकि मेरा अपना मानना है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदीनाथ धाम हमारे पास सभ्यता की धरोहर है। मानवता ने इन दिव्यस्वरूप धामों को हमें सौंपा है और हमारा और हमारे राज्य के पूरे नागरिकों का कर्तव्य है कि हम इस धरोहर की रक्षा के लिए और इससे जुड़ी हुई संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा के लिए सन्नद्ध होकर कार्य करें। मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आपदा के समय बचाव एवं रक्षा में हाथ बंटायें हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय राजनेतागण भी आये, स्वयं सेवी संस्थाएं भी आयीं, हमारे राज्य के पुलिसकर्मी से लेकर दूसरे अन्य अधिकारी लोग इस कार्य में जुटे। हमने कुछ योग्य कर्मचारी भी खोये। कर्तव्यपालन में कुछ फोर्स के कुछ ऑफीसर्स एवं एन0डी0आर0एफ0 के कुछ ऑफीसर्स भी हमने खोये। मान्यवर, एक ऐसा कार्य पूरा देश मिलकर कर पाया, जो दुनियां के इतिहास में कहीं और नहीं हो पाया। मैं जितनी गहराई के साथ इस आपदा का विवेचन करता हूँ तो उतना ही मेरा मन इस बात के लिए और पक्का होता है कि हमारे लोगों ने ऐसा कार्य किया है, जो साधारण परिस्थितियों में भी नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनियां में इतनी बड़ी त्रासदी और कहीं नहीं आयी है, इतने व्यापक पैमाने पर नहीं आयी है और इतनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में नहीं आयी है। मान्यवर, आप बहुत अच्छी तरह से भिज्ञ हैं कि त्रासदी के लगभग एक साल बाद भी, जिस समय हमारी टीम रास्ता बनाने के लिए केदारपुरी में जिसको कि केदारपूंछ कहा जाता है, वहाँ पर टीम ने कदम रखा, उस समय वहां पर मई के महीने में 6 फिट हिम था। मान्यवर, जिस समय 3 मई को वे केदारनाथ जी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पूरी दुनियां ने वह नजारा देखा कि दोनों तरफ बर्फ काटकर लोगों ने रास्ता बनाया, ताकि 4 तारीख को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल सकें, उनकी पूजा अर्चना हो सके और यह विशुद्ध रूप से केदारनाथ जी के आशीर्वाद से सम्भव हो सकता था, या जो लोग कर्तव्य के साथ इस कार्य में जुटे हुए थे, उनके कर्तव्य परायणता के कारण ही यह संभव हो सका, इसको कोई शासकीय शक्ति नहीं कर सकती थी। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि यह मेरी या मेरी सरकार की क्षमता का परिणाम नहीं था, बल्कि जिन लोगों को हमने वहाँ भेजा था, उनके अन्तरमन के संकल्प ने इस कार्य को करके दिखाया है। मान्यवर, अभी भी हम उन लोगों के ऊपर बहुत कार्य सौंपे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा उनकी प्रशंसा में नहीं कहना चाहूँगा,

मगर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि उन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उन रास्तों को खोलने का कार्य कर रहे हैं, मैं उन लोगों को सदन के पटल पर, इस राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से सैल्यूट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सदन इस कार्य में मेरा साथ दे। मान्यवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा, मैं स्वयं गया हूँ। मैंने उन विषम डगरों में एक बार पांव नहीं रखा है। ठाढींधार से लेकर रूमिन टॉप से लेकर मलारी के, मालपा की चढ़ाई को मैंने एक से अधिक बार चढ़ा है। मगर प्रकरति की बदलती हुई संवेदनशीलता के कारण आज कितनी नाजुक स्थिति है वहाँ, कल तक हमने जिस पुल को जोड़ दिया था, आज उस पुल के अस्तित्व के लिए मैं आशंकित हूँ कि बना रह सकेगा या नहीं रह सकेगा, चाहे वह पनचुट्टी का हो और चाहे एक पुल जो हमने दारमा घाटी को जोड़ने के लिए बनाया था, चीफ सेक्रेटरी ने स्वयं उसको देखा लेकिन चीफ सेक्रेटरी देहरादून नहीं पहुँच सके और वह पुल क्षतिग्रस्त हो गया। क्योंकि वहाँ पर विषम परिस्थितियाँ हैं, यहाँ देहरादून में शंकाएं खड़ी करना बहुत सरल है। मगर जाकर जिस समय एवरान्चेज के बीच में काम करते हुए, मैं माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को देख रहा हूँ, पुलिस के अपने कर्मियों को देख रहा हूँ, पी0डब्लू0डी0 के मजदूरों को देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ हरीश रावत की श्रद्धा से कई गुना बढ़ करके उनके परिश्रम की श्रद्धा है, जो केदारनाथ की यात्रा को खोलने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता कैसे नहीं लगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुझे खुशी है, यह कहते हुए कि हमने न केवल सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड तक सड़क बना दी, उसमें थोड़ा सा करीब 100 मीटर का हिस्सा रह गया है, इस समय शायद उससे भी कम रह गया होगा। जहाँ पर लोग कह रहे थे कि अब यहाँ से आगे तो यात्रा प्रारम्भ हो ही नहीं सकेगी, आज वहाँ पर पुल है और सुरक्षित पुल है, अच्छा पुल है। रामबगड़, जिसके अस्तित्व को पूरी दुनिया ने बहते हुए देखा है और आज भी लोग उस दिल दहला देने वाली घटना के वीडियोज को देखकर कांप उठते हैं, उस रामबगड़ तक हमारे लोगों ने पहले से अधिक बेहतर ट्रैकिंग मार्ग बना दिया है। यदि एक आध महीने प्रकरति और कृपालु रहेगी तो माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप गौरीकुण्ड से रामबाड़ा तक पैंट की जेब में हाथ डाल कर घूमते हुए, टहलते हुए भी जाएंगे, हम इस एलाइन्मेंट में उस ट्रैकिंग मार्ग पर पैदल मार्ग का निर्माण करेंगे।

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, वह रामबगड़ नहीं है, वह रामबाड़ा है।

श्री हरीश रावत--

मान्यवर, हाँ, वह रामबाड़ा है। कुछ बुढ़ापे का असर हो जाता है। आप जवान आदमी हैं, इसलिए हमने आपको अपने सामने रखा है कि अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो उसको आप सही कर देंगे। आप जानते हैं बाड़ा और बगड़ में कितना अन्तर

होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उस अन्तर में आपको नहीं ले जाना चाहता। रामबाड़ा से लैंचोली तक, तल्ली लैंचोली, मल्ली लैंचोली, वहाँ तक भी मार्ग हमने पहले ही बहुत अच्छा बना दिया था। यहाँ तक कि लोग खच्चरों में जा रहे थे लेकिन वहाँ से हमारी असली परीक्षा शुरू हुई थी। हमने पहली परीक्षा पास की, जिस समय हमने लैंचोली से केदारपुरी तक और केदारपुरी से केदारनाथ धाम तक लोगों के जाने लायक रास्ता बना दिया और हजारों यात्री उसी रास्ते से गये और उन्होंने जाकर केदारनाथ जी के दर्शन किये। आज हमने लैंचोली से एक बेहतर मार्ग, जिसमें खच्चर आदि जा सकेंगे, वह भी केदारपुरी तक निर्माण करने का काम पूरा कर दिया है। केदारपुरी में हमने अभी कोई नया निर्माण नहीं किया है, अभी हमने वहाँ पर टेण्ट पर विश्वास किया है। हमने टेण्ट कॉलोनीज बना दी हैं। कुछ फैब्रीकेटेड घर, जिनको हम ठीक कर सकते थे, उनको हमने सुधारा है और कुछ हमने नये बनाने का काम किया है। हमने 1000 से लेकर 1500 के बीच में लोग वहाँ पर रह सकें, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कर दिया है। चूँकि यात्रा शुरूआती वर्ष की है, दैवीय आपदा के बाद, इसीलिए हमने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि हम 1000 से ज्यादा लोगों को केदारनाथ जाने के अनुमति नहीं देंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हमने उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया? हमने रजिस्ट्रेशन पहली बार इन्ट्रोड्यूस किया और उसकी सराहना हुई है। रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। एक प्वाइंट पर नहीं किया जा रहा है, कई प्वाइंट पर किया जा रहा है। मोबाईल रजिस्ट्रेशन की भी हमने व्यवस्था की है। हमने एस0डी0आर0एफ0 पोस्ट कर दी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, यदि कहीं पर कोई इवेंचुएलिटी आती है, तो एस0डी0आर0एफ0 की मदद उनको हासिल रहे। हमने उसके लिए वॉलेन्टियर्स तैयार किये हैं। हमने उसके लिए पुलिस के लोग तैयार किये हैं। एस0डी0आर0एफ0 भी पुलिस की ही है। हमने उनको तैयार करने का काम किया है। हमारा प्रयास है, मैं जानता हूँ इस बात को, कि इस बार केदारनाथ जो भी जा रहे हैं, वे हमारी कमजोरियों को ज्यादा देख रहे हैं, हमने क्या किया है, उसको कम देख रहे हैं। मैं इससे अच्छी तरह से भिज्ञ हूँ। मैं आपको आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, यह सब देने में। पिछले 5–7 वर्षों के अन्दर आप किसी भी वर्ष का देख लीजिए, पहले महीने के अन्दर कैजुअल्टीज का हिसाब देखेंगे, इस बार एक व्यक्ति ने जानबूझकर आत्महत्या की है, उसके अलावा कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। नहीं तो कोई वर्ष नहीं है, जब केदारनाथ धाम जाने में, उसकी यात्रा में कठिनाई के कारण आधा दर्जन कैजुअल्टीज न हुई हों। इसका कारण है कि हमने जो परफैक्ट मेडिकल कवर दिया है। इस समय हमने केदारनाथ धाम तक हर संभव मेडिकल कवर देने का काम किया है।

हर तरीके की असिस्टेंस प्रोवाईड करने का काम किया है। हम जानते हैं कि प्राईवेट व्यापारी अभी दुकान लगाने की स्थिति में नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि लोगों के लिए खाने की, चाय की व्यवस्था नहीं हो सकती है। लोगों को भुट्टे भी नहीं मिल सकते हैं। लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं मिल सकती है। इसलिए हमने यह काम गढ़वाल मण्डल विकास निगम को सौंपा। हमने कहा कि आप सुबह का नाश्ता भी करवाईये, पानी भी दीजिए, आप दोपहर का खाना भी दीजिए, शाम का खाना भी दीजिए और हमने बद्रीनाथ केदारनाथ टैम्पल कमेटी के साथ एक अण्डरस्टैंडिंग बनाकर कहा कि आप प्रसाद के रूप में भी वहाँ पर प्रसाद उपलब्ध कराने का काम करिए और ये काम बहुत परफैक्शन के साथ चल रहे हैं। वहाँ पर हमने लंगर लगाकर रखे हैं और बहुत अच्छे टैण्ट के अन्दर लोगों को यह फैसिलिटीज दी जा रही हैं। मैंने अपनी आंखों से उन फैसिलिटीज को देखा है और मुझे संतोष है। बल्कि मैंने जैसे आदत होती है, मुझे लगा ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री आया और देख कर कुछ कह नहीं गया, मैंने एक–दो काम उनको जरूर वहाँ पर बता दिये ताकि उनको लगे कि मैंने कुछ बता दिया नहीं तो उन्होंने अपने हिसाब से जो काम किया था, वह संतोषजनक था। यह अकेले मैंने नहीं कहा। उस दिन वहाँ पर 7 राज्यों के लोग गये थे, मैं उनसे मिला, उनमें से अधिकांश ने मुझसे कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम केदार बाबा के दर्शन कर सकेंगे मगर उत्तराखण्ड ने गजब का काम किया। हम तो सोच रहे थे कि 5 साल में भी केदारनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे मगर हम इसी साल दर्शन कर पाए और हम शानदार तरीके से दर्शन कर पाए, उसके लिए उन्होंने मुझको धन्यवाद दिया क्योंकि उस समय वहाँ राज्य के प्रतीक के रूप में मैं ही था इसलिए मुझको धन्यवाद दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह मैं कोई तारीफ में नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ और इस बात को मैं इसलिए भी इतनी एलोबेरेटली कह रहा हूँ, इतने विस्तार से कह रहा हूँ, मान्यवर, आपने भी कहा, मदन जी ने भी कहा और अन्य लोगों ने भी कहा कि यात्री नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यह संदेश देश और दुनिया में किसको देना है कि यह सूचना निरापद है, मुझको देना है, आपको देना है और जिस दिन आप और मैं एक बिन्दु पर खड़े होकर के कह देंगे कि यात्रा निरापद है, आइये पूरा उत्तराखण्ड आपकी सुरक्षा के लिये खड़ा है, प्रतिज्ञाबद्ध है, तो यात्री आश्वस्त महसूस करेंगे। यदि हम एक दूसरे की कमियां निकालेंगे और कुछ उसमें नमक डालेंगे और कुछ उसमें नींबू डालेंगे, तो सन्देश गड़बड़ायेंगे। यदि हम कहेंगे कि जो उत्तराखण्ड आये वह सर पर कफन बांधकर आये, तो मेरे दोस्त जरा मुझे यह बता दो कि वह फार्मूला कौन सा है, जिस फार्मूले से सुरक्षित यात्रा का सन्देश जा सकेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने गलत सन्देश दिया, हमने हमेशा सरकार की आंख खोलने का काम किया और हर उस घटना को बताया जो घटना वहां पर घटित हुई है और उन जगहों पर दृष्टिपात कराया, जहाँ पर गवर्नमेंट पहुंची भी नहीं थी, उन चीजों को हम मूलतः सामने लाये। सरकार की ओर से बार–बार यह मैसेज दिया गया कि बद्रीनाथ से आगे जाने पर, बड़ी गाड़ियों के जाने पर ऐसी हपड़–तपड़ कर दी गई, पहले–पहले जब स्टार्टिंग हुई कि खबरदार, आगे अपने रिस्क पर जाइये और आगे जाने के बाद जल्दी से नहाकर वापस आ जाईये, रात्रि विश्राम आप वहां पर मत कीजिये। जो भी यह दहशत सरकार द्वारा फैलाई गई, प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ मान्यवर, अभी एक माननीय मंत्री जी का बयान आया है, आपने भी पढ लिया होगा, सरकार की ओर से यह आया है कि पन्द्रह जून के बाद कोई भी उत्तराखण्ड की तरफ रूख न करें। अभी–अभी आपके अखबारों में आया है, यह फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है या सरकार कर रही है, इसका सरकार को स्वयं भी आत्मलोचन करना पड़ेगा। वहाँ पर लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई है, हम सिर्फ यात्रा प्रारम्भ कर दें और यात्रा के रास्ते खुलेंगे, मैंने पहले भी कहा है कि यदि हम किसी ठेकेदार को कह देते कि इतने दिन के लिये मुख्यमंत्री बन जाओ और युद्धस्तर पर कर दे, तब भी हो जाता इतना तो। तो क्या एक ही महीने में यह काम हुआ है, यह काम तो सतत हुआ होगा, उस काम में गति थी ही नहीं, अभी भी काम ने उतनी गति नहीं पकड़ी है, जितनी पकड़नी चाहिये थी। सरकार पूरे देश को यह समझाने में असमर्थ रही और यह विश्वास नहीं दिला पाई कि यहाँ सब ठीक–ठाक हो गया है। विपक्ष कमियाँ निकाल रहा था, माना हमने कमियां निकाली, तो सरकार को पूरे देश को विश्वास तो दिलाना था कि निरापद हो गया है, आ जाईये। इसीलिये तो विश्वसनीयता नहीं आ पाई, हम तो इस मामले में सरकार के साथ में हैं, हमारी खुद की छाती फटती है, जब हम वहाँ देखते हैं कि हमारे लोगों के ऋण नहीं चुकता हो पा रहे हैं, उनके भूखों मरने की नौबत आ गई है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, लोग पढाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें खुद उसका कष्ट होता है, हमको इसका कोई शौक नहीं है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, इनकी सप्लीमेंटरी स्पीच मेरे बाद भी हो सकती है। मैंने आपसे अपेक्षा की थी कि सुरक्षित यात्रा का सन्देश देने के लिये आईये आप और मैं, दोनों एक समवेत स्वर में कहें, इस सदन के माध्यम से कहें कि उत्तराखण्ड की चार धामों, छहों धामों की यात्रा निरापद है और हमारी व्यवस्थायें मुकम्मल हैं और पूरा राज्य संकल्पबद्ध होकर के इन यात्राओं को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिये तैयार है, यदि आप इस प्रतिबद्धता के साथ आते हैं तो फिर सारी चीजें अपने आप ही दूर हो जातीं हैं। देखिये

यह तो इतिहास के चुटीले रास्ते हैं, इसमें जहाँ ठोकरें लगती हैं, जहाँ कुछ चुभता है, वो बातें याद आती हैं और यह बात सबको याद आती रहेगी कि एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि उत्तराखण्ड आईये तो सर पर कफन बांधकर आईये और मैं नहीं जानता कि वह मंत्री कौन है, जिसने कहा कि 15 तारीख के बाद यात्रा निरापद नहीं रहेगी, मैं नहीं जानता। यदि किसी ने कहा है तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर कहा है और मैं इस बात को जरूर तलब करने का काम करूंगा। मगर मैं एक बात अजय जी आपको और मदन जी दोनों को बताना चाहता हूँ कि आज यात्रा निरापद है, सन्देश गया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दो लाख से अधिक यात्री चार धाम की यात्रा कर चुके हैं और बीस हजार से अधिक यात्री केदार धाम की यात्रा कर चुके हैं। मगर मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि यात्रा पूरे शबाब पर नहीं है और मैं उस दिन भी जानता था, जिस दिन मुझको मेरे सहयोगी भी कह रहे थे और मेरे शुभचिंतक भी कह रहे थे और उधर की तरफ की आवाजें भी कह रहीं थी कि नहीं हो पायेगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि हम यात्रा प्रारम्भ करके रहेंगे और इसलिये कहा था, अगर हम इस साल यात्रा प्रारम्भ नहीं करते, तो फिर हमारी शुरूआत का वर्ष अगला साल होता और एक साल शुरूआत के वर्ष में गुजर जाता, तो दो साल, तीन साल उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था पर जो झटका लगता, हमारे भाई-बहनों की रोजी-रोटी को जो झटका लगता, इसे उत्तराखण्ड सहन नहीं कर पाता। इसलिये मैंने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दांव, इस यात्रा को प्रारम्भ करवाकर के किया और मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ने हमको जो कुछ भी इसमें कठिनाई आई हो, हमारे सहयोगियों को जो भी कठिनाई आई हो, लेकिन जब आज दो लाख यात्री वहां विजिट कर चुके हैं, यह मुझको जानकारी मिली है, मुझे फख्र है कि हम उस समय ऐसा निर्णय ले सके। उस निर्णय का परिणाम आगे सार्थक हो, यह केदारनाथ और बद्रीश के आशीर्वाद से ही संभव हो सकेगा। मैं इस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं सहयोग चाहता हूँ, आपने कुछ बातें उठाई, मैंने आपको केदार धाम का बताया, एक तो रेस्क्यू रिलीफ आपरेशन का था, उसमें कई सारी बातें हमारे साथियों ने उठाई, अब मैं उसमें जाता हूँ, तो यह इतना लम्बा मामला है, कि हमने किस आधार पर दिया है, क्या काईटेरिया रखा है, इसमें यदि मैं जाऊंगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत समय लगेगा। आप सबके लिये भी हमारे पत्रकार बन्धुओं के लिये भी इसको नोट करना कठिन काम होगा। मैं थोड़ा सा, जो फैसले लिये, जो पहले था, मानक सहायता का, उसकी थोड़ी चीजें मैं आपको जल्दी-जल्दी बताना चाहता हूँ, मृत व्यक्ति में पहले डेढ़ लाख रूपया था, जिसे बढ़ाकर पाँच लाख रूपया किया गया है, पहले अपंगता की स्थिति में 62 हजार रूपये था, इसे बढ़ाकर हमने दो लाख रूपये कर दिया है। पहले 40 से 80 प्रतिशत अपंगता में 43,500 था, हमने इसे बढ़ाकर डेढ़ लाख किया। उसी तरीके से क्षतिग्रस्त मकानों के विषय में पहले दो लाख था, उसे बढ़ाकर

सात लाख किया, इसी प्रकार पशु में, कपड़ों के नुकसान में, बर्तनों के नुकसान में, साधारण जलभराव इत्यादि में दो से तीन गुना तक सहायता के मानदण्डों को बढ़ाने का काम किया है। पहले जमीन के कटाव, जिसकी बात हमारे दोस्त बिशन सिंह चुफाल ने की थी, केवल 500 रूपया नाली दिया जाता था, हमने उसको एकमुश्त बढ़ाकर के 5 हजार रूपये नाली करने का काम किया, जो किसानों के लिये एक बड़ी राहत के रूप में है। इसी प्रकार से हमने फसलों के नुकसान जो प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मापदण्ड था, उसको भी बढ़ाने का काम किया। हमने यही नहीं किया बल्कि दैवीय आपदा में राहत केवल एक बार मिलती है, लेकिन हमने हरिद्वार में खानपुर और लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तबाही चली आ रही है, उसको देखते हुये, जो सहायता की डोज थी, उसको एक बार फिर से रिपीट करने का काम किया है और गन्ना किसानों को अतिरिक्त सहायता देने का भी काम किया है। बल्कि गन्ना किसानों के लिये हमने साधारण फसलों के बजाय मात्राकृत तरीके से भी बढ़ाने का काम किया है और उसमें 15 प्रतिशत वृद्धि करने का कार्य किया है। पहले कई ऐसी व्यवस्थायें थी, जो लागू नहीं थीं, हमने उन व्यवस्थाओं को भी लागू करने का काम किया है। जो हमारे होटल व्यवसाय के लोग हैं, हमारा दिल उन सभी के लिये धड़कता है।

और मैं जानता हूँ उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति केवल उनका परिश्रम कर सकता है और हम उसके लिए केवल संभावनाएं पैदा करने का काम कर सकते हैं, मगर हमने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत सहायता के जो ऋण के मानक थे, उनको इस तरीके से हमने लिब्रलाईज कर दिया, इस तरह से उदार बनाने का काम किया कि अब यदि कोई 50 लाख रूपये तक का ऋण लेगा तो उसमें से 25 लाख रूपया अनुदान मान लिये जाएंगे और पहले 02 साल ब्याज नहीं देना पड़ेगा और जो अगले 02 साल होंगे उसमें उनको केवल 04 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा, बल्कि आपके साथ एकजुटता बने, हम सम्मिलित रूप से एक अपील कर सकें, इसके बाद अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में उस भावना को देखते हुए आपकी संस्तुति पर ये जो 04 प्रतिशत ब्याज दर के लास्ट 02 साल हैं उनको बढ़ा करके 03 साल कर दे रहा हूँ। पहले 02 साल कोई ब्याज नहीं ऋण लेने के बाद और जो बाद के दो वर्ष थे, उनके लिए हमने 04 प्रतिशत ब्याज दर रखी थी, अब उसकी समय सीमा को बढ़ा करके 02 वर्ष के बजाय 03 वर्ष कर रहे हैं अधिकारी इसको नोट कर लें। ये हमने इसलिए की कि वो कर सकें और हमने इसी को जो हमारे ग्रीन कार्ड होल्डर टैक्सी मालिक थे, गाड़ी मालिक थे, उनके लिए भी हमने एक्सटेंड करने का काम किया है। हमने ड्राईवर, कन्डक्टर दोनों के लिए 50 हजार रूपया अनुग्रह राशि देने का भी काम किया। हमने कहा कि उनको भी नुकसान हुआ, उनकी भी रोजी–रोटी पर बात आयी। हमने जिनकी गाड़ियाँ फस गयी थीं मगर नुकसान नहीं हुआ था गाड़ियों को, उनको अलग से 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने का काम किया है, उसको स्वीकृत करने का काम किया है। हमने जितने होटल व्यवसायी हैं, हमारे चारों यात्रा धामों के जिसमें हमारी धारचूला, मुनस्यारी का भी यात्रा मार्ग है,

वहां हमने फैसला किया है कि होटल्स को लोगों को हम 02 साल तक जो उनका ऋण है, उस ऋण का ब्याज हम अदा करेंगे, राज्य सरकार अदा करने का काम करेगी, उत्तराखण्ड सरकार अदा करने का काम करेगा। ताकि उनके व्यवसाय, उनके होटल अपने पांवों पर आ सकें। ये फैसला हमने इसलिए किया। हमने बिजली, पानी माफ करने का फैसला लिया है, हमने डोली, कंडी, पालकीधारकों को, हमने उनको भी यथेष्ट मुआवजा दिया है, बल्कि जो कंडीवाले हैं, उन्होंने कहा कि हमको 10 हजार लगता है, हमने कहा 10 हजार। उन्होंने कहा हमारे मजदूर का क्या होगा, हमने कहा आपके मजदूर को भी 10 हजार, उन्होंने कहा जो हमारी बहुत ज्यादा कंडियाँ थीं, हमने कहा हम फैक्ट रेट मान लेते हैं कि आपके पास 10 कंडी थीं, हम 10 कंडियों का 01 लाख एकमुश्त मुआवजा दे देंगे ताकि आप यात्रा के वक्त में कंडी ले करके तैयार हों, पालकियाँ लेकर तैयार हों, उनके लिए हमने अलग-अलग तरीके की जिसकी जितनी कीमत आती थी, उसके हिसाब से देने का काम किया है। हमने घोड़ा, खच्चर आदि के लिए भी जो सहायता राशि थी, उसको कई गुना बढ़ा करके ताकि व्यक्ति रिप्लेस कर सके, जिसका खत्म हो गया है, वो उस काम को फिर से कर सके, उस व्यवसाय को खड़ा कर सके, इसलिए उसकी मदद करने का काम किया है, जिनके खोमचे बह गये हैं, दूसरी चीजें बह गयी थीं, टूट गयी थीं, जिनकी किराये के मकान में दुकानें थीं, यदि दुकान का सामान बह गया था। दुनिया के इतिहास में मीडिया के भाई भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे कहूँगा, मेरे इस प्वाईंट को नोट कर लें दुनिया के इतिहास के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप सेल्फ एसेस्मेंट करें, जिसका नुकसान हुआ है, वो स्वयं एसेस्मेंट करे। हमने केदार घाटी में विशेष तरीके की स्थिति थी, वहां 800 से ज्यादा हमारे भाई-बहनों की जान गयी थी, लोगों ने अपनी रोजी-रोटी खोई थी, सब ऐसा केदार घाटी में भुगता, जैसा दुनिया में किसी को न भुगतना पड़े। माननीय शैलारानी जी यहाँ पर हैं मैं समझ सकता हूँ उनकी वेदना को और वो जिस समय भी मेरे सामने आकर खड़ी होती हैं, मुझको लगता है कि जैसे केदार घाटी के आँसुओं का सैलाब मेरे सामने आ करके खड़ा हुआ है, मगर उनके निरन्तर प्रयासों से आज मैं कह सकता हूँ कि हमने उनके अपने असेस्मेंट के आधार पर, पीड़ित लोगों के अपने आकलन के आधार पर उनको मुआवजे की राशि देने का काम किया है। अपने पक्ष और विपक्ष के सारे मित्रों की जानकारी में इस तथ्य को लाना चाहता हूँ और मकान के विषय में भी हमने कहा सरकारी जमीन पर भी था मकान, तो भी मकान था, वो क्षतिपूर्ति का पात्र है यहीं तो हैं हरक सिंह जी, यह विशेष रूप से आपका आग्रह था, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। लोगों का आग्रह था कि शायद सरकारी भूमि में था तो लोग कहते थे कि इसको कैसे मानेंगे, यह इसकी अपनी जमीन पर तो था नहीं, यह तो अतिक्रमणकारी था। हमने कहा आपदा पीड़ित केवल आपदा पीड़ित है और उसको हम पूरा मुआवजा देने का काम करेंगे और उतना ही

मुआवजा देंगे जितना जिसकी अपनी जमीन पर बना हुआ मकान टूटने में हुआ है, उसी तरीके की क्षतिपूर्ति करेंगे और हमने परिवार को बालिग माना है। हमने यदि एक ही मकान के अंदर 03 भाईयों का परिवार रह रहा है तो तीनों भाईयों को अलग–अलग यूनिट मानने का भी काम किया है ताकि मुआवजे के विषय में परिवार में किसी तरह का झगड़ा पैदा न हो और आप अच्छे तरीके से जानते हैं जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने अपने पति खोये हैं, अपने बेटे खोये हैं, उनके लिए कोई भी सहायता कम है, कोई भी मदद कम है और हम कह रहे हैं हमारी मदद बहुत कम है जो कुछ हमने किया है, मगर फिर भी हमने प्रयास किया कि उनके परिवारों के एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल सके। कुछ उसमें दिक्कत आ गयी, कानूनी दिक्कत आ गयी, हम उसको भी देख रहे हैं, उसका भी रास्ता निकाल रहे हैं और मैंने अधिकारियों को कह दिया है, मैंने सुझाव दे दिया कि क्या दूसरा रास्ता निकल सकता है, हम उस रास्ते का भी अनुसरण कर रहे हैं ताकि दैवी आपदा में जिसने अपना सब कुछ खोया है उसके परिवार का एक व्यक्ति राजकीय सेवा में आ सके, इसको सुनिश्चित करवाने के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, हरसंभव कदम उठाने का काम रहे हैं, बल्कि यदि इसके लिए हम ठीक से रास्ता, रोड मैप बना सकें तो यह राज्य भर में दैवी आपदा के जो पीड़ित परिवार होते हैं, उसके लिए भी एक मार्गदर्शक का काम करेगा, आगे का रास्ता इससे बनेगा। पहले यह था कि जिसके दो घर बह जाते थे, तीन घर बह जाते थे, उनको केवल एक का मुआवजा मिलता था। इस बार हमने कहा है कि सब का मुआवजा मिलेगा। पहले यह था कि एक ही का मुआवजा मिलता था, तीन घर हैं तो एक का मुआवजा मिलेगा। अब हमने कहा कि सबका जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान का वास्तविक आकलन के आधार पर उनका मुआवजा हम देने का काम करेंगे। यहाँ हमने माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनका मैं इस समय जरूर उल्लेख करना चाहूँगा 04 हजार 09 लोग मृतक हैं, जो लापता हैं, वो भी इसमें हैं। इसमें से 987 हमारे उत्तराखण्ड के हैं और 03 हजार 22 दूसरे राज्यों से हैं जिनमें से हम 35 सौ 69 लोगों को थ्री थाउजेंट फाइव हन्ड्रेड सिक्सटी नाईन को अनुग्रह राशि वितरित कर चुके हैं और शेष प्रकरणों का भी हम निपटारा जल्दी से जल्दी कर रहे हैं और राज्य सरकारों के हम निरन्तर सम्पर्क में हैं। हमने कृषि एवं दूसरी फसलों के लिए 152.78 करोड़ की धनराशि वितरित कर दी है और 27 मदों में हमने 219.58 करोड़ की धनराशि वितरित की है। हमने इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर अभी हमारे दोस्त ने बात उठायी बद्रीनाथ यात्रा की, क्योंकि उन्होंने कैलास मान सरोवर यात्रा की बात नहीं कही, उन्होंने और दूसरी यात्राओं की बात नहीं कही, उन्होंने बद्रीनाथ यात्रा की बात कही। मैं अजय जी आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, ठीक है हमारे बद्रीनाथ में कुछ दोस्तों ने जोशीमठ के हमारे कुछ ट्रक मालिकों ने, गाड़ियों के मालिकों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह कहा

कि हम भीख मांग ले रहे हैं, यह कहा कि हम भीख मांगते हैं।वो उनका प्रतीकात्मक विरोध था। लोकतंत्र में लोग विरोध करते हैं, मगर वो निर्णय क्यों लिया गया, निर्णय इसलिए लिया गया था कि लामबगड में जमीन बहुत अच्छी है। मान्यवर, और साधरण सी वर्षा में भी रामबगड पहले से ही, और यह अभी नहीं हो रहा है, यह तीन– चार सालों से अति संवेदनशील बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय अधिकारियों ने यह कहा कि रोड तो ठीक है, मगर यदि आप हमारे द्वारा निर्धारित बसों से जायेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि उस रामबगड़ के ऊपर बैनाकुली में ज्यादा दबाव सड़क के ऊपर न पड़े। मगर लोगों के आग्रह को देखते हुए और सडक के निरीक्षण के बाद मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध किया और वे वहाँ गये और इन्होंने सडक के निरीक्षण के बाद वहीं स्पॉट पर निर्णय किया कि इसमें स्थानीय व्यापारियों की गाड़ियों को भी आने जाने दिया जाये और हमने रामबगड, बैनाकुली दोनों जगह तीन तरीके की व्यवस्थायें की हैं, रामबगड़ में हमने खच्चर मार्ग भी बना दिया है, हमने पुलिस पोस्ट भी बनाई है, वहाँ पर डोजर इत्यादि भी रखे हैं। हमारी कोशिश यह है कि रामबगड़ में ज्यादा समय के लिए रोड बाधित न हो। हमारी यही कोशिश दूसरे संवेदनशील स्थानों पर भी है और हम इन स्थानों को ठीक करने के लिए एक प्राईवेट पार्टी के साथ एग्रीमेन्ट भी कर रहे हैं ताकि वहाँ पर स्टेबलाईजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सके। मैं इतना आपसे आग्रह पूर्वक कहूँगा चाहे सिरोबगड़ हो, चाहे रामबगड़ हो, चाहे बैनाकुली हो, चाहे हमारा विरही हो, मैठाणा हो, यह जगह कोई ऐसी नहीं हैं कि इसी साल संवेदनशील बने हैं, ये पिछले कई सालों से संवेदनशील बने हुए हैं, बल्कि जिस समय बी0आर0ओ0 फुलफ्लेश तरीके से इन मार्गों का निर्माण कर रहा था उस समय भी यह इतने ही संवेदनशील थे बल्कि इससे ज्यादा संवेदनशील थे। सिरोबगड़ में पिछले 15–20 सालों की अपनी जर्नी के दौरान तीन बार, दो बार मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर लगा है, एक बार मेरे सिर के ऊपर से पत्थर गुजरा है। मान्यवर, पहाड़ कब संवेदनशील नहीं थे, ये पहाड़ की यात्रायें संवेदशीलता की प्रतीक हैं और मनुष्य का स्वभाव इन चुनौतियों का सामना करने का रहा है। हमारे ये हिमालय ट्रैकर्स को क्यों खोजते हैं, साहसी लोगों को क्यों आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यहाँ जोखिम है, वह जोखिम उनको आमंत्रित करने का काम करता है। मगर हिमालय के बेटे कभी जोखिम से घबराये हैं, हमने जोखिम को अपने सीने पर झेलने का काम किया है। आईये, आप और हम कहें लोगों से, कि कितने ही साधन खर्च करने पड़ें, कुछ भी प्रयास करना पड़े, हम चारों धाम की यात्रा को निरापद करने के लिए प्रयास करेंगे। मैं इस सदन के पटल पर आपसे कह रहा हूँ कि अगले साल तक हम इन सारे संवेदनशील बिन्दुओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे। हम इनका हल निकालेंगे, हमने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। हमने कहा, दुनिया के अन्दर

जितनी बेहतरीन टैक्नोलॉजीज हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम दुनियाँ से कह सकें कि उत्तराखण्ड यदि बरबाद हुआ था तो बरबाद होकरके खड़ा उठ करके आगे चल पड़ने की हिम्मत भी उत्तराखण्ड के अन्दर है। हम अपने उत्तराखण्ड के हिम्मत के प्रदर्शन के लिए इस काम को करके दिखायेंगे, हमको केवल आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। आज मुझे खुशी है यह कहते हुए कि हमने कुल मिला करके जो इस समय तक सड़कें हैं, क्योंकि यहाँ हमारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें उठाई हैं और मैं समझता हूँ कुछ बातें उनकी अपनी जगह पर ठीक भी हैं। जैसे मासी से चौखुटिया है, कल जब मैंने चीमा साहब को उधर से आते हुए देखा तो इनकी चिक निकली हो या न निकली हो उस सड़क में, मगर मेरी चिक जरूर निकल गयी जब मैंने देखा कि वह उस सड़क से आये, वह सड़क बड़ी खराब हालत में है और मैंने पी0डब्ल्यू0डी0 के लोगों को वहीं बुलाकर के निर्देश दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उस सड़क को हम बहुत अच्छी सड़क बना रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। काम भी शुरू होने जा रहा है। मगर मैंने उनसे कहा कि आप चाहे 10 दिन के लिए ही हो जो इस सड़क के अन्दर गड्ढे हैं, जो खराब स्थिति है उनको भरने का काम करो। हमने लोगों को स्टैन्डिंग आर्डर दिये हैं। हमने कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाइये। इसमें डूप्लीकेसी कहीं काम की हो रही है तो उसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हम नेशल हाइवेज में यदि नेशलन हाईवे आथरिटी का इन्तजार करते तो आज नारसन से लेकरके देहरादून मसूरी की सड़क इतनी सपाटेदार नहीं बनती, हमने कहा नहीं हम इसको ठीक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर राजेश हैं यह तरीफ करेंगे जो इनके यहाँ से निकलने वाली हाइवे है, हमने उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती, हमने कोई विलम्ब नहीं किया। नेशल हाइवे आथरिटी ने कहा कि हमको पैसा मिल रहा है, हमने कहा कि उत्तराखण्ड इस समय इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। हमने कहा हम पी0डब्ल्यू0डी0 से इस काम को करवायेंगे। हमने कहा आप हमारे इस पैसे को यूज करिये नहीं तो हम स्टेट पी0डब्ल्यू0डी0 से इस काम को करवायेंगे और कई जगह हमने इस काम को करवाया है। हमने यही बात बी0आर0ओ0 से भी कही, बी0आर0ओ0 को पैसे मिलने में दिक्कतें हो रही थी अधिकारी बहुत संकोच में थे, क्योंकि ये वित्तीय नियमों से बंधे हुए होते हैं, इनको ए0जी0 की भी डर रहती है और सी0ए0जी0 की भी डर रहती है। मैंने कहा यदि हरीश रावत डर करके काम करेगा तो काम हो ही नहीं सकेगा। मैं मंत्रिमण्डल के सम्मुख इसे ले गया और मंत्रिमण्डल ने यह फैसला किया कि कोई बात नहीं यदि काम में डूप्लीकेसी भी हो रही है तो उस काम को करवाया जाये। हमने जो सड़कें जो हिस्से बी0आर0ओ0 को सौंप रखे थे, हमने पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से उन कामों को बी0आर0ओ0 से करवाने का काम किया और मैं इस कमिटमैंट को फिर से दोहरा रहा हूँ,

कोई एजेंसी कहीं काम कर रही हो मगर चार धाम यात्रा के लिए टूरिस्ट फिर से आयें और सड़कों की राइडिंग क्वालिटी सुधरे उसके लिए हम किसी प्रकार के संकोच को रास्ते में नहीं आने देंगे। मगर हमने 434 सड़कों का पुनर्निर्माण किया इसी डेढ़ दो महीने के अन्दर और आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो पुनर्निर्माण काम कितना कठिन हो जाता है और बारिश ने हमेशा हमारा हाजमा खराब करने का काम किया है, मौसम हमेशा बाधक बन करके आया है उसके बावजूद हमने 434 सड़कें और 5680 सडकों को यातायात योग्य बनाया है और 2072 सडकों को हम बिल्कुल परफैक्ट कन्डीशन में हम इस समय लाये हैं। इसके अलावा 6553 किलोमीटर सड़कों को हम विश्वबैंक के माध्यम से अगले चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है और जिस पर 970 करोड़ रूपया खर्च होगा जिसमें से हमने 300 करोड़ रूपये की निविदायें आयोजित कर ली हैं और मैंने अधिकारियों से कहा है कि इनको टाइम बाउन्ड मैनर के अन्दर आप खोलने का काम करें। यही बात हमने ए0डी0बी0 के ऊपर भी लागू की है, इनके सहयोग से हम 2183 किलोमीटर लम्बी सडकों का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें 630 करोड़ रूपये की निविदायें हमने आहूत कर दी हैं और कुछ उसमें से खुल भी चुकी हैं, उसका काम भी हम पूरा करेंगे। 600 किलोमीटर सड़कें जिनकी लागत करीब 2900 करोड़ रूपया होगी, उस पर कार्यवाही इस समय आगे चल रही है। 63 पुलियों और पुलियाओं को हमने बनवाया है या आंशिक रूप से ठीक करवाने का काम किया है। यहाँ पर जो सदस्यगण हैं यदि उनको बोलने का अवसर मिला होता, इसमें वह उन सड़कों को और पुलियाओं को बताते। उनमें से बहुत सारे पुल और पुलियाओं के नाम मुझको याद भी हैं जिसमें मैंने पंचपुकी का नाम अभी आपके सामने दोहराया है। इस तरह से बहुत सारे पुल और पुलियायें हैं। मुझे फक्र है इस बात का गोविन्द घाट से लेकरके जो हेमकुण्ड साहिब की यात्रा है, मैंने उनका रजिस्टर देखा है सेवा सिंह जी ने मुझको उसके पन्ने दिखाये, जिसमें लोगों ने लिखा है कि उत्तराखण्ड की सरकार ने वो करके दिखाया जो केवल वाहि गुरू की कृपा से ही हो सकता है और कहा कि पहले से बेहतर पैदल मार्ग का निर्माण करने का काम किया है यह उन्होंने लिखा है यह मैंने नहीं कहा है। एक कर्नाटक की महिला 72 साल की थी जब मैंने उस माँ को प्रणाम किया कि आप आई उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक से हूँ तो वह मेरे गले लिपट गई और मुझसे कहा कि तुमने और तुम्हारे उत्तराखण्ड ने वह करके दिखा दिया जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे और इतनी अच्छी यात्रा देने का काम किया। यह हरीश रावत की तरीफ नहीं थी वह इस उत्तराखण्ड की संकल्प शक्ति की तरीफ थी आइये उस संकल्प शक्ति का आप और हम सब मिलकरके आह्वान करें और यहाँ पर हमको भारत सरकार ने 7981 करोड़ रूपया पुनर्निर्माण के लिए तीन सालों के लिए दिया है। पहले से ही, कई लोग हमसे सवाल करते हैं।

मान्यवर, बल्कि हमारी तरफ से भी सवाल होते हैं, ऊधर से भी सवाल होते हैं कि पुनर्निमाण क्यों नहीं हुआ और हमारे पत्रकार मित्र भी कहते हैं, दूसरे मित्र भी कहते हैं तो मैं उनसे एक बात साफ कह दूँ कि पहले दिन से ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी, भारत सरकार के विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे थे कि यह काम पूरा करने में जो पुनर्निमाण और पुनर्वास का जो काम है इसमें तीन से ज्यादा वर्ष लग सकते हैं, इसीलिए हमारे आग्रह पर भारत सरकार ने तत्कालीन सरकार ने 7 हजार 981 करोड़ रुपया हमको दिया जिनमें से एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 की मद से 12 सौ 7 करोड़ रुपया है, विशेष सहायता योजना आदि में 11 सौ करोड़ रुपया है, सो ऑन ये राशियाँ हमको दी गई हैं और मैं इस समय एक आग्रह करना चाहूँगा और इसमें से 7 सौ करोड़ रुपया सिंचाई बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए भी है और मुझे आज खुशी है पहले मेरा बाढ़ नियंत्रण के कामों की प्रगति ने थोड़ा सा हाजमा खराब कर दिया था मगर इधर हमें थोड़ा सा संतोष झलकने लगा है, उन्होंने केदारधाम में भी, श्रीनगर में भी, हमारे मदकोट में भी, धारचूला में भी, उत्तरकाशी में भी सभी जगह काम शुरू कर दिया है, कुछ प्रगति धीमी भी हो सकती है क्योंकि इतने कामों को करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग, सिंचाई विभाग या कोई विभाग हो तो अचानक हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आई हैं, इसलिए हमको अपने अधिकारियों को कभी–कभी प्रोत्साहित भी करना पड़ा है, उनसे कुछ अतिरिक्त भी लेना पड़ा है, केदारनाथ में सिंचाई विभाग का डिवीजन ले जाने के लिए, मुझको एक प्रकार से जितनी भगवान केदारनाथ की प्रार्थना में समय लगा होगा, उतना ही समय सिंचाई विभाग की प्रार्थना में लगा, ताकि केदारनाथ के अन्दर सिंचाई विभाग का डिवीजन चला जाए, आज वह डिवीजन वहाँ पर स्थापित है और काम कर रहा है, यही स्थिति जब हम पी0डब्ल्यू0डी0 के डिवीजन और एस0ई0 को उस एरिया में लेकरके गये हमको इतना ही प्रयास करना पड़ा, हमको अनआर्थोडाक्स मैथेड इस्तेमाल करना पड़ा, आपने कभी पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क को बनते देखा होगा मगर पुलिस को यह काम सौंपा जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काम दिया तो यह काम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो हमने वह तरीका भी आजमाया क्योंकि हमको यह काम करना था, हमारे पास समय सीमित था, हमको यात्रा को प्रारम्भ करना था, हमको यदि दुनिया को यह संदेश देना था कि केदारधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री के पट अमुक–अमुक तारीख को खुलने हैं तो उत्तराखण्ड उसके लिए तैयार है, तो इसलिए यह सब काम करना पड़ा और आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो अच्छे दिन देश में आ रहे हैं उसका कुछ प्रसाद हमको भी मिलेगा यह हमें आशा है। 7 हजार 981 करोड़ रुपया पहले से मंजूर है और मैंने जो आकलन किया है और मैं किसी को मुगालते में नहीं रख रहा हूँ, जो मेरा आकलन है तो चाहे हमारे राज्य के संसाधनों से हो, चाहे केन्द्र सरकार की मदद से हो हमको लगभग चार हजार करोड़ रुपये की और जरूरत पड़ेगी, यदि हम अपने पुराने सबाब में उत्तराखण्ड को लाना

चाहते हैं,तो मैं चाहूँगा कि आज सदन एक स्वर से इस बात का आग्रह केन्द्र सरकार से करे कि जो अनुग्रह राशि केन्द्र सरकार ने हमारी विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूर की है उसमें चार हजार करोड़ रूपये की और वृद्धि की जाये और वह धनराशि हमको प्रदान की जाये। मान्यवर, जो बात पुनर्वास की मकान आदि की जो बात है तो हमने लगभग 80 प्रतिशत अपने भाई–बहन के लिए घर या तो बन चुके हैं या बनने की स्थिति में हैं, कुछ भाई–बहन से हमने कह दिया कि आप पैसा ले लीजिए और जहाँ जगह उचित समझते हैं वहाँ खोजिये और वहाँ बना लीजिए और जो वहाँ नहीं बना रहे हैं हमने उनके लिए 3 हजार रूपया किराया कर दिया है, हमने कहा आप किराया ले लीजिए जब तक आपको समुचित जगह नहीं मिल जाती है और यह संख्या ज्यादा नहीं है मैं समझता हूँ कि करीब 200 के करीब हमारे भाई–बहन हैं, जिनके लिए अभी और घर बनने हैं। मगर हमारे सामने आज निश्चित तौर पर यह चुनौती है कि जो गाँव आसन्न खतरे से जूझ रहे हैं, जिनके सर पर तलवार मंडरा रही है, उनके लिए भी हल निकालना है और यदि हम उनके लिए हल नहीं निकालेंगे तो आपदा पर कोई भी बहस माननीय अध्यक्ष जी वह अधूरी रह जायेगी, जिन गाँव के सामने आज भी खतरा है। मैं सोबला के गाँव में गया था, मैं वहाँ रूका था, लेकिन आज वह सोबला का गाँव अस्तित्व में नहीं है, मेरा मन फटता है, लोग बच गये, लेकिन सोबला का सुन्दर गाँव नहीं बच सका और ऐसे बहुत सारे गाँव आज भी खतरे की जद में हैं, जिनकी संख्या हमारे भाई ने 263 बताई तो मैं संख्या में नहीं जाऊँगा इस समय, मगर मैं एक बात का वचन जरूर आपको देता हूँ कि मैं गम्भीरता से प्रयास कर रहा हूँ कि हम भारत सरकार को सहमत करवा सकें इस बात के लिए कि हम इन गाँवों को छोड़ेंगे, इनको हम वन को दे देंगे और मैदानी क्षेत्र में जहाँ हमारे पास बिखरे हुये वन हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, केवल नाम का फॉरेस्ट है तो उन एरियाज में हमारे लोगों को पुनर्वासित करने दिया जाये और मैंने इसीलिए अधिकारियों से भी कहा है कि जितनी जमीनें सीलिंग आदि में आ रही हैं उनका एक टुकड़ा भी आप तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जबतक आप मेरी नॉलेज में नहीं ले जायेंगे, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिनके सामने जीवन का संकट है, हम उनको बचा सकें, क्योंकि तरक्की जीवित लोगों के लिए होती है, तो हम जीवन की कीमत पर तरक्की की तरफ नहीं भागना चाहते हैं और मैं अपने इस आदेश को यहाँ पर भी दोहरा रहा हूँ कि हमारे अधिकारी उसका पालन करेंगे और जितनी भी जमीन हमको मिल सकेगी उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, जिनके सामने खतरा है उनको पुनर्वासित करने के लिए, मैं आपको यहाँ पर इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, देखिए, यह पुल निर्माणाधीन आवास 25 सौ हैं और प्रति आवास विश्व बैंक ने 5 लाख रूपया दिया है, एन0डी0आर0एफ0 ने 2 लाख रूपया दिया है, 7 लाख रूपया हम खर्च कर रहे हैं और हमने यह भी कह दिया है कि प्रदेश में जो बाकी रह गये है वे कहीं

भी जमीन लेकरके भवन खड़ा कर सकता है, हमने उदारतापूर्वक पट्टे देने की नीति का अनुसरण करने का काम भी किया है, हमने कहा कि हम पट्टे पर जमीन देंगे और एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे कह दिया था कि हम 5 हजार रूपया प्रति नाली कर रहे हैं, ये पहले 5 सौ रूपया था अब हमने 5 हजार रूपया किया है और अब हमने 8 हजार रूपया प्रति नाली कर दिया है, तो हमने कहा कि किसान की जमीन कटती है तो उसको पूरा मुआवजा मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं और सबसे बड़ा है मनुष्य के अपने प्रयास और इस समय हमसे पूरी दुनिया, पूरा देश कुछ असाधारण चिन्तन की अपेक्षा कर रहा है, कुछ लीग से हटकरके चिन्तन की अपेक्षा कर रहा है, अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी मैंने अपने पत्रकार बन्धुओं से शिकायत नहीं की आपने क्या छापा और क्या कहा, जब एक बार किसी ने लिख दिया कि उत्तराखण्ड में 27 डेन्जर जोन हैं केदारनाथ–बद्रीनाथ के यात्रा रूट में तो उस दिन में थोड़ा सा मेरा संयम विचलित हो गया और मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर शिकायत की कि आपने ये ज्यादती कर दी। श्री अजय जी, आपको बुरा लगा होगा मैं क्षमा चाहता हूँ और यह इसलिए मैंने कहा कि संवेदनशील हैं, संवेदनशील तो पूरा पहाड़ है, मैंने जिस मोहनरी के गाँव में जन्म लिया, वहाँ पर मैंने अपने बाल्यकाल में दो बार जमीन को धंसते हुये देखा है, मैंने अपने सामने के आधे घर को जमीन के अन्दर धंसते हुये देखा है, तो हम तो उन संवेदनशीलताओं के साथ आगे बढ़े हैं, रास्ता हमने वहीं से निकालने का काम किया है, मगर आप या मैं या कोई उस यात्री को रोक सकता है, 72 साल की महिला कर्नाटक की पैदल चल करके पहुँच रही है, 80 साल का वृद्ध महाराष्ट्र का पैदल चलकर के केदारनाथ जी के दर्शन के लिए पहुँच रहा है, तो आपके ऊपर हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम उनसे आश्वस्त भाव से कहें कि आओ–पधारो उत्तराखण्ड और यह सुरक्षित उत्तराखण्ड है, एक बार प्रकृति हमसे कुपित हुई है लेकिन अपनी रीति से भगवान बद्रीश, भगवान केदारनाथ हमेशा कुपित नहीं हो सकते हैं और हम इस बर्बादी से आगे निकल करके रास्ता निकालेंगे, मैं अपने सब सदस्य लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ मान्यवर, इस समय कोई इलाका ऐसा नहीं है, जहां पर कार्य न चल रहा हो। परन्तु कई ऐसे इलाके हैं जैसे थराली है, जहाँ पर कार्य की प्रगति से मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। मान्यवर, जैसे कर्णप्रयाग में नदी में हमें जिस तरह और जिस तेजी से कार्य करना चाहिए था, वह नहीं कर पाये हैं। मदकोट हमेशा मेरे आंखों के सामने तैरता रहता है, मान्यवर, जब गौरी में जल स्तर बढ़ेगा तो मदकोट का अस्तित्व खतरे में बढ़ेगा। मैं बिशन सिंह चुफाल की संवेदना से पूरी तरह से सहमत हूँ कि बलवाकोट के लिए हम सभी को चिंतित होना चाहिए। मान्यवर, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनके लिए हम सभी को चिंतित होना चाहिए। मगर चिंताओं से ही हमें आगे रास्ता

निकालना होगा, इसके लिए आप और हम हैं। जब आप और हम एकजुट होकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपदा से ऊपर उठते हुए हम एक अच्छा उत्तराखण्ड बनायेंगे। एक अच्छा पुनर्निर्माण करेंगे, ताकि दुनियाँ यह कह सके कि उत्तराखण्ड के लोगों को साहस है, हिम्मत है और ये आगे बढ़ना जानते हैं। मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि हम यहां से एक सम्वेत स्वर में, पूरे देश और दुनियां को एक संदेश दे सकें कि आओ उत्तराखण्ड आपके लिए उत्तराखण्ड सुरक्षित जगह है, यह बहुत अच्छा होगा और हम अपने लोगों को भी एक संदेश दे सकें कि सरकार की सीमा में जितना कुछ है, सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आप कुछ हिम्मत करो, इंतजार करो, फिर हमारा अच्छा समय लौटेगा और फिर से हमारा व्यवसाय अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। मैं फिर से इस चर्चा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसकी ग्राह्यता के लिए अब आगे आग्रह न करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री के कथन से यह लगता है कि सभी जगहों पर चमन है अब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा हो गया है तो हम खुले दिल के साथ कहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के साथ हैं। परन्तु एक बात यह भी है कि प्रदेश की जनता सड़कों पर क्यों आ रही है। बदरीनाथ, उत्तरकाशी में जनता सड़कों पर आ गयी है और पहले ही जब बर्फ पिघलने की घटना हुई तो इससे सारा उत्तरकाशी अभी बहते–बहते बचा है। मान्यवर, जितनी भी हमने आई ओपन की बात की हैं। विपक्ष ने आई ओपनर की तरह ही कार्य किया है। मान्यवर, एक जागरूक विपक्ष की तरह हमने कार्य किया है। यह सारे कार्य किये हैं। जैसे कि "जागरी लगाना अगुवाई लगाना" हमारे यहां एक शब्द है। उस तरह से हमने हिला–हिला के हर बिन्दु पर सरकार को जागरूक किया है और तो और माननीय अध्यक्ष जी को भी सरकार को निर्देश देना पड़ा है। यह सब हमने जागरूक किया है, तब थोड़ा बहुत कार्य आगे खिसकने की बात आ रही है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, यदि ऐसा चमन हो गया है तो, मैं लम्बे समय से नहीं गया हूँ। यद्यपि मैं चार–धाम विधिवत जाने वाला पहला देश का यात्री होऊँगा, एक साल पहले, उस समय कोई चार धाम इस तरह से नहीं गया, जिस तरह से मैं गया हूँ। मान्यवर, कई लोग हेलीकॉप्टर से गये, पैदल आये। परन्तु हमने एक–एक चीज को पैदल मार्ग चलकर देखा। मान्यवर, कई और सरकारी कर्मचारी भी गये होंगे। लेकिन जो वहाँ का वीभत्स दृश्य था और अभी भी है। मान्यवर, केदारनाथ जी के दाहिनी ओर वाले जो मकान हैं, उनकी सफाई शीघ्र होनी चाहिए। आज भी मलबे

में शव दबे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बार–बार शव दबे हुए हैं मत कहिए आप, मगर जो चीज सत्य है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। मान्यवर, कल–परसों फिर कंकाल मिलने प्रारम्भ हो गये हैं, ये कहा से मिल रहे हैं। आखिर मलवे की सफाई करने में दिक्कत क्या है। जी0एस0आई0 एक ऐसी एजेंसी है, जो ऐजेंसी कह देती है कि इन मकानों पर हाथ मत लगाना तो क्या सरकार उसके लिए कोई पैरवी नहीं करेगी। क्या तीर्थपुरोहितों को अपने मकानों में जाने नहीं देगी। आपने यह निर्णय ले लिया है कि हम वहां पर 90 प्रतिशत या 85 प्रतिशत भवनों को गिरायेंगे, निर्माण नहीं होंगे। मान्यवर, यह ठीक है कि तकनीकी तौर पर यदि वहाँ के लोग राजी हैं तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वर्तमान में जिन लोगों के वहाँ पर अपने–अपने मकान हैं, जिनके परिवार के लोगों की बॉडी वहाँ पर दबी हुई है, क्या उनको निकालने में हम अभी मदद नहीं करेंगे। कम से कम सूखे ही सही उनके कंकाल ही सही उन परिवारों के लोगों तक जाने तो चाहिए। मान्यवर, हमारे एक पुजारी थे वहाँ पर, व्यक्तिगत मेरे परिवार के 8 लोग आज भी जब आप केदारनाथ मंदिर से बाहर को निकलते हैं, दाहिनी तरफ उनका पहला मकान आता है, उनका नाम है श्री दर्शन लाल तिवारी, मैंने पहले भी इनके नाम का जिक्र किया था, उनके घरवाले कहते हैं, कम से कम मकान का लेंटर तो उठाने दो। वहां पर कोई हाथ लगाने नहीं देता है, यह तो बड़ी अजीब बात है। मान्यवर, पुनर्वास की बात आयी है। मान्यवर, अभी 337 गाँव पुनर्वास के लिए चिन्हित किये गये हैं, लेकिन 278 गाँव का तो इमिडिएट ही पुनर्वास होना है। इस सम्बन्ध में मैंने पिछली बार भी अपनी राय दी थी, अपना सुझाव दिया था सदन में, कि आपके कॉलागढ़ में दो–ढाई हजार मकान सिंचाई विभाग के खाली पड़े हैं, इन मकानों का अनुरक्षण भी हो जायेगा। रख–रखाव भी हो जायेगा। कम से कम इनमें से कुछ लोगों को वहां शिफ्ट तो कर दीजिए, जो लोग नहीं जायेंगे तो नहीं जायेंगे। मान्यवर, पिथौरागढ़ जिले से बार–बार बात आती है कि हमारा दो–तीन साल से पुनर्वास नहीं हुआ है, वे कहते हैं हमें हटाईये और वहाँ का पैसा भी नहीं मिला है। मैं यहाँ की बात इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के स्थानीय नागरिक श्री देवीदत्त उपाध्याय जी के फोन दिन में दो–तीन बार मुझे आये हैं। मान्यवर, यदि सभी जिलों के पुनर्वास की स्थिति को देखें तो एक वीभत्स स्थिति हमारे सामने आती है। सरकार ने पुनर्वास के मद में तो पहले कोई पैसा दिया ही नहीं पहले। आपने कहा कि 4 हजार करोड़ रू0 हम केन्द्र सरकार से पुनर्वास हेतु मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यह एक सामान्य नियम होता है कि कम्प्लीशन सार्टीफिकेट देते हैं। आज भी हम छोटे से विभाग में भी कम्प्लीशन सार्टिफिकेट देते हैं कि हमने अमुक कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मान्यवर, कम से कम एक कार्य प्राथमिकता के आधार पर सामने तो रखें। आपका प्रयास ईमानदार हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ कार्य नहीं किया है वे लोग ज्यादा देर तक यहाँ टिकते भी नहीं हैं। यह देवभूमि है, यह शापित भी करती है।

यह पहले चढ़ाती है और फिर उतारती भी है। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम एक कम्प्लीकशन सार्टिफिकेट मंगाकर कितना खर्चा हुआ है। कितनाधन देश के लोगों से आया, कितना धन केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया, कितना धन दानदाताओं द्वारा दिया गया। एक क्लियर श्वेत पत्र टाईप में सबसके सामने रख दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। चूंकि चार धाम यात्रा चले, इसमें हमारा भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है और सब लोगों का हित है, प्रदेश का भी हित है। हम इसमें आपसे कहीं भी बाहर नहीं हैं। हम इसमें कहीं भी विरोध नहीं कर रहे हैं। "कफन बांधकर आना" हमने कभी भी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, चाहे किसी अखबार ने कहा हो, लेकिन हमने व्यक्तिगत तरीके से कभी भी ऐसा नहीं कहा है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जरूर सरकार की तरफ से मैसेज नहीं जा पाया है अभी तक। मैसेज देना हमारा कार्य नहीं है, हमारा कार्य तो यहाँ सरकार को जागरूक करना है, बाकी प्रदेश को ठीक-ठाक करना तो सरकार का दायित्व है। सरकार कोई ऐसा कारनामा करे, अखबार में इश्तहार छापे, सरकार के अन्य कार्यों के इश्तहार तो आते ही हैं। अखबार नेशनल मीडिया में दे, जगह-जगह शहरों में दे, आजकल तो ई-मेल हो गयी है, यू-ट्यूब हो गयी है, इस तरह की अन्य कई चीजें हो गयी हैं। सरकार कई जगह कहें कि अब हम दुरूस्त हो गये हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करता हूँ कि चार धाम यात्रा मेरे साथ पैदल चलने का एक अतिशीघ्र कार्यक्रम बना दें। चार धाम यात्रा हम दोनों लोग पैदल चल देते हैं, ताकि लोगों में एक मैसेज चला जायेगा इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारे सारे विधायकगणों की एक टीम भी बना देते हैं। यंग लोग जो चल सकते हैं हम सब लोग चल देते हैं, हम तो अभी भी आपको यंग मानते हैं। मान्यवर, इससे एक मैसेज भी चला जायेगा। मैसेज देने के लिए हम खाली सदन के अंदर बोलें, इससे मैसेज जाने वाला नहीं है। मान्यवर, देश के कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतने धर्मवीरू हैं, आस्तिक हैं, वे तो जायेंगे ही जायेंगे, वे तो चाहे रास्ते टूट जांय, जायेंगे ही। लेकिन कुछ लोग जो पर्यटन के लिए आते थे, उन्होंने यह संकल्प किया है कि हम उत्तराखण्ड नहीं जायेंगे, हमारी सात पीढ़ियां तक नहीं जायेंगी, यह बात उस समय लोग टैलीविज में बोले हैं, यह बात आपने भी सुनी होगी, नेशनल मीडिया में लोग यह बात बोले हैं। यह सब धोने के लिए यदि सामूहिक प्रयास करना है, हम यहां तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन संसाधनों में आप परिपूर्ण हैं। संसाधन आपके पास बहुत हैं, सरकारी संसाधन हैं, इसको पूरे देश व्यापी अभियान के रूप में आप बनाईये कि चार धाम यात्रा ठीक है। रूट ठीक हैं, रास्ते खुल गये हैं, कोई खतरा नहीं है, आप लोग उत्तराखण्ड आईये। इस कार्य में हम आपके साथ हैं। मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में

कहा गया है। मैं एक बार फिर माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि मुख देखकर दलगत भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं होना चाहिए, परन्तु यहाँ पर दलगत भावनाओं के अनुरूप कार्य हो रहा है। मान्यवर, विकास की बात बोली जाती है, लेकिन विकास भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके यहाँ भी तो होना है, हमारे विधायकों के यहाँ भी तो विकास होना है, इनके साथ भी तो एक दिन बैठिये। मैं सदन में कह रहा हूँ कि हमारे सारे विधायकों को आप समय दीजिए। (व्यवधान)

किसी ने कोई गलती करी। हरीश रावत तो मसीहा के रूप में पैदा होकर आए हैं। क्या मसीहा को आप नीचे डालोगे, ये राय दे-दे कर? मसीहा के रूप में अवतार होकर आ रहे हैं तो सब कुछ करने वाले हैं। कृष्ण भगवान की तरह से वों घुमाया तो सब ठीक होने वाला है, क्या उनकी छवि को आप यह कह कर खराब करोगे कि खबरदार यहाँ कुछ मत करना। अभी हमारे जीना जी ने एक बात बोली थी यद्यपि होना चाहिए, किसी भी विधायक के क्षेत्र में हो, मैं बुरा नहीं मानता उसको, होना चाहिए, कोई विधायक हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, विधायक को लड़ना चाहिए, काम कराना चाहिए परन्तु जनता तो सब आपकी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम हमारे लोगों के साथ बाढ़ नियंत्रण, जीना जी के क्षत्र में रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी आपके घर की नदी है और गगास नदी आपके घर की नदी है, वह टूट रही है, लोग भाग रहे हैं। कम से कम वहाँ भी तो बराबर कराईये, इसी तरह पूरे प्रदेश में करवाईये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है (व्यवधान) हमने कहा कि सरकार पर ज्यादा लोड न पड़े क्योंकि सरकार का जितना खर्चा यहाँ हो रहा है, मितव्ययता को देखते हुए हमने अपना भोजन अलग से करवाया है। उसमें हमने आपको भी आमंत्रित किया है। आप चाहें तो आप आ सकते हैं। मान्यवर, दूसरी बात, आपदा में चौरास पुल के लिए केन्द्र सरकार का पैसा आ गया है, करोड़ों रूपये, श्रीनगर में और चौरास कैम्पस खत्म होने जा रहा है। सिर्फ सरकार का आदेश नहीं दिये जाने के कारण उसमें आज तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ। अगर पैसा है, सब कुछ है, हम काम प्रारम्भ नहीं कर पाए, अब कर रहे हैं, इस समय। आखिर कौन बचाएगा इस प्रदेश को? विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा इन मामलों के लिए? सब ठीक-ठाक हो रहा है, राम राज्य हो रहा है, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए मेरा अपने अनुरोध है कि दलगत भावना से थोड़ा ऊपर उठ कर अगर काम होगा तो अच्छा इतिहास और अच्छा मैसेज भी देवभूमि से जाएगा कि आईये हम सब साथ चलते हैं, आईये, हम सब साथ विकास करते हैं, ये नारा भी जाएगा। हम साथ हैं, आपके। यह मत समझिए.......(व्यवधान) अभी-अभी लग रहा है, एक-डेढ़ महीने से लग रहा है।

मुझे जब श्रीनगर में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, वहा लोगों ने मुझसे कहा था, मैंने लिखित पत्र सरकार को दिया है। (व्यवधान) जिस दिन मैं वहाँ गया था, उस दिन काम नहीं लगा था, उसके बाद काम लगा है। इस तरह से अब वहाँ बारिश आ गयी है, अब हम उस चौरास कैम्पस को बचा नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह से ढीला-हवाली होती रहेगी, कसा नहीं जाएगा तो जैसे हमारे यहाँ ढोल बजता है, माननीय अध्यक्ष जी, ढोल को कसा जाता है, उसको कसने के लिए सारे यंत्र लगाए जाते हैं, तब जाकर अच्छा ढोल बजता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जरा उनका कसाव ठीक करिए और भेद-भाव नहीं करिए। सबको एक समान देखिए। जनता सब जगह रहती है और गैरसैंण को पहले जिला बना दीजिए, गैरसैंण को राजधानी बना दीजिए, गैरसैंण को आप जो कुछ भी करना चाह रहे हों, आज यह ऐतिहासिक सत्र आपने बुलाया है, इतिहास में नाम तो दर्ज हो ही गया है, आप स्थाई बनाईये, अस्थाई बनाईये, चाहे कुछ बनाईये, ग्रीष्मकालीन बनाईये, इस बार इसे बनाईये। इससे पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम एक डी0एम0 तो बैठा दीजिए गैरसैंण में। इसलिए मेरा यह भी निवेदन है आपसे, इतना कह कर मैं अपनी नियम 58 की सूचना पर बल देता हूँ।

श्री हरीश रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा-

माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात आपसे कहना चाहते हैं। जहाँ आपने उत्तराखण्ड का जिक्र किया है, तो उत्तराखण्ड में उधम सिंह नगर और हरिद्वार भी हैं। जरा इसको और ध्यान में रख लीजिए। आपने कहा है कि जिस सड़क से हम आ रहे थे, चीमा जी की चीख निकली या नहीं निकली, मेरी निकल गयी। अगर मेरी सड़कों पर मुख्यमंत्री जी आप चले जाएं, तो आप बैलगाडी के ऊपर आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते। इतने बड़े-बड़े खड्डे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला-

मान्यवर, हाईवे ठीक हो गया, लिंक रोडों को ठीक कराना पड़ेगा।

श्री हरीश रावत-

माननीय राजेश जी, आप सब लोग जानते हैं कि ऐसी छोटी-मोटी सड़कें इत्यादि हैं, उनको ठीक करने के लिए यदि हम सामान्य टेण्डर आदि की प्रकिया से जाते तो इस साल हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते इसीलिए हमको एक असामान्य कदम उठाना पड़ा, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पी0आई0यू0) खड़ा करने का। मुझे यह लगा कि

उससे काम बहुत तेजी से गतिमान था, जब आप लोगों के जो ऐतराज हैं, उनकी जानकारी मिली, तो उस पर भी देखेंगे लेकिन इस समय हमारे सामने एक ही लक्ष्य था कि सड़कों की रायडिंग क्वालिटी सुधर जाए, पेयजल योजनाएं ठीक हो जाएं। हमारी एकल पेयजल योजनाएं लगभग एक हजार के करीब पिछले 15–20 साल से खराब पड़ी थीं। हमने एक मुश्त 33 करोड़ रूपया जल निगम–जल संस्थान को दिया, उनसे कहा कि 6 जिलों में एक यूनिट करेगा और 7 जिलों में दूसरा यूनिट करेगा, आप करिए। अब यदि उसके लिए हम सामान्य टेंडर की प्रक्रिया से जाएंगे तो वे एक साल लगा देंगे। इसलिए हमको यह कहना पड़ा कि आपको हमने टाईम वेब किया, आप असामान्य तरीके से, जिससे जल्दी हो सकता है, काम शुरू कीजिए ताकि इन गर्मियों के अन्दर लोगों के ऊपर पानी का लोड कम हो, तो कई बार बहुत असामान्य फैसले लेने पड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, भले ही मंत्रि मण्डल की सैंक्शन थी, इस विषय में मेरे साथ, मगर मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि पी0आई0यू0 गठित करने के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और उसमें अच्छा काम हुआ या कुछ कमियाँ रह गयीं, सबके लिए मैं निजी तौर पर जिम्मेदारी लेता हूँ। कल यह सवाल किसी विभाग या अधिकारी से खड़ा न हो। हाँ, क्वालिटी के विषय में कहीं किसी को कोई शिकायत है तो आप मुझे लिख कर भेजिएगा, मैं उसकी पूरी तरीके से जांच करवाने का काम करूँगा। यहाँ मैंने आपसे कहा था, 63 पुलिया ठीक करा रहे हैं, ये 63 तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पुल और पुलिया थीं, जिनको हमने यातायात के लिए सुगम बनाया है। 26 जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त थे, उनको ठीक किया है और 96 पुल और पुलिया में इस समय काम चल रहा है। रिकॉर्ड स्टेक करने के लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। एक आपने केदारनाथ की बात उठाई। मैंने अभी तक जितनी बातें केदारनाथ जी के विषय में कही, माननीय अध्यक्ष जी, वह एक दूसरे चरण की बात कही। वह रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के बाद का चरण था, वह चरण था, यात्रा को खोलने का। अब हमने दूसरा चरण प्रारम्भ कर दिया है, वह है पुनर्वास और पुनर्निर्माण का। उसमें ऊपर मंदाकिनी और सरस्वती एक हो गयी हैं और इतनी नजदीक इस समय मन्दिर के गुजर रही हैं कि किसी समय भी मन्दिर को क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में आ सकती हैं। मैंने कहा है कि दोनों को अपने पुराने रास्ते पर करें, वह काम हमने प्रारम्भ कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 15–20 दिन के अन्दर दोनों मंदाकिनी और सरस्वती अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगी। हम केदारनाथ जी की सुरक्षा के लिए एक आऊटर वॉल बना रहे हैं, जो पहला झटका झेले, यदि किसी समय कोई सैलाब आता भी है और एक दूसरी इनर वॉल बना रहे हैं। हमने दोनों के लिए दो अलग–अलग एजेन्सीज को लगा दिया है। एक बार केदारनाथ जी की सुरक्षा के सारे उपाय हो जाने के बाद मैंने चिन्हिकरण प्रारम्भ करा दिया है, जो अति डेंजरस भवन हैं, मकान मालिक

जिनके लिए तैयार हों, मैंने कहा है, उनको तोड़ दीजिए और जो अति डेंजरस नहीं हैं, वहाँ रास्ते में पड़ा हुआ जो मलबा है, असल में वहाँ पानी की निकासी बहुत आवश्यक है। यदि इस बरसात के पानी की निकासी नहीं हुई, तो जो भवन रह भी गये हैं, उनके लिए और खतरा पैदा हो जाएगा। भवन स्वामियों को जरूर इस बात की चिन्ता है कि उनका माल असबाब वहाँ है, ये घर सुरक्षित है। वे चाहते हैं कि हमारा घर सुरक्षित है, हम वहाँ पहुँच जाएं लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि अगर एक बार हम एलाऊ कर दें और वहाँ किसी प्रकार की कोई ट्रैजिडी हो गयी, जिसकी कोई गारण्टी नहीं कर सकता कि नहीं होगी। भवन कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसका किसी के पास कोई आंकलन नहीं है, तो उस समय देश और दुनिया हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि इस बार हमको वहाँ से मलबा हटा लेने दें, जो रास्ते में है। हम नालियों का ड्रेनेज सिस्टम बना लें ताकि बरसात में वहाँ पानी रूकने की संभावना न हो, फिर आप लोगों से परामर्श करके, वहाँ के तीर्थ पुरोहितों से परामर्श करके हम तय करेंगे कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और मैंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दे दिया है कि वह जियालॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया से एक बार फिर पूछ लें कि भगवान केदारनाथ के मन्दिर के अन्दर की स्थिति क्या है, उस स्थिति का एक बार फिर से आकलन कर लें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। इस चरण के पूरा होने के साथ-साथ हम अगले चरण में भी प्रवेश कर रहे हैं, उस चरण के अन्दर वैकल्पिक रूप पर केदार पुरी के लिये जगह ढूंढ ले रहे हैं, इसका प्रयास तो तभी करेंगे, जब तीर्थ पुरोहित इसके लिये तैयार होंगे। मगर यात्रियों के लिये भी हमें केदारपुरी बनानी है, जो काम पहले गरूड़चट्टी करती थी, अब वह काम केदारपुरी करेगी। हमने यह भी फैसला लिया है कि हम गरूड़चटटी की भी रक्षा करने का काम करेंगे, उसे भी मन्दाकिनी के ऊपर पुल बनाकर यदि उसे जोड़ने का काम कर सकें तो करेंगे। तल्ली लिंचौली और बीच की लिंचौली में हम मार्केट प्लेस डेवलप कर रहे हैं, ताकि वह रामबाड़ा का काम कर सके। इसी प्रकार से भीमबली को भी अल्टरनैट मार्केट के रूप में डेवलप कर रहे हैं, इसी प्रकार से गौरीकुण्ड में भी अल्टरनैट मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। लिंचौली से ऊपर केबल कार से लोगों को ले जाने की स्टडी करने के लिये मैंने अधिकारियों को कह दिया है और केदारनाथ पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक बैटरी की कारों से लोगों को वहाँ तक ले जाने का कार्य करेंगे, केदारपूछ में भी हम यात्रियों को रूकवाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि अति सुरक्षित स्थानों पर ही लोगों को बसाया जा सके। वन विभाग को मैंने निर्देशित किया है कि वह एक और पैदल वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का काम करें, वह उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। इधर हमने गुप्तकाशी से मयाली तक के 76 कि0मी0 के रास्ते को दुरूस्त कर दिया है, पिछली बार उसने लाईफ लाईन का कार्य किया था, यदि इस बार किसी कारणवश हमारा रूद्रप्रयाग-कुण्ड वाला रास्ता रूक

भी जाता है तो उस समय गुप्तकाशी–मयाली मोटर मार्ग काम कर सके हम इस बात को लेकर सचेत हैं कि केदारनाथ यात्रा रुके नहीं, मगर रेगुलेट करनी पड़ती है और मौसम के साथ रेगुलेट करनी पड़ती है, आप जानते ही हैं कि मौसम पर न आपका अधिकार, न हमारा अधिकार, अब हमारे मित्र लोग कभी लिख देते हैं कि रोकी, यात्रा रोकी गई, यात्रा स्थगित, अब यह उनका अपना लिखने का अन्दाज है, लेकिन आपकी और हमारी भाषा में हम केवल यात्रा को रेगुलेट करते हैं। जिस दिन केदार घाटी बन्द हो जाती है, बर्फ पड़ रही होती है, तो उस दिन यात्रियों को रोकना ही पड़ेगा और किसी न किसी सुरक्षित पड़ाव पर रोकना पड़ेगा, यह हमारा कर्तव्य है। यदि अधिकारी उस काम को करते हैं तो हमें उसमें संवेदनशील होने के बजाय, हमारे अधिकारियों की पीठ ठोकने का काम करना चाहिये। तो इस प्रकार से मैंने केदारनाथ धाम को बचाने का मोटा–मोटा खाका, फेज 1, 2, 3 और 4 का रख दिया है। यही खाका हम फिर भारत सरकार के पास व्यवस्थित रूप से भेजेंगे और यदि आपकी इच्छा है, जो भी आप कह रहे हैं, आपको तो हमेशा काला ही काला दिखाई देता है, यदि आप सफेद देखना चाहेंगे तो हम सफेद पेपर भी ले आयेंगे, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं। आप मुझसे धीरे से कह दीजिये, जब से मैं आपके सामने बैठने वाला हुआ, आप तो पहले दाज्यू के तरीके से देखते थे, सफेद–सफेद देखते थे, अब आप काला–काला देखने लग गये हैं। थोड़ा सा नजर बदल लीजिये तो सब ठीक हो जायेगा, यह 58 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दाज्यू को सही रास्ता दिखाने के लिये भी एक आदमी जरूरी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, श्री मालचन्द जी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी, श्री दलीप सिंह रावत जी, श्री गणेश जोशी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरी सूचना को नियम 58 में स्वीकार कर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इस प्रदेश में लगभग एक लाख इकहत्तर हजार गन्ना किसान पंजीकृत हैं और गन्ने की जो फसल होती है, वह नकदी फसल होती है। बाकी की सारी फसलों से गन्ने की फसल इसलिये भिन्न है कि किसान उसे इस रूप में मानता है कि जैसे ही वह मिल में गन्ने को डालेगा, उसे उसका पैसा मिल जायेगा, जिससे वह अपने घर–परिवार का संचालन सही तरीके से

करेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्ष का लगभग 500 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों का बकाया है। जब सरकार के पास आकर बात करते हैं तो, मैंने कई बार अखबार में पढ़ लिया कि मंत्री जी ने घोषणा की है कि 200 करोड़ दे रहे हैं, 250 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज भी वह पैसा किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। चूंकि आज तो गैरसैंण में सत्र हो रहा है और मुख्यमंत्री जी की बातचीत से लग भी रहा था कि वह आज पूरे फार्म में हैं। तो लगा कि किसानों के लिये कुछ घोषणायें करेंगे, वह किसान परसों विधान सभा पर धरने पर बैठे थे, मुख्यमंत्री आवास के पास धरना देने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया और इस समय स्थिति यह है कि सारे किसान संगठन आन्दोलित हैं, जिलाधिकारी से लेकर सभी का घेराव हो रहा है, सरकार ने सारी मिलों की आर0सी0 काटने का काम किया। लेकिन आर0सी0 काटने के बाद मिलों पर क्या प्रभाव पड़ा, आज तक आर0सी0 जारी होने के बाद भी आज तक भुगतान की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। यदि जरूरी ही था तो 6 महीने बाद हैलीकाप्टर खरीद लेते, किसानों का 25 करोड़ इस बजट में ले लेते। जो जरूरी चीज थी, वह हो जाती, आज किसान अपने बच्चों की शादी के लिये परेशान हैं, स्कूल में फीस देने की स्थिति में नहीं हैं। आज उन किसानों की चिन्ता कौन करेगा, वह चिन्ता तो सरकार को करनी पड़ेगी, सरकार की स्थिति ऐसी है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस सभी से वाकिफ हैं, क्योंकि वह उस क्षेत्र से सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जहाँ निजी क्षेत्र की मिलें हैं, कॉपरेटिव और निगमों की मिलों के लिये तो सरकारें कुछ व्यवस्था करती है। लेकिन जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं, समस्या वहाँ पर आ रही है, यदि इस ओर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो, मैं सदन के अन्दर इस बात को कह रहा हूँ, कहीं भी स्थिति खराब हो सकती है, उनका आन्दोलन कभी भी बड़ा रूप ले सकता है, चूंकि अब किसानों का धैर्य जबाब दे चुका है, स्थिति यह है कि परसों वे विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुये थे, किसी तरह हाथ जोड़कर मैं भी वहाँ पर गया और मैंने कहा कि आप लोग रूक जाईये, हाउस होने वाला है, वहाँ पर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री से कई बार वार्ता भी हुई है, गन्ना मंत्री से वार्ता हुई है, लेकिन उनका समाधान नहीं निकल पा रहा है। इस विषय को लेकर आज पूरे क्षेत्र में, चाहे वह उधमसिंह नगर जिला हो, चाहे हरिद्वार हो या चाहे देहरादून हो, तीनों जिलों के किसान चाहे पंजीकृत और चाहे गैर पंजीकृत किसान, सभी आन्दोलित हैं, इसलिये यह कहीं न कहीं अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है, तात्कालिक है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपने आप को माननीय मदन कौशिक जी से सम्बद्ध

करता हूँ, क्योंकि सारा विषय मदन कौशिक जी ने रख दिया है, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गन्ना सीजन जब शुरू होने वाला था, उससे पहले हरिद्वार जिले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बड़े–बड़े इश्तेहार लगा दिये गये कि इतना पैसा दे दिया गया है। जब कि हमारे बड़े राजा साहब, यहाँ पर बैठे हुये हैं कुंवर जी, यह भी जानते हैं कि उस पैसे का हरिद्वार जिले की तीनों मिलों से कोई सम्बन्ध नहीं था। उस समय पूरी धोखाधड़ी हरिद्वार के गन्ना किसानों के साथ की गई और आज भी स्थिति यह है कि गन्ना किसान जब मिल चालू नहीं हुई थी तो संघर्ष कर रहे थे कि मिल चालू हो जाय। उसका गन्ना उठाने को कोई तैयार नहीं था, उसको अगली फसल बोनी थी, उसके खेत खाली नहीं हो पा रहे थे, वह गन्ना नहीं बो पा रहा था। आज गन्ना डालने के बाद उसकी स्थिति यह है कि वह भुगतान के लिये संघर्ष कर रहा है और मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा साल गन्ना किसान का संघर्ष में ही बीत जाता है।

मान्यवर, और इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि अगर यही स्थिति लगातार चलती रही जो पिछले 2–3 वर्षों से गन्ना किसानों की दिखाई दे रही है गन्ना किसान की तो गन्ना किसान गन्ने को बोना बंद कर देगा और यदि वह गन्ने से विमुख हो गया तो एक बहुत बड़ा संकट पूरे प्रदेश के सामने उपस्थित होगा। आज गन्ना किसान की स्थिति यह है कि जिनकी बेटों की शादी तय थी, उनको अपने बेटों की शादियाँ कैंसिल करनी पड़ रही हैं, उनके बच्चे जो स्कूलों में कहीं एजूकेशन ले रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उनकी फीस न जाने के कारण उनको घर बैठाना पड़ रहा है और सरकार का कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। पिछले साल जब जून के अंदर आपदा आयी तो लक्सर क्षेत्र का लगभग सवा दो लाख बीघा गन्ना बरबाद हुआ उस कारण वहाँ के गन्ना किसान की कमर टूटी हुई थी ही, लेकिन इस बार जो भुगतान की स्थिति है उससे उसे बिल्कुल भूखों मरने पर मजबूर कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उस सारे क्षेत्र से परिचित हैं, गन्ना किसानों की समस्याओं को वो भली–भांति जानते भी हैं और बड़े उदार दिल हैं, कृपालू भी हैं तो मेरा यह कहना है कि आज पूरे जोश मे भी दिखाई दिये हैं, पूरी लै में दिखाई दिये हैं तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि जो आपकी को–आपरेटिव वाली मिलें हैं, उनके अंदर बहुगुणा जी ने भी कुछ दिया था, लेकिन इस बार आपने प्राईवेट मिलों के माध्यम से जो भुगतान हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और को–आपरेटिव मिलों के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि तत्काल हम गन्ना किसानों को कोई राहत दें सकें, उसको बचा सकें। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करते हुए चर्चा की मांग करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री संजय गुप्ता एवं श्री यतीश्वरानंद जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय आदेश जी, हमारे छोटे भाई हैं और उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि मैंने माननीय इंदिरा जी से इजाजत ली कि मैं ही उत्तर दे देता हूं। मैं दोनों की स्थिति से बहुत चिंतित हूँ, गन्ना किसानों की स्थिति से भी, क्योंकि उनकी आर्थिकी इस समय बहुत बुरी हालत में है और गन्ना किसान अपने बच्चों के शादी–ब्याह के लिए भी जमीन गिरवीं रख करके ऋण ले रहा है, जबकि उसकी पूँजी चीनी मिलों के पास फंसी हुई है और कोई सामान्य बकाया नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा बकाया चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का है। इस समय जो कुल देय गन्ना मूल्य है, वो 909 करोड रूपया है जिसमें अब तक हमने 523 करोड रूपया भुगतान किया है। इसमें काशीपुर की चीनी मिल का सम्मिलित नहीं है और अवशेष जो गन्ना मूल्य है वो 387 करोड रूपया लगाईये, लगभग 42 प्रतिशत है, 58 प्रतिशत के करीब भुगतान हुआ है और आपको यह भी मालूम है कि 58 करोड में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने जो साफ्ट लोन दिया था चीनी मिलों को, वो साफ्ट लोन की राशि भी सीधे–सीधे किसानों के खाते में गयी थी, उसका बहुत बडा योगदान है, इसको घटा लेना। इस तथ्य से आप वाकिफ हैं कि कांग्रेस की सरकार का निरंतर यह प्रयास रहा कि गन्ना किसान के साथ वो खडी हो और इसीलिए पहले सिडकुल से हमने कर्ज ले करके भी गन्ना किसानों का पेमेन्ट किया, उससे पहले मंडी से कर्जा ले करके गन्ना किसानों का पेमेन्ट किया और इस बार भी हमने को–ऑपरेटिव बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें राज्य सरकार गारन्टर के तौर पर है, जिससे चीनी मिलें भुगतान कर सकें, मगर हमको कुछ अच्छा और व्यापक सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे सामने चीनी उद्योग का भी सवाल है, चीनी श्रमिक का भी सवाल है, किसान का सवाल भी है। हमने गन्ने की उत्पादकता को हमेशा नकारा और उसका परिणाम है कि पर कुन्तल ईल्ड और रिकवरी दोनों में हमारा इलाका पीछे रह गया और विशेष तौर पर मैं हरिद्वार के एक मूर्धन्य किसान नेता यहां पर हैं, मैं उन तीनों का जिनमें से दो उधर की तरफ बैठे हुए हैं, एक बिना गन्ना उगाने वाले नेता हैं, गन्ना नेता मदन कौशिक जी और बाकी दो गन्ना उगाने वाले हैं श्री आदेश जी और श्री कुंवर प्रणव सिंह जी, अरे फुरकान जी पर तो मेरी नजर ही नहीं गयी और सरवत करीम साहब। तो मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा थोडा हमारा साथ दीजिए। मैंने बीज बदल का कार्यक्रम वहाँ एम0पी0 के रूप में प्रारम्भ किया था, लेकिन तब मेरे पास सीमित साधन थे अब राज्य सरकार की तरफ से मैंने कहा इनसे कि 20 करोड रूपये का बीज बदल कोष स्थापित करियें और गन्ने का बडे पैमाने पर बीज बदले जाने की जरूरत है। डोईवाला को मैंने विभाग से कहा है कि वो सघन रूप से बीज उत्पादक ब्लाक के रूप में कन्वर्ट करे। ताकि वहाँ का किसान गन्ना बीज तैयार करने का व्यवसाय कर

सके और हम उसमें उनकी पूरी मदद करने का काम करेंगे। मैंने एक कोशिश की थी कि क्वालिटी सुधारने के लिए गन्ना शोध केन्द्र वहाँ स्थापित हो जाय, मगर हरिद्वार में जमीन आप लोग नहीं दे पाये और कतिपय अड़ंगे उसमें आते रहे और अब भी मैंने इनसे कहा है कि यदि कुछ खरीदनी भी पड़ती है तो हम खरीद करके भी गन्ना शोध केन्द्र स्थापित करें ताकि यदि सीतापुर जैसी जगह जहाँ घुटने–घुटने तक पानी में डूबता है गन्ना, वहाँ के लायक गन्ना तैयार किया जा सकता है तो हमारे खानपुर में क्यों नहीं तैयार किया जा सकता है। तो उसके लिए हमको गन्ना शोध केन्द्र की बहुत आवश्यकता है। भारत सरकार ने उसको रखा है और वर्तमान पंचवर्षीय योजना के तहत भी उसको सम्मिलित कर दिया था, पिछली सरकार ने ही कर दिया था और मैं समझता हूँ कि यह सरकार जो उत्तराखण्ड का बार–बार नाम लेती है तो वो गन्ना शोध केन्द्र खोलने में हमारी जरूर मदद करेगी। हम जमीन उपलब्ध करवाएंगे। ये तो रहा गन्ना किसान का पार्ट, दूसरी तरफ हमने चीनी मिलों को भी प्रोत्साहित करने के लिए मैंने यहाँ तक कि शराब का लाईसेन्स देने में भी उदारता बरती है और मैं कह रहा हूँ कि अब आगे इथोनाल इत्यादि के प्रोडक्शन की तरफ भी आप आईये और इसके लिए कोई मॉडनाईजेशन की जरूरत है, मॉडनाईजेशन करिये ताकि चीनी मिलें अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। अब ये बताईये कि छोटे से राज्य के अंदर कब तक राज्य सरकार अपने संसाधनों से एक प्राईवेट एग्रीमेंट जो किसान के बीच में और चीनी मिल के बीच में हो रहा है, उसका भुगतान अपने हाथ में लेगी, ये वन टाईम मेजर हो सकता है, ये दो बार का हो सकता है, ये तीन बार का हो सकता है, लेकिन यह हमेशा की प्रैक्टिस नहीं हो सकती है इसलिए हमको कहीं न कहीं अब रास्ता तलाश करना है। इस बार तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक ग्रुप, वैसे वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नाम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो नामकरण, यू0पी0ए0 का नामकरण था, तो उसका उन्होंने पता नहीं क्या नामकरण रखा है, लेकिन मिनिस्टरों का समूह बनाया है उन्ही से तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो समूह जो है चीनी उद्योग इस मंदी से बाहर निकल सके, उसके लिए कुछ ठोस उपाय वो करेंगे। इस समय चीनी मिलों के पास स्टाक पड़ा हुआ है, मैं उनको जेल में बंद कर सकता हूँ, वो अधिकार मेरे पास है, मगर चीनी को मैं नीलाम नहीं कर सकता हूँ कि मैं यदि बाजार में कुछ नीलाम करके खुद अपना पैसा लगा करके समझूँ कि भुगतान कर दूँ, वो सारा का सारा स्टाक पहले से ही प्लज है बैंकर्स के पास, उनकी जमीनें प्लज हैं, उनके मकान प्लज हैं, उनकी हर चीज आज प्लज है, कहीं न कहीं बैंकों के पास और दूसरी फंडिंग एजेन्सीज के पास, तो इसलिए हमारे आप्सन्स सीमित हैं, उन सीमित आप्सन्स की बीच में मैंने यह निर्णय किया कि हम जो आधा देय है, आधा पैसा जो देय है, इस समय तक जो सरकारी चीनी मिलों का है, उसको तो अभी हम कर दे रहे हैं।

विभाग जो है जल्दी पैसा रिलीज करे किसान के खाते में जितनी जल्दी जा सके इसमें कोई पंचायती आचार संहिता को आधार न माना जाये। क्योंकि यह सर्वदलीय माग है, मैं समझता हूँ भाजपा भी इस मांग में हमारे साथ सम्मिलित होगी। क्योंकि जो आधा बकाया है सहकारी और सरकारी चीनी मिलों का हम भुगतान कर सके। वित्त मंत्री जी आप मुस्करा नहीं रही हैं आज इस बात से डर लग रहा है। इन्दिरा जी ने कह दिया अब वह मुस्करा रही हैं। अब आप आश्वस्थ रहिये कि आधे का भुगतान हो जायेगा, बाकी आधे के विषय में हम फिर रास्ता निकालेंगे। कोई रिलीफ मिल जायेगी। बाकी प्राईवेट चीनी मिलों का है उसके लिए फिर बातचीत करेंगे हमने को-आपरेटिव के माध्यम से जो बातचीत चलायी थी उसको कैसे आगे पहुँचा सकते हैं, उसको पहुँचाने का काम करेंगे। मैंने आपके सामने पूरा एक सीन रख दिया है। जो हम इस समय कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी वित्तीय बाध्यताओं को सीमाओं को सब चीजों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर आपको हमारे प्रयास की सराहना करनी चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, गन्ना शोध संस्थान के लिए जमीन वहाँ उपलब्ध है। जब मैं इस विभाग को मंत्री के रूप में देखता था तब वह जमीन हमने उपलब्ध कराई थी। पता नहीं क्या कारण है, कहाँ से सूचना आ रही हैं, वह जमीन उपलब्ध है। जमीन के बारे में आप डी0एम0 हरिद्वार को कहिये जमीन उपलब्ध कराई जायेगी। दूसरा यह है कि सोसाईटी के माध्यम से गन्ना दिया जाता है डारेक्ट वो मिल को नहीं दिया जाता, इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई रास्ता निकालें। आज यह सही है कि हमारे फुरकान जी भी बैठे हैं, हमारे हरिदास जी भी बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। यह सही है कि दिक्कत उनके सामने भी बड़ी है। अंसारी जी भी सामने बैठे हैं। हमारे प्रेम जी बैठे हैं, हमारे सहदेव जी बैठे हैं। वास्तव में बहुत दिक्कत है मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आज कोई रास्ता इसका जरूर निकाल दें। चाहे कोई भी निकाले, लेकिन किसानों का कुछ भुगतान जरूर होना चाहिए। क्या निकालेंगे आप इसकी घोषणा कुछ भी कर दीजिए। लेकिन दिक्कत वहाँ बहुत है। इतनी दिक्कत है कि विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। ये सब आप देख लीजिए। ये हम नहीं कह रहे है बसपा वाले दुःखी मन से कह रहे हैं। ये सब लोग परेशान हैं। आज आप क्या रास्ता निकालेंगे। थोड़ा इस पर कुछ कर दीजिए।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर,मैंने पहले आपसे साफ कहा कि हम देख रहे हैं कि मंत्रिमण्डल समूह जो है, का फैसला आता है और मैंने साथ ही साथ अपने उत्तर में यह भी कहा कि जो तीन हमारे प्राईवेट चीनी मिलें हैं चौथी तो लिटीगेशन में है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते

काशीपुर के लिए बाकी जो तीनों चीनी मिलें हैं। उनके विषय में हमने जो मदद करने की उनकी ठानी है, वह तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी हम भुगतान की स्थिति में उनकी मदद कर पायेंगे, उसमें कुछ बात करेंगे। जो सहकारी और सरकारी क्षेत्र के हैं उसमें मैंने 50 प्रतिशत कह दिया है, उनका शीघ्र भुगतान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी, श्री आदेश चौहान जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरी सूचना को नियम–58 के तहत स्वीकार कर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और सरकार से जानना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर जिले में जो हमारा ग्राम है वहाँ आज 12 से 14 घंटे बिजली कटौती हो रही है यह अघोषित बिजली कटौती है। आप इस तथ्य से अवगत हैं कि सारी कृषि और उद्योग उधमसिंह नगर में आधारित हैं और बिजली की लगातार जो आपूर्ति बाधित हो रही है और 12 घंटे तक और 14 घंटे तक बिजली नहीं मिलती उससे कृषि की खेती की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे एक करोड़ की मूल्य की फसलें नष्ट हो रही हैं, सिंचाई के बिना। जो वहाँ के उद्योग हैं वह भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ जब इतनी गर्मी है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ पारा 42 से 45 डिग्री पहुँच गया है वहाँ जब सारी रात बिजली नहीं आती है और दिन में बिजली जाती है तो वहाँ आम जन त्राही–त्राही करता है और किस तरह से उसको जीवन यापन करना कठिन हो जाता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह पूरे प्रदेश में नहीं है बल्कि केवल उधमसिंह नगर में है यह भी चिन्ता का विषय है, घोषित नहीं है अघोषित है, जब जनता धरना प्रदर्शन करती है। जनप्रतिनिधि जब अपनी बात रखते हैं तब कोई अधिकारी वहाँ जबाब देने की स्थिति में नहीं होता है आज भी वहाँ लोग धरना देकर बैठे हैं एक्सीयन के आफिस के सामने, डी0जी0एम0 के आफिस के सामने रूद्रपुर में लोग बैठे हैं। निरन्तर यह दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साठ सालों से जब से तराई बसी जो बिजली की तारें हैं वह सारी की सारी पुरानी हो गई हैं और गल गई हैं। बिजली कटौती अलग बात है और बिजली जितनी आती है वह भी बाधित होती रहती है बिजली की तारें गल करके नीचे गिर जाती हैं। मान्यवर, इस मसले को हमने लगातार विधायक के रूप में उठाया है। सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया है कितनी

चिट्ठियाँ लिखी हैं। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बिजली कटौती के प्रश्न पर मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सरकार का जवाब आये कि बिजली कटौती घोषित रूप से कितनी हो रही है। जो 12–14 घंटे बिजली कटौती हो रही है उसे तत्काल रोक दी जाये। ताकि वहाँ के किसानों को बचाया जा सके और वहाँ के उद्योगों को बचाया जा सके वहाँ की जनता को राहत दिलायी जा सके।

श्रीमती इन्दिरा हृदेयश–

मान्यवर, आप बहुत महत्वपूर्ण सूचना नियम 58 के अन्तर्गत लाये हैं। यह सही बात है कि बिजली उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है हमें खरीदनी पड़ रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि मैंने आज सुबह ही निर्देशित किया है और बिजली खरीदिये क्योंकि गर्मी बहुत है लोगों को बिजली सप्लाई करनी पड़े। गर्मी के दिनों में एयर कन्डीसन टयूबवैल इन सबके चलने से और अधिक खर्च आता है और ओवर लोडिंग हो जाती है। इसलिए विद्युत कटौती होती रहती है। अभी–अभी मुझे जानकारी दी कि हम और अधिक बिजली खरीद कर इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है वह मैं पढ़ देती हूँ। ग्रीष्मकाल में एयर कन्डीशनर और टयूबवैल आदि का लोड होने के कारण उत्तरी ग्रिड में विद्युत भार अधिक हो जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश द्वारा भी ओवर ड्रा किया जाता है। इससे भी विद्युत ग्रिड पर विद्युत भार अधिक हो जाता है और ग्रिड की वोल्टेज कम हो जाती है। जिससे ग्रिड वोल्टेज 400 के0वी0 के सापेक्ष 358 के0वी0 होने के कारण ट्रान्सफारमर पर ओवरलोड हो जाता है। फलस्वरूप ग्रिड फेल होने से बचाने के लिए आकस्मिक विद्युत कटौती करना अनिवार्य है, यह कारण हैं विद्युत सप्लाई के इसके कारण प्रदेश को उत्तरी ग्रिड से कम विद्युत आपूर्ति हो पा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मनेरी माली फेज–2 से उत्पादन बंद करना पड़ा। क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए चिन्यालीसौड एवं उत्तरकाशी में सुरक्षा दीवार का कार्य करना अति आवश्यक था फिर भी बाहरी स्रोतों से अधिकतम बिजली खरीदते हुए सप्लाई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। परन्तु 400 के0वी0 मुज्जफरनगर कोहाना लाईन ओवर लोड होने से ग्रिड फेल्यौर को बचाने के लिए पावर कट करना पड़ता है। दिनांक 7–6–2014 से मनेरी माली फेज–2 पर उत्पादन शुरू हो गया है। इससे आने वाले समय में विद्युत आपूर्ति हो जायेगी। विद्युत की कमी है इसलिए यह निर्णय आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है विभाग को कि और अधिक बिजली खरीद लें और अधिक समय से बिजली नहीं आ रही है उसका समाधान किया जाये। हमें भरोसा है कि भविष्य में ठीक होगा।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर,मेरा आग्रह है कि इसमें कि एक किसान को निश्चित पता रहे कि इतने घंटे बिजली उसको मिलेगी। होता क्या है कि एक क्यारी से दूसरी क्यारी से अन्तिम खेत तक उसको पानी ले जाना है। दो तीन क्यारी तक पानी चढ़ा और उसके बाद बिजली भाग गई, फिर वह सूख गया दोबारा फिर सींचना चाहा बिजली मोटर से आयी तो इससे पीछे के खेत उसके वैसे के वैसे रह जाते हैं और फसल नष्ट हो रही है। इसमें कम से कम एक निश्चित हो और सरकार बताये कि कितने घंटे की बिजली कटौती है। क्योंकि जो कटौती आप बता रहे हैं और जो मौके पर हो रही है उसमें बहुत जमीन आसमान का अन्तर है। 12 से 14 घंटे बिजली कटौती हो रही है जो बहुत अव्यवहारिक है यह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री राजेश शुक्ला जी को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद इस नियम–58 की सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, आज उत्तराखण्ड में वन अधिनियम इतना बड़ा संकट पैदा करने वाला अधिनियम हो गया है कि आज पूरे प्रदेश का 90 प्रतिशत क्षेत्र वन अधिनियम से प्रभावित है और जिस तरह से उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में निरंतर पलायन हो रहा है और निरंतर हमारी पर्वतीय क्षेत्र की जो भूमि है वह बंजर हो रही है और इसके साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो मैदानी क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ जो पलायन से लोग बस रहे हैं उससे वहाँ की कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है और वहाँ की कृषि भूमि भी कंकरीट के जंगल में बदल रहा है, इसका एक मूल कारण जो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है वह सबसे बड़ा कारण है वन अधिनियम, जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, चाहे वह सड़क का मामला हो, चाहे कोई जल विद्युत योजना का मामला हो या कोई पानी की योजना का मामला हो वह कहीं न कहीं वन अधिनियम के आगे रूके पड़े हैं और वन अधिनियम इतना विकट रूप से लोगों को आक्रोशित कर रहा है कि आज स्थिति यह है कि लोगों को वन विभाग के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ रहा है। मान्यवर, तमाम जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं, आज स्थिति यह है कि उत्तराखण्ड में लगभग एक दर्जन पार्क और सेन्चुरियां हैं और इनके कारण हमारे पास पहले ही 70 प्रतिशत भूमि वन भूमि है और 30 प्रतिशत क्षेत्र केवल कर्षि भूमि है, लेकिन आज जो ईको सेंसेटिव जोन के नाम पर, वन अधिनियम के नाम पर जो क्षेत्रों का प्रतिबन्धित किया जा रहा है उससे यह लगता है कि धीरे–धीरे पहाड़ मानव विहीन हो जायेगा और हमारा क्षेत्र

चीन–नेपाल से लगा हुआ है और यदि इसी गति के साथ पलायन होता रहा तो निश्चित रूप से जो हमारी सीमा हैं वह भी खतरे की जद में आ जायेंगी। पहाड़ की कृषि भूमि की आज स्थिति इतनी खराब है कि कोई माँ अपने बच्चे को घर में अकेले नहीं छोड़ सकती है और वह अकेले घर में छोड़ती है तो कोई बाघ उसको अपना निवाला बना देगा या बन्दर उसको नोच खायेंगे। बन्दरों, सुअरों, मोरों का इतना आतंक है कि लोग अपने खेतों–आंगन में धनिया तक लगाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके साथ–साथ भालू और बाघों का आक्रमण इतना तीव्र है कि कोई आज रास्तों पर अकेले जाने को तैयार नहीं है। मान्यवर, जिस तरह से उत्तराखण्ड की तमाम जनता इस वन अधिनियम से प्रभावित है और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक ब्यूरोक्रेट्स की सोच के तहत पूरे उत्तराखण्ड को वन अधिनियम के तहत घेरा जा रहा है, धीरे–धीरे ऐसे सिकंजे में लाया जा रहा है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब हम अपने आंगन में खड़े नहीं हो सकते और अपने खेत में पेड़ नहीं काट सकते हैं, मेरी विधानसभा की 19 सड़कें केवल वन अधिनियम के कारण लम्बित पड़ी हैं, 8–9 साल हो गये हैं लेकिन उनको आज तक एन0ओ0सी0 नहीं मिल पाई है और इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उन सड़कों का बनना नामुमकिन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी चीजे हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार को बाध्य करना पड़ेगा और पूरे उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में इसको शिथिल करना पड़ेगा। मान्यवर, मेरा सरकार के माध्यम से यह सुझाव है, क्योंकि धीरे–धीरे पर्यावरण और वन अधिनियम की आड़ में कुछ एन0जी0ओ0 भी तमाम विकास कार्य में आड़े आ रहे हैं और इसके साथ–साथ कई अधिकारियों के लिए वन अधिनियम एक दोहन का अधिनियम बन चुका है, अगर उनको कोई निजी लाभ दिया जाता है तो वे वन अधिनियम को अपने अनुसार मोड़ देते हैं और अगर उनके पास कोई नम्बर दो का पैसा लेकर नहीं जाता है तो वो उसमें ऐसे–ऐसे रोड़े लगाते हैं कि वह विकास की योजना नहीं बन सकती है, मेरी विधानसभा कार्बेट नेशनल पार्क से लगी है और श्रीमती बड़थ्वाल जी का क्षेत्र लगा है तो वहाँ लोग इतने परेशान हैं कि लोग अपने गाँवों में अपने रिश्तेदारों से मिलने तक नहीं जा पाते हैं, मेरे यहाँ तीन या चार गाँव ऐसे हैं तैड़ियां, पौंड, जमूड़, मल्ला ऐसे गाँव हैं जहाँ रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकते हैं, उसको आईडेन्टिटी कार्ड दिखाना पड़ता है, वह शादियों में ढोल नहीं बजा सकता है, वह अपने यहाँ किसी को टिका नहीं सकता और यदि अगर–बगल कोई भालू मर गया तो पूरे गाँव की पेशी लग जाती है, उनको दोषी माना जाता है। मान्यवर, उत्तराखण्ड में यदि इस अधिनियम को लागू किया जायेगा तो हम लोगों के लिए स्थिति इतनी विकट हो जायेगी कि हम पहाड़ में रह नहीं पायेंगे। मान्यवर, मैं मानता हूँ कि इस वन सम्पदा को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको हक हकूक से वंचित किया जा रहा है, जिस तरह से एक भावना पैदा की जा रही है कि यह जंगल तुम्हारा नहीं है केवल सरकारी है, इसमें तुम्हारा कोई

अधिकार नहीं है, जिस तरह से कानून दिखाकर जनता को वन भूमि से दूर किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यजनक है और आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इसकी परिणति यह होगी कि एक दिन वन विभाग और स्थानीय जनता के बीच घोर संग्राम होने वाला है और अलगाववाद की एक भूमि यहाँ पर तैयार होने वाली है और अगर हमारे हक हकूकों से हमको वंचित किया जायेगा तो निश्चित रूप से अलगाववाद की ओर हमारा नौजवान जाने को बाध्य होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ और निवेदन भी है कि हमारे पार्क क्षेत्र से कई ऐसे जंगल के क्षेत्र हैं जहाँ हमारे आस्था के केन्द्र भी रहते हैं, जहाँ आज भी हमारे लोग बड़ी यात्रा लेकरके आते हैं लेकिन वर्तमान में धीरे-धीरे वन विभाग इस तरह से प्रतिबन्ध कर रहा है कि वहाँ पर हमारे लोगों को जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। मान्यवर, ब्रिटिश काल में भी हम लोगों को सहयोग मिलता था और यह भावना पैदा की गई थी कि यह जंगल आपका है और इसको बचाने का कर्तव्य आपका है, लेकिन वर्तमान अधिनियम जिस तरीके से खतरनाक तरीके से हमको अपने शिकंजे में कस रहा है जिससे यह भावना जा रही है कि यह जंगल आपका नहीं है और इस जंगल से आप हक हकूक से वंचित हो रहे हैं। मान्यवर, हम खेती नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि जितनी भी खेती है उसका बीमा सरकार के द्वारा होना चाहिए ताकि जानवरों के द्वारा उस खेती को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसका तमाम मुआवजा बीमित होने के कारण उसको मिल सके और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारे मवेशी जंगली जानवरों के द्वारा मारा जाता है तो पूरे उत्तराखण्ड में उसका समान रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए, पार्क क्षेत्र में तो कुछ एन0जी0ओ0 दे देते हैं लेकिन जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहाँ कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी वन क्षेत्र से लगे क्षेत्र हैं उनमें तमाम लोगों का पैदा होते ही बच्चे का बीमा किया जाना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना हो गई, अगर जंगली जानवरों द्वारा उन पर प्रतिघात किया गया या मारा गया तो कम से कम 25 लाख रूपये तक का उनका बीमा किया जाना चाहिए, ताकि उनका परिवार सुरक्षित हो सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि रिजॉर्ट के माध्यम से, पार्क के चारो तरफ, एक माफिया, जो एक तथाकथित एन0जी0ओ0 के माध्यम से प्रदेश में आ रहे हैं इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। मान्यवर, अफ्रीका में कई देश ऐसे हैं, जहाँ स्थानीय लोगों को कॉटेज बनाकर दिये जाते हैं, जहाँ पर पार्क क्षेत्र हैं और उन स्थानीय लोगों को जो कॉटेज का किराया मिलता है, दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बाहर के लोगों को पार्क क्षेत्र में रिजॉर्ट बनाने के लिए प्रतिबंधित कीजिए और जो स्थानीय लोग हैं उनको इन क्षेत्रों में कॉटेज बनाकर रोजगार का अवसर दें। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान वन अधिनियम

जो हमारे लिए एक काला कानून बन गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वन महकमें का जो एक ढांचा बनाया गया है, जो स्थानीय स्तर पर वनरक्षक होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गयी है। लेकिन इसमें उच्च अधिकारियों की एक लम्बी–चौड़ी फौज है, इसका भार भी वन विभाग पर पड़ रहा है। हमारा निवेदन है कि वन रक्षक स्तर के जो कर्मचारी हैं ये स्थानीय गाँव के जो बेरोजगार युवक हैं, इनको इसमें वन रक्षक के रूप में रोजगार देना चाहिए, नकि बाहर के लोगों को। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि खुद हमारे उत्तराखण्ड का जो अपना स्टेट हाईवे होना चाहिए था। आज स्थिति यह है कि वन अधिनियम के कारण हम देहरादून से कुमायूँ तक जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार–लालढांग से लेकर जो चिलरलाखाल–कोटद्वार और रामनगर होते हुए जो हमारी एक सडक है, उत्तराखण्ड की सड़क है, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यह आपके माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार को तत्काल एक संस्तुति जानी चाहिए कि इस सडक को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का प्रयास किया जाय। इस काले वन अधिनियम कानून के कारण जो हमारा उत्तराखण्ड का पर्यटन क्षेत्र आज अकांतित है और यह एक बड़ दहशत में है, इस काले कानून को शिथिल करने के लिए आपके माध्यम से केन्द सरकार को बाध्यम करने के लिए आपके माध्यम से एक दबाव जाना चाहिए। चूंकि यह हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है, इसलिए मैं इस पर विस्तृत चर्चा की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि भू–अधिनियम के कारण काफी कठिनाईयां निर्माण के कार्य में आयी हैं। परन्तु उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात जो कार्य हुए हैं वे भी बहुत हुए हैं और हमने कुछ रास्ते भी निकाले हैं, जिन पर जल्दी ही स्वीकृतियाँ मिलेंगी। राज्य गठन के पश्चात् 6240.34 हे0 क्षेत्रफल में 1615 सड़कों का निर्माण हुआ है। 169.82 हे0 क्षेत्र में 623 पेयजल योजनाएं, 65.93 हे0 क्षेत्रफल में 66 हे0 सिंचाई योजनाएं, 2025.06 हे0 में 95 पारेषण लाईन, 2025.7 हे0 में 63 जल विद्युत परियोजनाएं, 737.98 हे0 में 21 खनन योजनाएं, 20677.75 हे0 क्षेत्रफल में 700 अन्य योजनाएं, इस तरह से कुल 38799.74 हे0 क्षेत्रफल में 3169 योजनाओं का वन भूमि हस्तांतरण, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया है, यह राज्य गठन के बाद से हुआ है। मान्यवर, हमने इसको और आसान बनाने के लिए, इसका क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में हुआ करता था। हम लोगों ने राज्य बनने के बाद दबाव बनाया और अभी पिछले साल यह कार्यालय देहरादून में स्थापित कर लिया गया है। पहले बहुत कठिनाई होती थी, प्रस्ताव यहां से बनकर लखनऊ जाते थे। मान्यवर, अब यह सुविधा भी दे दी गयी है

कि 40 है0 क्षेत्रफल तक वन भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार देहरादून कार्यालय को दे दिये गये हैं। अब इस श्रेणी के जो विकास कार्य हैं, वे देहरादून के माध्यम से शीघ्र हो जायेंगे। मान्यवर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 13 फरवरी, 2014 के द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित 1 है0 से कम क्षेत्रफल के पेयजल, स्कूल, अस्पताल और पारेषण लाईन, विद्युत सब स्टेशन, लघु सिंचाई, भूमिगत जल संग्रालय संस्थान, अपरम्परागत जल संस्थान, व्यवसाहियक प्रशिक्षण की योजनाएं, संचार पोष्ट, संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस चौकियां, पुलिस स्टेशन, सीमा चौकियां आदि हेतु वन भूमि के प्रत्योवदन सामान्य स्वीकृति, निर्गत करने हेतु वन भूमि हस्तांतरण राज्य सरकार के स्तर से करने के लिए अधिकृत कर लिया गया है, राज्य सरकार को। मान्यवर, इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 2014 के द्वारा वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में नवीन प्रक्रिया अधिसूचित की गयी है। वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण में त्वरित प्रकिया प्रारम्भ करने के प्राविधान शामिल किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव जिनकी फार्मेल्टी पूरी कर दी गयी हो। वन भूमि हस्तांतरण 40 है0 क्षेत्र के प्रस्ताव अधिकतम 5 माह के अन्तर्गत स्वीकृति मिलने की श्रेणी निर्धारित कर दी गयी है तथा अन्य परिपक्व प्रस्ताव में 9 महीने की समय सारिणी निर्धारित की गयी है। मान्यवर, यह जो सहुलियतें वन अधिनियम के अन्तर्गत, वन विभाग को दी गयी हैं। मान्यवर, आपने मानव जीव संघर्ष के बारे में भी कहा है, इस सम्बन्ध में पिछली बार भी शायद यह सदन में आया था। इसमें एक नियमावली प्रख्यापित की गयी है। यह नियमावली 2012 में प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत अनुग्रह धनराशि की दरें, पुनरीक्षित की गयी हैं, यदि आप चाहें तो इसका पूरा चार्ट मैं आपको उपलब्ध करा सकती हूँ, यह चार्ट दो पेज का है, यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़ लूँ।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कई क्षेत्र हमारे आस्था के केन्द्र हैं और कई वर्षों से लोग अपनी आस्था के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वन विभाग, अभी कौंलागढ़ में वन विभाग और जनता के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, लोगों को इन क्षेत्रों में जाने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हक–हकूक हमें पूर्ववत् मिले हैं, उन हक–हकूकों को कायम रखना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, हमारे जो जानवर हैं चाहे वह शेर हों, हिरन हों या अन्य पशु हों, वो इन क्षेत्रों में घूमते हैं और कार्बेट के ऐरिया

में तो ये सड़कों से निकल कर भी जाते हैं। इसी कारण इन क्षेत्रों मे प्रवेश पर रोक लग गयी है। यह रोक जीवन रक्षा और जीव रक्षा दोनों के हित में लगी है। मान्यवर, वन के अन्तर्गत आने वाला जो भी स्थान है, उसमें वन अधिनियम के अन्तर्गत रोक लगी है। अभी आप यह कैसे कह सकते हैं कि उसमें ऐसे व्यक्ति नही जाने चाहिए कि जो केवल जंगली पशुओं का शिकार करते हों। मान्यवर, कई चीतें ऐसे मिले हैं जिन्हें मारा गया है, जिनके गिरोह का भी पता है, परन्तु जो उनके खास लीडर हैं वे भाग जाते हैं। भारत सरकार ने अपने देश के पर्यावरण की रक्षा के लिए यह कानून बनाया है। साथ में जनता की रक्षा के लिए भी यह नियम बना है। मान्यवर, सभी की सुविधा के लिए ही नियम बने हैं।

श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन इतना है कि इतना प्रतिबंध हम झेल रहे हैं तो इसके एवज में सरकार के द्वारा हमें क्या मिला है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जो आप कह रहे हैं कि मंदिर में जाने से जो रोके जाने की बात कह रहे हैं, यदि आप मंदिर विशेष की डिटेल दे दें।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, यह सब जगह है। हम इतना प्रतिबंध झेल रहे हैं और हमें ग्रीन बोनस तक नहीं दिया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप हमें ऐसे क्षेत्र की डिटेल दे दीजिए, वन विभाग के साथ बैठ कर इसमें बातचीत की जायेगी, कोई रास्ता निकाल दिया जायेगा।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा और माननीय सदस्य ने विभिन्न बिन्दु रेज किये हैं। हम वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर बातचीत करेंगे।

मान्यवर, हम लोगों के कुछ कॉमन कन्सर्न हैं, उसमें सरकार और जनता सभी के हैं। हम अपने सांसदगणों से भी प्रार्थना करेंगे कि हमारी इसमें मदद करें और कोई रास्ता निकाला जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री दलीप रावत जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय नेता सदन को सुनने के बाद मैं नियम–58 की इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर ग्राह्यता पर सुनने का मौका दिया, मैं अन्तर्मन से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, मेरा जो विषय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हालांकि मैंने अपनी विधान सभा से इसको शुरू करने की बात कही थी, मगर जो मेरी समस्या है, वह पूरे प्रदेश के जो हमारे पर्वतीय मूल के जिले हैं, उन सबमें भी है और शायद मैदानी जिलों में भी यह समस्या निरन्तर हो रही है। मेरी समस्या यह है कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह सुगम क्षेत्र में है और सुगम क्षेत्र होने के कारण मेरे यहाँ चाहे प्रवक्ता के पद हों, चाहे एल0टी0 के पद हों, 80 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं और जब हम शासन से मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं तो हमको हमेशा यह बताया जाता है कि सुगम क्षेत्र में अध्यापकों को भेजने का कोई नियम नहीं है। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे बहुत से विधायकों के क्षेत्र दुर्गम हैं, दुर्गम में लोग जाते नहीं हैं, सुगम में आप भेजते नहीं हैं। परिस्थिति यह है कि सुगम भी खाली है और दुर्गम भी खाली है। मगर सबसे बड़ा खेद का विषय है, इस प्रदेश में 01 लाख 42 हजार बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। 22 हजार बी0पी0एड0, एम0पी0एड0 बेरोजगार हैं, शिक्षा आचार्य, योगाचार्य लगभग 2 लाख प्रशिक्षित हमारे यहाँ बेरोजगार हैं परन्तु फिर भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सभी विद्यालय प्रवक्ताओं और एल0टी0 से मुक्त हैं और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो तब है कि हमसे यह कहा जाता है विभाग द्वारा, कि सुगम क्षेत्र में नहीं भेजेंगे। मगर सुगम क्षेत्र से धड़ाधड़ स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, गरूड़ है, सुगम क्षेत्र में, जहाँ मात्र 7 टीचर थे, उनमें से 5 टीचरों का स्थानान्तरण हल्द्वानी, काशीपुर और खटीमा में हुआ है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। हमको गुमराह किया जाता है। हमारे अधिकारी बैठे हैं, देहरादून में ग्वाल साहब, आदि बहुत बैठे हैं, हमको हमेशा गुमराह करते रहते हैं और आज स्थिति यह है, मान्यवर, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बागेश्वर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मंडेलसरा, भटकोला, अर्सो, गरूड़, पाए, मजूला, झजानी, ल्वारचोरा, देवलदार, मैगणीस्टेट, दैना सहित कम से कम 8 ऐसे और विद्यालय हैं। मैं आपके संज्ञान में और डालना चाहता हूँ, जहाँ पर आज हम यह विधान सभा का सत्र चला रहे हैं, यहाँ पर भी एक राजकीय इण्टर कॉलेज है, यहाँ पर भी एक राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज है, यहाँ पर भी अधिकतर

पद प्रवक्ताओं के और एल0टी0 के खाली हैं। मान्यवर, मैं सिर्फ बागेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। यह आपके जनपद का, आपके विधान सभा क्षेत्र का भी मामला है। यह चम्पावत का भी है, यह कपकोट का भी है। शिक्षा की एक नीति बनाने की आवश्यकता है और अनिवार्य रूप से शिक्षा के क्षत्र में लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ, बागेश्वर में 80 प्रतिशत अध्यापकों के अभाव के बावजूद भी बागेश्वर जिला इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान पर आया है और जिन जिलों में 100 प्रतिशत टीचर हैं, वह चाहे मैदानी क्षेत्र का देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे नैनीताल हो, वह 10वें, 11वें और 12वें नम्बर पर शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। यदि आप विशेष प्रयास करके अगर पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में पदों को भरने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रणी स्थिति में जाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी 10–15 दिन पहले हमारे विधान सभा क्षेत्र में आए हुए थे और हमारे क्षेत्र की जनता आक्रोशित थी, आन्दोलित थी, कह रहे थे कि आज शिक्षा मंत्री जी का घेराव करेंगे। अब शिक्षा मंत्री जी आ तो रहे थे, आगे–आगे भगवान जी की डोली आ रही थी, अब कैसे घेराव करते? इसलिए हमने शिक्षा मंत्री जी को इज्जत दी और आपके स्वभाव के कारण हमको यह लगा कि आने वाले समय में हमारे यहाँ कुछ होगा। मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, टी0ई0टी0 में कम से कम दो हजार पदों को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जब सरकार का उत्तर आएगा कि हम प्रवक्ता भर रहे हैं, एल0टी0 के टीचर भर रहे हैं, तो एल0टी0 तो दो हजार आएंगे हमारे यहाँ और वह हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक और तथ्य लाना चाहता हूँ, बीच में एल0टी0 से प्रवक्ताओं में प्रोन्नतियाँ हुई हैं। मेरे जिले में भी 64 पदोन्नतियाँ हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 64 में से मात्र 12 लोगों ने ज्वाइन किया और हमारे जिले से 36 टीचर बाहर चले गये। यानि हमारे यहाँ आए कोई नहीं, जो बचे–खुचे थे, वे भी चले गये। यानि हमारे यहाँ पदोन्नति का लाभ भी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। मान्यवर, जनहित का मामला है, अविलम्बनीय मामला है इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि नेता सदन और शिक्षा मंत्री मुझे आश्वस्त करेंगे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ–साथ अगल–बगल के सभी क्षेत्रों में जुलाई के महीने में जब विद्यालय खुलेंगे तो इन प्रवक्ताओं और एल0टी0 की नियुक्ति करेंगे, नहीं तो हमारे कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ जुलाई में कोई ताला खोलने के लिए मिलने वाला नहीं है। स्थिति यह हो रही है, इसलिए मैं सदन और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि इस तात्कालिक महत्व के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद कहता हूँ कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने नियम 58 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। भाई चन्दन राम दास जी से मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए उनकी बात पर बल देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चन्दन राम दास जी ने पूरे पर्वतीय जिलों में शिक्षा की जो दशा है, उसके बारे में बताया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे पर्वतीय जिलों की बात नहीं कर रहा, अल्मोड़ा जिले की बात कर रहा हूँ। जहाँ के संरक्षक के तौर पर आप स्वयं वहाँ पर हैं और हमारे जो नेता सदन हैं, वह भी उसी जिले से सम्बन्धित हैं, उसी जिले के रहने वाले हैं और माननीय अध्यक्ष जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी उसी जिले से सम्बन्धित हैं, उसी जिले के रहने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उस जिले की क्या दशा है, शिक्षा के बारे में? जब प्रथम सत्र हुआ था फरवरी में, मैंने उस समय भी कहा था कि लगातार स्थानान्तरण अध्यापकों का पर्वतीय जिलों से मैदानी जिलों में किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी से मैंने कहा था कि हमारे विद्यालय खाली हो गये हैं, हमारे छात्रों का जीवन अंधकारमय हो गया है, शिक्षा के बिना तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे भरोसा दिलाया था कि जीना जी, आप चिन्ता मत कीजिए, हम सब विद्यालयों में अध्यापक भेजेंगे। आने वाले समय में अध्यापकों की कोई कमी नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उस समय भी बताया था कि अल्मोड़ा जिले में 400 से ज्यादा प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। 500 से ज्यादा एल0टी0 के टीचर नहीं हैं। प्राथमिक पाठशालाओं में भी 150–200 टीचर के पद खाली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप हैरान होंगे, 11 खण्ड शिक्षा अधिकारियों में से 6 खण्ड शिक्षा अधिकारी हैं ही नहीं। पूरे जिले में 5 खण्ड शिक्षा अधिकारी कुल हैं, उनमें से भी सितम्बर में 2 रिटायर हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अल्मोड़ा जिले में 125 प्रधानाचार्य होने चाहिए, जिनमें से 88 हैं ही नहीं, केवल 37 प्रधानाचार्य हैं। ये दशा माननीय अध्यक्ष जी, जब फरवरी में आपसे कहा था तब अल्मोड़ा जिले की थी। हमें उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद शायद अब जो नया सत्र होगा, उसमें अध्यापक आएंगे। आप हैरान होंगे माननीय अध्यक्ष जी, इस बीच में 245 और अध्यापकों को वहाँ से भेज दिया गया और उनके स्थान पर केवल 46 लोग आए हैं

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, फरवरी में जो दशा थी, उससे भी अधिक बिगड़ गई है। हमारे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी न तो कोई माध्यमिक में है न ही बेसिक में कोई अधिकारी है, जबकि हरिद्वार और टिहरी में दो–दो अधिकारी बैठे हुये हैं। मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में

बहुत सारे अध्यापक हैं, अगर कहीं पर बीस का मानक है तो पूरे बीस हैं, हमारे यहाँ बीस का मानक है तो पाँच अध्यापक हैं। यह चिन्ता का विषय है, यह हमारे छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गैरसैंण में हम सत्र करेंगे, लेकिन हम गैरसैंण में हम अपने बच्चों के लिये क्या करेंगे, जब वहाँ पर अध्यापक नहीं हैं। ऐसे विधानसभा लगाने से मुझे नहीं लगता कि हमारे पर्वतीय जिलों का कुछ भला होने वाला है। भाई दलीप रावत ने अभी कहा कि वन भूमि में सड़कें नहीं बन पा रही हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब कार्यालय यहीं पर बन गया है, लेकिन मान्यवर, अभी भी कार्यालय नहीं बना है, महीने में दो या तीन दिन के लिये अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। जब हमारे पेपर तैयार होते हैं तो वह उनको कैन्सिल करके चले जाते हैं, कुछ भी आपत्ति लगाकर उन सड़कों को कैंसिल कर दिया जाता है। जब से यहाँ पर कार्यालय खुला है, कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं, 2002 में सड़कें स्वीकृत हो गई हैं, आज तक वन भूमि की स्वीकृति नहीं मिल पाई है, तो यह स्थिति हमारे पर्वतीय जिलों की है, खाली गैरसैंण में विधान सभा लगाकर हमारा भला नहीं होने वाला है। जब माननीय मुख्यमंत्री के जिले में, स्वयं आपके जिले में, माननीय नेता प्रतिपक्ष के जिले में अध्यापक नहीं हैं, हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इस विधान सभा का कोई औचित्य नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो 245 अध्यापक अभी यहां से भेजे गये हैं, वह तो कम से कम तत्काल भेज दिये जांय। जहाँ पर दो–दो अध्यापक हैं, कम से कम वहाँ तो सख्ती से स्टैप उठाया जाय। मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाय। हमने डी0एम0 साहब को भी फोन किया था कि बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरण न किया जाय, जिला शिक्षा अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया था, हमने कहा था कि हम शिक्षा मंत्री जी को भी कहेंगे, लेकिन 245 चले गये और एक भी नहीं आये। ऐसे तो हमारे पूरे के पूरे विद्यालय खाली हो जायेंगे, मैं इस बात को बहुत लम्बा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन यह अनुरोध है कि इस सत्र में जिन 245 लोगों का स्थानान्तरण किया गया है, उनके प्रतिस्थानी भेज दिये जांय। एक छोटा सा मामला बता रहा हूँ, मेरी स्वयं की कजिन के साथ यह हुआ है, वह लोहाघाट में नौ साल से पढ़ा रही थी, उसका ट्रांसफर देवाल सल्ट में हुआ। अचानक आचार संहिता लग गई, जब वह वहाँ ज्वाईन करने गई तो वहाँ पर किसी को पहले ही भेज दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें लेन–देन का भी मामला चल रहा है, इसपर मैं बहुत नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वह भी पहाड़ के रहने वाले हैं, कम से कम हमारे छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय न करें। यह बहुत गम्भीर विषय है, इसलिये सारे सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह वास्तव में बहुत गम्भीर मामला है, इसको गम्भीरता से लेना चाहिये, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता और बोलने का कोई औचित्य भी नहीं, परन्तु हमारे माननीय विधायक ने कहा है, हो क्या रहा है कि कभी भी शिक्षा मित्रों की बदली कभी भी नहीं होती है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि सीधे सरकार के आदेश से दो केस ऐसे दिखाना चाहता हूँ, जहाँ सीधे–सीधे मुनस्यारी से बदली हो गई पिथौरागढ़ में, उनका नाम है, श्रीमती लक्ष्मी धामी। जनपद मुख्यालय स्थित प्राइमरी स्कूल, तिलढुकरी में उनको अटैच कर दिया गया और इसी प्रकार ग्राम सैंठ राठी, मुनस्यारी में कार्यरत् श्रीमती दीपा मेहता। इनको दस दिन पहले प्राइमरी पाठशाला, मढ़ गाँव, चड्डा में ले आये, बात करते हैं हम पर्वतीय क्षेत्र की, बात करते हैं हम गैरसैंण में विधान सभा लगाने की। जब यह हालात सर्वोच्च पद से हो रही है, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, इंगित कर रहा हूँ तो फिर इस प्रदेश का भला कैसे हो पायेगा। क्या होने वाला है यहां पर, यह विचारणीय विषय है कि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मैं स्थानान्तरण नहीं कर रहा हूँ, तो आखिर यह स्थानान्तरण किसकी कलम से हो रहे हैं, इस बात के लिये स्पष्ट निर्देश आपकी ओर से जाने चाहिये, इसको देखा जाना चाहिये कि यह गड़बड़ कौन कर रहा है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष की जो चिन्ता है और जो पूरे सदन की चिन्ता है, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, जिस विभाग को, मदन कौशिक जी बैठे हैं, वह भी जानते हैं कि कैसे चलता है, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी और इस शिक्षा विभाग में जो हमने कमियाँ पाई, वह तीन प्रकार की कमियाँ पाईं। पहली कमी यह पाई कि विद्यालय खुलते गये, उनमें टीचर नहीं भेजे गये, यह आज की प्राब्लम नहीं है, यह मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूँ, यह मर्ज बहुत पुराना है और इसे कैंसर होते–होते हमने बचाया है। यह कैंसर का रूप ले रहा था, इसको बचाने का काम हम सभी लोगों ने किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस विभाग की मुख्य रूप से तीन कमियाँ हैं, पहली यह थी कि विद्यालय खोल दिये गये और पद क्रियेट नहीं किये गये और अध्यापक नहीं गये। दूसरी बात यह थी कि स्थानान्तरण नीति के तहत बिल्कुल पक्षपात किया जाता था, मेरा है, मैं जिसे जहाँ चाहूँ भेज दूँ मेरी जान–पहचान का है, इसलिये जहाँ चाहूँ, वहाँ भेज दूँ, लेकिन जो हमारा स्थानान्तरण नीति एक्ट है, स्थानान्तरण नीति के तहत जिन लोगों को लाभ दिया जाना चाहिये था, वह लाभ नहीं दिया गया और वह बैकलाग होता गया, वह इतना हो गया कि उससे टीचरों में फ्रस्टेशन आ गया। जिसकी जान–पहचान, उसका ट्रांसफर, जहाँ चाहा

वहाँ, जिसकी जान–पहचान नहीं, उसको चाहे 10 साल हो जायं, चाहे 20 साल हो जायं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सारे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मैं आजकल सबका दोषी बना हुआ हूँ कि अरे मंत्री प्रसाद तो हमारे ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है। यह नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इतने विद्यालय खोल दिये, इतने प्रांतीयकरण कर दिये, इतने उच्चीकरण कर दिये, इतने अशासकीय विद्यालयों को मान्यता दे दी, यह सवाल कहीं नहीं है। बस एक ही सवाल है, अभी भाई चन्दन राम दास जी ने कहा कि मैं डोली लेकर के आया, अरे, मैं तो पूरे प्रदेश का भ्रमण करके, विश्वनाथ जगदीशिला के माध्यम से उन समस्याओं से रूबरू हुआ हूँ, जो हम देहरादून में बैठकर केवल कागजों में देखते हैं, उसको मैंने धरातल पर देखने का काम किया। उस चीज को मैंने महसूस किया है, घेराव से मैं नहीं डरता, घेराव करना एक सैद्धान्तिक और संवैधानिक अधिकार है जनता का और सरकार उसे स्वीकार नहीं करती है तो उसे बैठने का कोई अधिकार नहीं है कि वह जनता की कोई बात नहीं सुने। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरा पैसा चलता था, ट्रांसफर–पोस्टिंग में, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। ट्रांसफर–पोस्टिंग में जो पैसा चला, उसकी वजह से पूरी सरकार की बेइज्जती हुई, सरकार की बदनामी हुई। तीसरा कारण यह है कि जो हमारे विभाग में प्रमोशन होते हैं, उन प्रमोशनों में कोई जाता नहीं है, शिक्षक संघ का दबाव होता है, मदन भाई अच्छी तरह से जानते हैं, वह शिक्षा मंत्री रहे हैं। उनका दबाव होता है कि पहले हमारा प्रमोशन करो, प्रमोशन करो तो बहुत सारे लोग उस स्थान पर नहीं जाते हैं। (व्यवधान) मैं उस चीज की परवाह नहीं करता, मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, मैं प्राब्लम को फेस करने वाला आदमी हूँ, भगोड़ा नहीं हूँ, जनता, चुनेगी। (व्यवधान) नहीं–नहीं, आप सतपाल महाराज जी से पूछ लीजिये। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि शिक्षा विभाग सबसे जटिल विभाग है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये और मजाक के तौर पर भी नहीं लिया जाना चाहिये। मैं जब से शिक्षा मंत्री बना हूँ, जिन विद्यालयों में कभी टीचर नहीं गये थे, उनमें हमारी सरकार ने नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूर्ण की, प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की। ट्रांसफर पालिसी के तहत कुछ कमियाँ हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह मैं स्वीकार करता हूँ। स्थानान्तरण नीति के खिलाफ संघ के लोग, कुछ लोग कोर्ट भी गये, लेकिन कोर्ट ने जो हमारी सरकार की स्थानान्तरण नीति है, उसको जायज ठहराया, उस स्टे को वैकेट किया। उसी के तहत स्थानान्तरण हुए और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी टीचर को पूछ लीजिए कि क्या स्थानान्तरण नीति से वो असन्तुष्ट हैं या सन्तुष्ट हैं, सब लोग सन्तुष्ट हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कोई बात पहली बार ट्रैक पर आयी है और उस ट्रैक को चलाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत है।

कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, कुछ लोग परेशान जरूर होंगे, लेकिन जो वैक्यूम हुआ है, उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए मैं सबका साथ चाहता हूँ अकेला मंत्री प्रसाद कुछ नहीं कर सकता, सबके साथ की जरूरत है। माननीय सदन हमारे नेता सदन हैं मैं उनका आभारी हूँ कि मैंने जो उनके सामने समस्या रखी शिक्षा विभाग की, मैंने प्रस्ताव रखा था कि जो लोग दूर–दराज जाना चाहते हैं, हमने उनको विशेष भत्ता देने की बात की और माननीय नेता सदन जी ने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, उनका आभारी इस बात के लिए हूँ कि जो हमारी सुगम, दुर्गम की नीति बनी है, कुछ उसमें कमियाँ हैं, निश्चित हैं, उसको हमने स्वीकार किया है, उसको हम संशोधित कर रहे हैं, जो कमियाँ पायी गयी हैं, उनको हम परिवर्तित कर रहे हैं ताकि जो टीचर स्थानान्तरण नीति के तहत लाभ लेना चाहते हैं, उनको लाभ मिल सके, ये मैं माननीय नेता सदन जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। मान्यवर, सवाल जहाँ से उठा था। माननीय विधायक बागेश्वर जी के माध्यम से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आपने अपनी विधान सभा के 11 विद्यालयों का जिक्र किया, उसमें से एल0टी0 में जो स्वीकृत पद हैं, उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। एल0टी0 में टोटल जो आपका राजकीय बालिका इंटर कालेज, बागेश्वर है, वो सी–श्रेणी की कैटेगरी का विद्यालय है और उसमें स्वीकृत पद 22 हैं, जिसमें से कार्यरत 12 हैं और रिक्त पद 10 हैं, प्रवक्ता में स्वीकृत पद 10 हैं, कार्यरत 06 हैं और रिक्त पद 04 हैं। इसी तरीके से मंडल फेरा, इसमें स्वीकृत पद 12 हैं, कार्यरत 11 हैं रिक्त पद 01 है एल0टी0 में, इसी तरह से प्रवक्ता में स्वीकृत पद 09 हैं, कार्यरत 07 हैं और रिक्त पद 02 हैं। भटकोला में 12 पद स्वीकृत हैं, 05 कार्यरत हैं, 07 रिक्त हैं और प्रवक्ता में आपके 09 स्वीकृत हैं और 09 के 09 रिक्त हैं इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। 09 के 09 रिक्त हैं, प्रवक्ता नहीं हैं उसमें आपके भटकोला में और गरूण में भी इसी तरीके से 16 पद स्वीकश्त हैं, 08 कार्यरत हैं, 08 रिक्त हैं, प्रवक्ता में 10 स्वीकृत हैं, 05 कार्यरत हैं, 05 रिक्त हैं। ऐसे ही तायें गरूण में 13 पद में से 08 पद रिक्त हैं और प्रवक्ता में 09 में से 05 पद रिक्त हैं। ऐसे ही मजुला, छत्यानी, गोहार चौरा, देवल धार, मैंगणी स्टेट और गहना, ये जो विद्यालय हैं, इन सब की सूचना मैं आपको प्रेषित करूँगा और ये आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शिक्षा मंत्री जी, एक अनुरोध मेरा है जो माननीय सुरेन्द सिंह जीना जी ने प्रश्न किया है, उनकी पीडा है, वो पीडा ये है कि जनपद अल्मोडा से 245 शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है जबकि पहले से ही जनपद अल्मोडा में शिक्षकों की कमी थी और उनके प्रतिस्थानी के रूप में केवल 42 शिक्षकों को वहां भेजा गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहले से वहां शिक्षकों का अभाव है, उसके बाद 200 शिक्षक फिर वहां से ट्रांस्फर कर दिये गये, तो इस नीति को बहुत गम्भीरता से सरकार को लेना

चाहिए, क्योंकि आज वास्तविकता है कि पहाड़ शिक्षकों से विहीन हो रहे हैं। अगर इस पर कोई नीति आड़े आ रही है तो उस नीति को भी बदलना चाहिए ताकि शिक्षकों की पूर्ति हो सके।

माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास जी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के बाद नियम-58 की इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री मालचन्द-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मेरी विधान सभा पुरोला में जनपद उत्तरकाशी के 06 ब्लाक हैं, 03 रवांई घाटी में और 03 उत्तरकाशी में। 17 साल का मेरा राजनैतिक जीवन हो गया और इस कार्यकाल में मान्यवर, आज तक कोई खनन पट्टे उस क्षेत्र में चाहे मोरी की बात हो, चाहे नौगांव की बात हो, चाहे पुरोला की बात हो, चाहे आराकोट की बात हो, मैंने न सुना है, न देखा है मैं आज तक चकित हूँ और लोग अपनी निजी भूमि से, नदी, नालों से, खटके किनारे से बजरी, पत्थर ले कर विकास कार्य या निजी कार्य किया करते थे। आज मान्यवर, इतना बड़ा आक्रोश जनता के अंदर है, बहुत आन्दोलित है और मैंने कई बार शासन से, प्रशासन से बात भी की कि नौगांव से बगासू एक जगह है, वहाँ निजी भूमि कई हैक्टेयर भूमि उनकी बहकर नष्ट हो गयी है और उसमें बजरी, पत्थर जमा है। वो अपने रोजगार के तहत उसको इक्ट्ठा करके वहां से लोग नाते-रिश्ते हों या प्यार-प्रेम से लोग ले जाते हैं निजी काम के लिए कोई सरकारी व्यवसाय के लिए मान्यवर, और बगासू से बड़कोट जा सकती है, बगासू से नौगांव जा सकती है, लेकिन बगासू से जब पुरोला जाते हैं ट्रक या छोटी गाड़ियाँ, टेम्पो तो डुरोली बैरल पर उसको रोक दिया जाता है और रोकने के बाद अनाप-शनाप उनसे वसूली की जाती है। मान्यवर, काश्तकार लोग अपनी टूटी-फूटी दिवारें बना रहे हैं मकान बना रहे हैं, नहरें बना रहे हैं, निजी काम कर रहे हैं, मैं यह नही कह रहा हूँ कि सरकारी भवनों का निर्माण हो रहा हो या कोई स्वीकृत निविदा पर कोई ठेकेदार वहाँ से सप्लाई कर रहा हो, लोग निजी व्यवसाय के वहाँ से बजरी उठाते हैं मान्यवर, वन विभाग द्वारा डुरोली में रोक दिया जाता है, जिससे जनता बहुत आन्दोलित है और मैंने कई बार निवेदन भी किया कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में अधिकारी रहे होंगे, 17 साल का मेरा राजनीतिक जीवन हो गया होगा, आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कोई अधिकारी वन विभाग का छोटी-छोटी चीजों को लेकर इतना बड़ा उत्पात मचा दे, इतना बड़ा आक्रोश जनता के अंदर हो जाय कि बैरक पर उसको रोक दिया जाता है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी पीड़ा है। माननीय नेता सदन, सदन में उपस्थित हैं, मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि छोटे-छोटे

काम हैं, अधिकारी छोटी–छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा आक्रोश जनता के अंदर हो गया है कि आप दिवार नहीं बना सकते हो, बाथरूम नहीं बना सकते, आप बजरी नहीं ला सकते। बगासू में निजी क्षेत्र से बजरी लाते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कि वहाँ पर खनन पट्टे जारी कर दिये जायें या बगासू से पुरोला के लिए जो बजरी आती है, बड़कोट जा सकती है, नौगांव जा सकती है, अन्य क्षेत्रों में जा सकती है, लेकिन बगासू से पुरोला क्यों नहीं आ सकती है, वहाँ पर भी अधिकारी हैं तो मेरी मान्यवर, आपसे विनती है कि आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज भी वहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, आपदा सिर पर है, लोगों के मकान टूटे–फूटे हैं, बजरी पुरोला में है नहीं। लोग छोटे–छोटे ट्रकों को ले जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, अनाप–शनाप वसूल किया जाता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको तत्काल खोल दिया जाय। डी0एम0 के माध्यम से और चीफ कन्जरवेटर के माध्यम से सरकार आज ही निर्देशित करे और ये खोल दिया जाय। मान्यवर, यह मेरी पीड़ा है, ये मेरी प्रार्थना है और छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं मांग रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं मांग रहा हूँ कि इतना बड़ा होगा कि शासन को और सरकार को सोचना पड़ेगा। आज ही आदेश हो जायें और छोटे–छोटे काम लोगों के हो जायें ये बहुत बड़ी एक पीड़ा है मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और तुरन्त इसका संज्ञान लेते हुए सरकार आज ही निर्देश करे मान्यवर, आपने इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ मान्यवर, लेकिन आज ही पीठ से निर्देश होना चाहिए मान्यवर, अभी भी 5–6 गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर। धन्यवाद।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मालचन्द जी का ध्यान जो उत्तराखण्ड खनन नीति, 2011 के बिन्दु संख्या– 2 (8) की तरफ दिलाना चाहता हूँ इसमें विकास नगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, रामनगर और हरिद्वार को छोड़ करके पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवन कार्यों आदि के लिए यदि कोई नदी से खनिज उठा रहा है तो उसको अनुमति है। बस उसको एक काम करना है कि जो भवन इत्यादि जो बना रहा है या कोई निर्माण कार्य छोटा–बड़ा कर रहा है, उसके लिए वो जिलाधिकारी को सूचना दे दे और सर्टिफिकेट ले ले इसके लिए और उसके आधार पर उनको अनुमति पत्र मिल जायेगा। मैं एक काम करूँगा मैं जिलाधिकारियों को कहूँगा कि इस तरीके के अनुमति पत्र देने में वो उदारता बरतें और एस0डी0एम0 को भी इसका अधिकार दे दें।

ताकि लोग अनुमति पत्र ले लें तो यह दिक्कत नहीं आयेगी। इतना आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यदि हम लोग इस तरीके की कोई भी अनुमति आवश्यक नहीं रखेंगे तो कुछ ही लोग जो हैं, चाहे हमारी पहाड़ों की नदियाँ होंगी उन पर भी एकाधिकार कर लेंगे तो यह अनुमति वाला प्राविजन रहने दीजिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को कह दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्र है वह एस0डी0एम0 को आथराईज्ड कर दें और जल्दी लोगों को अनुमति पत्र दे दें और थोड़ा इसमें आप लोग भी मदद करिये जो लोग इस काम को करते हैं वह किसान से लिखवा लें और अनुमति डी0एम0 से ले लें, पहले भी लोग यही करते रहे हैं इसी अनुसार काम चलता रहा है।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी काम के लिए बिल्कुल अनुमति लो, परमिशन लो, मैं उससे सहमत हूँ। आदमी को चार कट्टा बजरी चाहिए आधा ट्राली बजरी चाहिए उसके लिए वह परमिशन के लिए खड़ा रहेगा, दस दिन में उसको परमिशन मिलेगी। मेरी प्रार्थना है यह छोटा सा काम है डी0एम0 को बोल दो, छोटी सी बात जब अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो सदन में लाना पड़ रहा है। मैं यह कह दूँ कि मैं बी0जे0पी0 का विधायक हूँ, इसलिए नहीं हो रहा है फिर हो सकता है क्षमा चाहता हूँ आपको बुरा लगेगा। यह छोटे–छोटे काम हैं इसमें जिलाधिकारी को बोल दीजिए।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, सभी विधायकों के क्षेत्रों में इस तरीके की दिक्कत आती है। आप एक काम करियेगा, मैं उनसे कहूँगा कुछ मात्रा तक जो है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में ले जा रहे होंगे ट्रकों में ले जा रहे होंगे तो आप जानते हैं उसमें वाणिज्यिक उपयोग की सम्भावना बनी रहती है यदि वह कट्टों में ले जा रहे हैं तो वह दूसरी स्थिति है, दोनों में क्या अन्तर है मैं समझता हूँ और मैं जिलाधिकारी से कह दूँगा, थोड़ा सा लोगों को अनुमति लेने की आदत डालिये और उसकी प्रक्रिया को हम सरल कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

श्री मालचन्द जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं नियम–58 की सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन कौशिक, श्री माल चन्द, श्री महावीर सिंह रांगड, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्रीमती विजय बडथ्वाल की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना जो कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के प्राथमिक विद्यालय जिगुड़ा का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता के आन्दोलित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्रीमती विजय बडथ्वाल की सूचना जो कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 07 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन बुधवार दिनांक 10 जून, 2014 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

गैरसैंण

दिनांकः 09 जून, 2014

जगदीश चन्द्र,

सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी ''क''

(देखें पीछे पृष्ठ संख्या–30 अतारांकित प्रश्न संख्या–14)

विधानसभा के द्वितीय सत्र, 2014 के प्रथम सोमवार हेतु पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तरालेख का परिशिष्ट–'क'

1. केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (75% केन्द्रीय सहायता, वित्तीय वर्ष 2014–15 से 100 प्रतिशत केन्द्रपोषित):–

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सहायतित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है। इस योजना में निर्धारित लक्ष्य के लिये 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत धनराशि का राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 से इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रांश किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार है:–

क्रम सं0	मद	हॉस्टलवासी	डे स्कॉलर
1.	कक्षा 6 से 10 के लिये प्रवेश शुल्क	वास्तविक अधिकतम ₹ 500/– प्रतिवर्ष	₹ 5,000/– प्रति वर्ष (Rs-500 प्रतिमाह)
2.	कक्षा 6 से 10 के लिये प्रवेश शुल्क	वास्तविक या ₹ 350/– प्रतिमाह	वास्तविक या ₹ 350/– प्रतिमाह
3.		एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा	
	(1) कक्षा 1 से 5	शून्य	₹ 100/– प्रतिमाह
	(2) कक्षा 6 से 10	वास्तविक या ₹ 600 प्रतिमाह	₹ 100/– प्रतिमाह

2. <u>अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% केन्द्रीय सहायता):–</u>

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राऐं, जिनके अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रू0. 2.00 लाख से अधिक न हो, एवं जो किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से कक्षा 11 से पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को शत–प्रतिशत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है:–

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	मद	हॉस्टलवासी	डे स्कॉलर
1.	कक्षा 11 और 12 कक्षा के दाखिलस तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक अधिकतम ₹ 7,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम ₹ 7,000 प्रतिवर्ष
2.	कक्षा 11 से और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रमों/शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित)	वास्तविक, अधिकतम ₹ 10,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम ₹ 10,000 प्रतिवर्ष
3.	अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम ₹ 3,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम ₹ 3,000 प्रतिवर्ष
4.	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामाग्री आदि के लिए खर्च शामिल है।		
	(1) कक्षा 11 और 12 इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रम सहित।	₹ 380/-प्रतिमाह	380/-रू0 प्रतिमाह
	(2) अंडर ग्रजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोडकर अन्य पाठ्यक्रम।	₹ 380/-प्रतिमाह	380/-रू0 प्रतिमाह
	(3) एम0फिल और पीएच0डी (वह उन शोधकर्ताओ के लिए है जिन्हे विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फैलोशिप प्रदन नहीं की जाती है।)	₹ 1200/-प्रतिमाह	₹ 550/- प्रतिमाह

3. अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मैरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% केन्द्रीय सहायता):-

भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की कुल आय रूपये 2.50 लाख (वार्षिक) से अधिक न हो एवं जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्राविधिक एवं व्यवसायिक कोर्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, के लिये किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार हैं:–

क्र0 सं0	वित्तीय सहायता का प्रकार	हास्टल में रहने वालों के लिए दर	डे स्कालरों के लिए दर
1.	भरण–पोषण भत्ता (केवल 10 माह के लिए)	₹ 10,000/– प्रतिवर्ष (₹ 1,000/– प्रतिमाह)	₹ 5,000/– प्रतिवर्ष (₹ 500/– प्रतिमाह)
2.	पाठ्यक्रम शुल्क*	₹ 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	₹ 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो
	कुल योग	₹ 30,000/–	₹ 25,000/–

4. अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत राज्यपोषित)

राज्य सरकार के अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति के अन्तर्गत भारत सरकार की योजना से अवशेष तथा 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार हैं:–

वर्ग	छात्रवृत्ति की दरें		अवधि (अधिकतम)
अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति	कक्षा	दर प्रतिमाह	
	1–5	रू0 50/–	12 माह
	6–8	रू0 80/–	12 माह
	9–10	रू0 120/–	12 माह

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधान सभा/245–15–10–2015–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।